खण्ड-349, अंक-10
बुधवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(11 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
अनुपस्थित सदस्य	..	..	..	1371–1374
प्रश्नोत्तर	..	..	..	1375–1425
हरदोई जनपद में विद्युत् तार की चोरी की घटनायें तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			..	1426
हरसहाय जगदम्बा सहाय, कालेज, कानपुर के छात्र नेता, श्री वीरेन्द्र सिंह चन्देल की गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			..	1426–1427
जिला इटावा में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर थाना एकदिल की पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			..	1427
राज्य चीनी निगम यूनिट, राम कोला के 5 मजदूरों को पुलिस द्वारा पेड़ में उल्टा बांधकर मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			..	1428
गोरखपुर स्थित खाद कारखाने के कर्मचारियों एवं यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		..	..	1428
उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)			..	1428–1429
सूचना मंत्री तथा सूचना निदेशक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय			..	1429
नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गई सूचनाओं का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न			..	1430–1431
प्रशासन में तीन सलाहकारों (एडवाइजरों) की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न		..	..	1432–1436
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 (पुरःस्थापित किया गया)			..	1437
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें		..	..	1437–1442
अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव रखने पर सत्तारूढ़ दल द्वारा टीका-टिप्पणी किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न			..	1442–1444

विषय	पृष्ठ-संख्या
1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1444-1473
अनुदान संख्या 62--वन, अनुदान संख्या 102--वन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 118--वन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1474-1490
नियम 51 अन्तर्गत सूचनायें	1496
बस्ती जिले के महोली थाना के ग्राम महोबरा में डाकुओं द्वारा लूट, आगजनी एवं हत्या आदि से जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1497-1498
1980-81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	1498
वित्तीय वर्ष 1974-75 के अतिरिक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	1498
वित्तीय बर्ष 1975-76 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किए गए)	1499
वित्तीय वर्ष 1976-77 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किए गए)	149
नत्थियां	1501-1506

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 332

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती ((गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)

चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती,' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर बिक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू श्री, उर्फ दीप नारायण (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्भय नारायण सिंह श्री (उर्फ लाल बाबू), (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी, (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवन, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
बंशोधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)

भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)

रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)

रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा श्री. (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
बीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
बीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह, गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 11 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के विरुद्ध आरोपों की जांच

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (सानवाल) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच हो रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन-कौन से आरोप है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

श्री सानवाल के विरुद्ध मुख्यतया भ्रष्टाचार बनवसा व नैनीताल का बार-बार दौरा करना, रुहेलखंड नहर खंड को दो टुकड़ों में बांटने का प्रस्ताव करना तथा अपने अधीनस्थ भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने सम्बन्धी शिकायत की है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रदेश के जन-जीवन की प्रगति के लिये सिंचाई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । करोड़ों रुपया सरकार इसके ऊपर खर्च करती है । मान्यवर, आप देखें कि जनता की गाढ़ी कमाई किस तरह से यह भ्रष्ट अधिकारी हड़पते हैं इसका जीता-जागता उदाहरण श्री सानवाल का आपके सामने है । इनके विरुद्ध शिकायती-पत्र में जो आरोप लगाये गये है, उन आरोपों का संबंध जो है, वह माननीय मंत्री जी के दफ्तर में उपलब्ध अभिलेखों से है । उन अभिलेखों को देखकर ही जांच कार्यवाही अभी तक पूरी की जा सकती थी । लेकिन अभी तक 3-4 महीने हो गये है, जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी है । इसलिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कार्यवाही कब तक पूरी करा देंगे ? और क्या यह समझा जाय कि जांच में देरी इसलिये हो रही है ताकि इतने ऊंचे भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण दिया जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसी बात नहीं है । इसकी जांच अतिरिक्त अभियंता द्वारा की जा रही है । मुख्य अभियंता इसकी स्वंय जांच करा रहे हैं । माननीय सदस्य ने काफी लम्बी-चौड़ी शिकायतें की है । मुख्य अभियंता ने माननीय सदस्य को पत्र लिखा है, समुचित जानकारी के लिये । यह समस्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उत्तर देना चाहते हैं । इसलिए जाँच कार्यवाही अभी पूरी नहीं हो सकी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि मुख्य अभियंता इसकी जांच करा रहे हैं, उन्होंने मुझे भी एक चिट्ठी कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में लिखी है, तो मैंने उनको लिख दिया कि उनके विरुद्ध समस्त आरोपों की जानकारी माननीय मंत्री जी के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों द्वारा आसानी से प्राप्त हो सकती है सारे सबूत वहीं मिल जायेंगे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह जांच कार्यवाही कब तक पूरी हो

जायेगी और मुख्य अभियन्ता ने जो पत्र मुझे लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ जांच हो चुकी है, तो वह जांच क्या हुयी, उसमें कौन-कौन से आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें कृपया माननीय मंत्री जी सदन में स्पष्ट करने का कष्ट करें और जो आरोप सिद्ध पाये गये, उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब तक रिपोर्ट न आ जाय कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्री सानवाल की पदोन्नति इसी आधार पर रोक दी गई है कि उनके खिलाफ आरोप और जांच चल रही है ? यदि हां, तो अन्य अधिकारियों की भी पदोन्नति रोकने का कष्ट करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

ऐसी बात नहीं है ।

श्री ऊदल--

क्या यह बात सही है कि जिस अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के बारे में शिकायत है, उनका कार्यकाल ढाई महीने रह गया है, तो क्या उनके कार्यकाल के अन्दर जांच पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कहा गया है कि जांच जल्दी करा ली जाय ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि चूंकि गम्भीर शिकायत है । क्या इस बात की जानकारी करेंगे कि जो उनके पास प्रापर्टी है, वह कहीं अधिक है, उससे जितनी उनके पास होनी चाहिए थी । उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारी पैमाने पर घोटाला किया गया है, तो क्या छापा मार कर बैंक में उनकी निजी सम्पत्ति को सीज करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो शिकायत की गई है जब तक उसकी जांच न हो जाय तब तक दूसरी कार्यवाही कैसे की जा सकती है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुख्य अभियन्ता जांच कर रहे हैं माननीय मंत्री जी ने शासकीय नियमों की अवहेलना करके एक महीने का उनको इक्सटेंशन दिया है । माननीय मंत्री जी उदार हैं, एक महीने का इक्सटेंशन दिया एक महीने में जांच करने वाला भी चला जायेगा, जिसके खिलाफ जांच हो रही है वह भी चला जायेगा और माननीय मंत्री जी तो मोस्ट टेम्पोरेरी है, जो तथ्य फाइल में हैं, उनके आधार पर कोई प्राइमाफेसी केस बनता है ? यदि बनता है तो उसके आधार पर कार्यवाही करने में क्या आपत्ति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कार्यवाही कैसे की जा सकती है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मेरी जानकारी के अनुसार यह शिकायत वहीं के नम्बर 2 के चीफ इंजीनियर साहब ने मुख्य अभियन्ता बनने के लिए कराया है और मान्यवर, इससे एक प्रश्न उत्प्रेरित है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसकी भी जांच करायेंगे कि यह शिकायत मुख्य अभियन्ता श्री गोविन्द राम मिश्र ने कराई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*2—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[11वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मुरादाबाद में ढेला नदी पर बांध बनाये जाने का कथित प्रस्ताव

*3—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को यह विदित है कि तहसील और जिला मुरादाबाद में ढेला नदी की बाढ़ को रोकने के लिए सन् 72-73 में और 78-79 में कोई बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

ढेला नदी की बाढ़ को रोकने के लिए सन् 72-73 में बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था परन्तु वर्ष 1978-79 में उक्त क्षत्र के देवीपुरा, घोसीपुरा, जहांगीरपुर आदि ग्रामों की सुरक्षा के लिए बांध बनाने का प्रस्ताव बनाया गया था जो तकनीकी दृष्टि से उचित न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस विषय पर पुनर्विचार करेंगे कि इस ढेला नदी में 72-73 में भारी सैलाब आया था और भारी नुकसान हुआ था ? 78-79 में सैलाब आया जिसमें मौके पर इंजीनियर और असिस्टेन्ट इंजीनियर गये और वहीं स्कीम बनाई गई थी और इससे लगभग 15 हजार की आबादी घोसीपुरा, चांदपुरा देवीपुरा के छतों से पानी उतरा था, को बचाने की बात थी । किन्तु बगल के दो छोटे गांव हुमायूंपुर, जहांगीरपुर के कुछ वहां के प्रभावशाली व्यक्ति, विशेष लोगों की वजह से यह बांध रोक दिया गया है और यह भी उच्च स्तर से यहां के लखनऊ से, यह नहीं कि वहां के अधिकारियों के स्तर से यह हुआ हो, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियरों ने तो इसकी सिफारिश की थी, तो क्या वहां के एक जाति विशेष के 15 हजार रहने वाले लोगों को बचाने के लिए इस पर मंत्री जी पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सरकार चाहती थी मान्यवर, यह बांध बनाया जाये लेकिन नदी में काफी रेता और बालू आता है, जिससे अगर दोनों साइडों में बनाया जायेगा, तो सिल्टिंग ज्यादा होने की सम्भावना है । जैसा श्री रियासत हुसैन साहेब ने कहा है मैं पुनः इसकी जांच करा लूंगा और अधिकारियों की अगर ऐसी कोई इच्छा है तो वह नहीं होने पायेगी ।

*4--श्रीमती गौरी देवी--

[स्पष्टीकरण के आधार पर हटाया गया ।]

*5--श्री र ज कुमार राव--

[28-1-81 को अतारांकित प्रश्न सं0 180 द्वारा उत्तरित ।]

जालौन जिले की लिफ्ट सिंचाई एवं नलकूपों की नालियों की मरम्मत

*6--श्री शंकर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जालौन जनपद में लिफ्ट सिंचाई विभाग द्वारा टूटी हुई नालियों तथा पाइप लाइनों की मरम्मत तथा नई लाइनों का निर्माण इसलिये नहीं कराया जा सका है क्योंकि विभाग के पास सीमेन्ट उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जनपद जालौन में डाल सिंचाई खंड/नलकूप खंड, उरई द्वारा टूटी हुई नालियों तथा पाइप लाइनों की मरम्मत तथा नई लाइनों के निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 में सीमेन्ट उपलब्ध रही है तथा आवश्यकतानुसार टूटी हुई नालियों तथा पाइप लाइनों की मरम्मत का कार्य पूरा करा लिया गया है । नई लाइनों/पक्की गूल भी जनवरी, 1981 तक निर्माण करायी गयी हैं ।

श्री शंकर सिंह--

आपका उत्तर आया है कि जो टूटी नाली और पाइप लाइनें थीं, उनकी मरम्मत की जा चुकी है । जब कि कोई किसान जब विभाग में शिकायत करता है, तो इंजीनियर्स यह बहाना बनाते हैं कि सीमेन्ट उपलब्ध नहीं है अतः नालियों की मरम्मत नहीं की जाती लेकिन जब यही प्रश्न मंत्री जी से पूछा जाता है तो उत्तर आता है कि सीमेन्ट की कोई कमी नहीं है लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ता है किसान को, तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर मंत्री जी बतायेंगे कि जो नालियों और पाइप लाइनों की मरम्मत की गई है वह किस महीने में की गई और अगर इस प्रकार की कोई सूचना हो तो बता दें कि कितनी नालियां टूटी पड़ी थीं, पाइप लाइनें टूटी पड़ी थीं और कितने की मरम्मत हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य से कोई इंजीनियर ने बताया होगा कि सीमेन्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा स्टाक रजिस्टर है, उसमें हर महीने में सीमेन्ट मौजूद थी । अप्रैल से जनवरी तक स्टाक में सीमेन्ट मौजूद थी उस जिले में । दूसरी बात जो काम हुआ है टूटी-फूटी नालियों और पाइप लाइनों की मरम्मत

का 163·4 मीट्रिक टन सीमेन्ट खर्च हुआ है। 10 किलो मीटर पक्की गूल बनायी गई। 277·14 मीट्रिक टन सीमेन्ट लगी। जनवरी, 1981 तक 25 पम्प गृह, 5 नवीन गूलों का निर्माण हुआ है। इस तरह से काम हुआ है और यह सब बिना सीमेन्ट के नहीं हुआ है। अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे और बतायेंगे कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उनको धोखा दिया है, तो उसकी जांच करा लूंगा।

श्री शंकर सिंह--

इससे स्पष्ट होता है कि सीमेन्ट की कमी के कारण कार्य नहीं रुका तो इसके माने यह है कि जितनी भी पुरानी शिकायतें रही होंगी नालियां, पाइप लाइनों के खराब होने की वह सब दूर हो गई होंगी, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इधर जो नालियां टूटी पड़ी थी उन सब की मरम्मत करा दी गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह तो मैं नहीं कह सकता। अगर माननीय सदस्य जानकारी करायेंगे, तो मैं जांच जरूर करा लूंगा।

रूस एवं जर्मनी में बांध बनाने की प्रणाली को प्रदेश में लागू किये जाने की मांग

*7--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बात की जानकारी करेंगे कि रूस, जर्मनी आदि विकसित देशों में किसी नदी पर बांध बनाने की योजना का बिस्तृत विवरण पहले तैयार करके तब बांध बनाने का काम केवल तीन वर्षों में पूरा कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बांध बनाने की इस प्रणाली को उत्तर प्रदेश में लागू करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बांध के निर्माण को पूर्ण करने में लगने वाला समय बांध की क्षमता, बांध के प्रकार, उसके आकार तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शासन को ही ऐसी जानकारी नहीं है कि रूस, जर्मनी आदि विकसित देशों में बांध बनाने का काम केवल तीन वर्षों में पूरा कर दिया जाता है। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विदेशों से सूचना मंगानी पड़ेगी जिस पर काफी धन एवं समय लगने की सम्भावना है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि मेरा प्रश्न देखा जाय और इनका जो उत्तर आया है, उसे देखा जाय। मैंने यह पूछा था कि क्या सिंचाई मन्त्री केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बात की जानकारी करेंगे कि रूस, जर्मनी आदि विकसित देशों में किसी नदी पर बांध बनाने की योजना का विस्तृत विवरण पहले तैयार करके तब बांध बनाने का काम केवल तीन वर्षों में पूरा कर दिया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार से जानकारी की बात मैंने कही थी। माननीय मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार को एक पत्र नहीं लिख सके। अभी एक हफ्ते के अन्दर ही "टाइम्स आफ इन्डिया" में केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री जी का एक बयान आया है कि विदेशों में 3 साल में बांध तैयार कर लिये जाते हैं, जब कि हिन्दुस्तान में 15

वर्ष तक का समय लग जाता है । हम 7 साल से ज्यादा का समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर केन्द्रीय सरकार से यह पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी प्रणाली या टेक्निक है, जिसके द्वारा इतने समय में बांध तैयार किया जा सकता है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब हम बड़े-बड़े बांध बनाते हैं, तो जो विदेश के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय लेते हैं । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसकी भी जानकारी कर लेंगे । यदि कोई ऐसी प्रणाली या टेक्निक है, जिससे फायदा होता है, तो, हमें उसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी भी केन्द्रीय मन्त्री से करेंगे कि केन्द्र सरकार किसी ऐसी प्रणाली या टेक्निक के विषय में, जिससे कि बांधों के निर्माण का काम शीघ्र पूरा हो जाता हो, जानकारी विदेशों से मंगा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह तो मैं केन्द्र सरकार को लिखूंगा कि जो माननीय सदस्य की भावना है । जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वे सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद होते हैं । वह भारत सरकार के प्लानिंग और सेण्ट्रल वाटर पावर कमीशन इसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जायगा और कैसे इकोनामी हो सकती है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से इस बात की जानकारी चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की कोई प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और उसके लिए इनाम रखेंगे इन्जीनियर्स के लिये कि वे कोई ऐसा सुझाव दें कि कम समय में इ,स काम को पूरा किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ चुका है ।

*8--श्री नन्द किशोर सिंह--

[28-1-81 को तारांकित प्रश्न सं0 10 द्वारा उत्तरित ।]

जेल कर्मचारियों का अनशन एवं मांगें

*9--श्री गौरी शंकर भैय्या (अनुपस्थित)--

क्या कारागार मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के समस्त कारागारों के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट से लेकर बन्दी रक्षक तक दिनांक 29-11-80 से अपनी मांगों के समर्थन में क्रमिक अनशन पर बैठे और 15 दिसम्बर, 1980 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी नहीं।

परन्तु कुछ जेल कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में अनशन पर बैठे।

वार्ता के फलस्वरूप 15-12-1981 से कोई हड़ताल नहीं हुई।

उनकी मांगें थीं--

(1) पुलिस कर्मियों के समान वेतन दिया जाना।

(2) एक माह का अतिरिक्त वेतन अथवा तदर्थ सहायता दिया जाना।

(3) वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाना।

(4) आवास की व्यवस्था किया जाना।

(5) कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिये बसों की व्यवस्था किया जाना।

(6) वार्डरों के कार्य के घंटों में कमी किया जाना।

(7) सुरक्षा हेतु कर्मचारियों को आग्नेयास्त्र दिया जाना।

(8) सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना।

(9) अर्थ दण्ड की समाप्ति।

(10) जमानत का न लिया जाना।

(11) पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाना।

(12) लीव रिजर्व वार्डरों को वर्दी दिया जाना।

(13) परामर्श दात्री समिति का गठन किया जाना।

(14) जेल आयोग का गठित किया जाना।

मांग संख्या 2, 3, 5, 6, 8, 9 एवं 12 पर निर्णय हो चुका है तथा शेष विचाराधीन हैं।

राजकीय संरक्षण गृह, आगरा के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की निरीक्षण रिपोर्ट

*10--श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

क्या सरकार को मालूम है कि डा0 आर0 एस0 सोढ़ी, महामंत्री, समाजिक स्वास्थ्य संघ, आगरा की प्रार्थना पर आगरा के जिला एवं सेशन जज के आदेश पर चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, आगरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित राजकीय संरक्षण गृह का निर्माण निरीक्षण दिनांक 17-11-80 को किया था? यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)--

जी हां ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की निरीक्षण आख्या दिनांक 23-12-80 को निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को प्राप्त हुई । निरीक्षण आख्या में वर्तमान भवन को बदलने, मानसिक रूप से तथा क्षय रोग से पीड़ित संवासियों को अलग रखने तथा उनके इलाज की उचित व्यवस्था, संस्था के लेखों का परीक्षण, संवासियों को भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा की उचित व्यवस्था, कर्मचारियों पर कठोर नियंत्रण, शौचालय, स्नानागार का समुचित व्यवस्था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वीक्षक मंडल का सदस्य नामित करने तथा कल्याणकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने तथा संस्था के रख-रखाव में वीक्षक मण्डल का परामर्श प्राप्त करने के सुझाव दये गये हैं । निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निदेशक द्वारा कार्यवाही का जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संवासी गृह में कितनी लड़कियां अवैध रूप से रखी जा रही हैं और क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, कोई लड़कियां इसमें अवैध रूप से नहीं रखी जा रही हैं । कोर्ट से जो भेज दी जाती हैं, वही इसमें हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि महिला संरक्षण गृह में जो रखी जाती हैं, वे मैजिस्ट्रेट के वारन्ट पर रखी जाती हैं, तो जो 21 अवैध लड़कियां रखी गयीं बिना वारन्ट के, वह किसके आदेश से रखी गयीं ?

श्री अध्यक्ष --

इसका उत्तर तो दे दिया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जो अवैध तरीके से रखी जा रही हैं उनके नाम मैं बता सकता हूं । हीरा, तुरमा, पदमा, शांति, विवना, भक्ति, वीना, बेला आदि जो लड़कियां महिला संरक्षण गृह में हैं वह किसके आदेश से रखी गयी हैं ।

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, इसकी हम जांच करवा लेंगे । वैसे कोर्ट के आदेश से वहां रखी जाती हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने इस केन्द्र का स्वयं निरीक्षण किया है जो मानसिक रूप से पीड़ित लड़कियां हैं वह अन्य लड़कियों के साथ एक जगह पर रखी जाती हैं, इससे जो वहां की सुपरिन्टेडेंट हैं, उनके सामने बड़ी प्राब्लम क्रियेट हो जाती है, तो जैसा रिकमेन्डेशन में आया है उसके अनुसार जो मानसिक रूप से पीड़ित लड़कियां हैं, उनको अलग रखने की तुरन्त कार्यवाही करेंगे यदि उनको अलग रखने की कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जैसा माननीय सदस्य जी ने सुझाव दिया है, इसको हम दिखवा लेंगे और जो सम्भव, उचित हो सकेगा वह करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी० जे० एम० की रिपोर्ट आ गयी है । क्या उसमें लिखा है कि कितनी लड़कियों को टी० बी० हो गयी है और कितनी लड़कियां पागल हैं और कितनी लड़कियों के रखे जाने की जगह है ? इस पर कई दफे निदेशक की जांच भी हुयी है, तो क्या मन्त्री जी वहीं की अधीक्षिका जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, इसमें 75 संवासिनियों की जगह है और 81 रह रही हैं । इसको लिखवा रहे हैं कि कौन सी संवासिनी ऐसी है जिनके बारे में कोर्ट के अनिश्चित आदेश हैं । यह आदेश निश्चित हो जायं तो उनकी संख्या कम हो जाय ।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, मंत्री जी वहां अवैध लड़कियों के रखने के पक्ष में हैं या नहीं उनकी क्या मंशा है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सोंढी जी की रिपोर्ट पर सी० जे० एम० ने जांच की और गड़बड़ियां पायी, तो वहाँ की अधीक्षिका के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जैसा हमारे अग्रवाल साहब ने कहा है, जांच दो अधिकारियों ने की है । माननीय सी० जे० एम० साहब ने की और ए० डी० एम० (सी) ने जांच की । दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं । एक संतोषजनक कह रहे हैं और एक दूसरी बात कह रहे हैं, तो इसको हम दिखवा रहे हैं ।

राजकीय संरक्षण गृह, आगरा की निरीक्षण रिपोर्ट

*11—श्री महेश उपाध्याय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि सामाजिक स्वास्थ्य संघ आगरा की प्रार्थना पर जिला जज के आदेशानुसार मुख्य न्यायाधीश, आगरा ने 17-11-80 को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय संरक्षण गृह, आगरा का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट जिला जज को दी और उन्होंने इस रिपोर्ट को जिला अधिकारी, आगरा को भेज दी क्या यह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो इसके अनुसार क्या कार्यवाही हुई ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की निरीक्षण आख्या को जिला जज आगरा ने अपने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 15-12-1980 के साथ जिलाधिकारी, आगरा को भेजा जिसकी प्रतिलिपि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को दिनांक 23-12-1980 को प्राप्त हुई। उक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार मामले में निदेशक द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद जिले की टाण्डा थिरुआ ड्रेन की सफाई

*12--श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा जनपद फैजाबाद की टांडा थिरुवा ड्रेन की सफाई हेतु 1977-78 में धनराशि स्वीकृत हुई थी तथा क्या स्वीकृत धनराशि का प्रयोग किया जा चुका है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के कृषि प्रसार निरीक्षकों की नलकूप चालकों के पद पर पदावनति

*13--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1962 से 1973 के मध्य सिंचाई विभाग के अधीन 550 स्नातक सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी और बाद में एक पद समाप्त करके इन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कूपचालक के पद पर पदावनति कर दी गई ? क्या यह भी सत्य है कि इन कर्मचारियों को पदावनति की तिथि से अब तक एक भी वेतन वृद्धि नहीं दी गई और वर्ष 1980 में इनमें से 200 कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में समायोजित कर लिया गया ? क्या शेष कर्मचारियों को भी शीघ्र समायोजित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लिफ्ट सिंचाई योजना, सोनारों, जौनपुर के चौकीदार श्री सोमारू राम की सेवा समाप्ति

*14--श्री जंगबहादुर--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि सोमारू राम चौकीदार, सोनारों लिफ्ट जौनपुर की नियुक्ति 19-9-70 को रु0 165-215 के वेतनमान पर की गई थी तथा 16-9-78 को बिना पर्याप्त कारण के उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया तथा मस्टर रोल पर 9 महीने निःशुल्क कार्य करा कर पुनः रु0 120-170 वेतनमान पर नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार 9 माह की मजदूरी तथा रु0 165-215 का वेतनमान उसे दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, इनकी नियुक्ति 19-9-70 को 90 रु0 संहत वेतन पर हुयी थी 1-1-75 से पद का संहत वेतनमान रु0 165-215 हो गया। जिसमें वेतन के अतिरिक्त कोई महंगाई भत्ता देय नहीं था।

इनकी सेवायें 1-12-78 से बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण समाप्त की गयी।

लिखित क्षमायाचना मांगने पर उन्हें लगभग 5 माह मस्टर रोल पर रखने के बाद 8-5-79 से रु0 120-170 के चालू वेतनमान जिसमें वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय है, रख लिया गया। मस्टर रोल खो जाने के कारण वेतन का भुगतान नहीं हो सका है।

रु0 163-215 के संहत वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वेतन मान रु0 120-170 में महंगाई भत्ता अलग से देय है और इसकी परिलब्धियां 165-215 संहत वेतन से अधिक हैं।

श्री जंगबहादुर—

मान्यवर, प्रश्न में यह भी पूछा गया था कि जितने दिन मस्टर रोल पर काम किया है, उसके भुगतान का क्या व्यवस्था की जायेगी जिनका उत्तर नहीं दिया गया है। दूसरी चीज मस्टर रोल, जैसा उत्तर में बताया गया है कि खो गया है, यदि खो गया है, तो उसका रखाने की जिम्मेदारी किसी की है और उसके खिलाफ क्या कोई मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जितने दिन काम, 5 माह जो दिया हुआ है, किया है मस्टर रोल पर तो उसको वेतन दे दिया जायगा। साथ ही जो मस्टर रोल खो गया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि मस्टर रोल खो गया है, तो यह स्थिति पूरे प्रदेश में है और जो गरीब मस्टर रोल पर काम करते हैं, उनको इससे वेतन नहीं मिलता है। इस लिए क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवेंगे और आश्वासन देंगे कि मस्टर रोल को जो सुरक्षित नहीं रखेंगे उनको सजा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच करा लेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

मैनपुरी जिले के नहरी क्षेत्र में नलकूप निर्माण की मांग

*15—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो जमीन सिंचाई के लिए नहर के कमान्ड में आती है उस पूरी जमीन में सिंचाई विभाग पानी नहीं पहुंचा पाता है ? यदि हां तो वहां सरकारी ट्यूबवेल लगाने की छूट देने की कृपा करेंगी जिससे कि काश्तकारों का फसलें न सूख सकें ? यदि हां, तो कब तक आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र को नहर के कमान्ड से निकाले जाने में आपत्ति नहीं है । राजकीय नलकूप लगाने के लिए लगभग 100 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना आवश्यक है तथा नलकूपों के एक कलस्टर बन जाने की संभावना भी होनी चाहिए। इसके लिए किसी अन्य शासकीय आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

सिंचाई विभाग में सहायक भण्डार अधीक्षक के रिक्त पद

*16--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सहायक भन्डार अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं ? सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर जो विद्युत एवं यांत्रिक में डिप्लोमा पास है को सहायक भन्डार अधीक्षक के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

50 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं । प्रोन्नति के संदर्भ में डिप्लोमा धारकों तथा जो डिप्लोमाधारक नहीं है के बीच कोई भेदभाव किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि सिंचाई विभाग में सहायक भन्डार अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं ? और दूसरा प्रश्न जो है जिससे मेरा मतलब है कि उनके पदोन्नति के बारे में मन्त्री जी ने कोई जानकारी नहीं दिया है और उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी ने उत्तर में बताया है कि 50 पद रिक्त है ।

श्री सोमांश प्रकाश--

सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर जो डिप्लोमा पास हैं, उनके पदोन्नति का सवाल है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब भी उत्तर में लिखा है कि भेदभाव किया जाना संभव नहीं है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 की धनराशि

*17--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के किन-किन क्षेत्रों में इम्प्लाइज प्रावीडेण्ट फंड का पैसा आयुक्त के पास जमा करके प्रमाण, पत्र प्राप्त किया है ? क्या वह सत्य है कि

कर्मचारियों से पैसा काटने के बाद भी लखनऊ क्षेत्र में सन् 1973 से इम्प्लाईज प्रावीडेन्ट फन्ड में पैसा नहीं जमा किया गया है ? क्या शासन दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

परिवहन निगम ने सभी क्षेत्रों का कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा स्टेट बैंक आफ इन्डिया में समय-समय पर कर्मचारी अंश का चालान द्वारा जमा कर दिया है । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस धनराशि की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता बल्कि वहां से सीधे लेखा पर्ची डिपो क्रम अथवा कार्यालय क्रम से प्राप्त होती है, जो कर्मचारियों में वितरित कर दी जाती है ।

वर्ष 1973 से उक्त फन्ड में लखनऊ क्षेत्र में कर्मचारियों का अंशदान जमा किया जाता रहा है । अतः किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो सरकारी जवाब पढ़कर सुनाया है, उसके संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि मार्च, 1973 से मार्च, 1981 के बीच में क्या किसी भी ऐसे कर्मचारी का नाम बता सकते हैं, लखनऊ क्षेत्र में, जिसको एक भी पर्ची मिली हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, अभी नियम है कि सभी को पर्ची मिलती है, यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं मिली है, तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, जानकारी का यह प्रश्न नहीं है । आधारभूत मुद्दों का यह प्रश्न है और इसमें परिवहन निगम के अधिकारियों के बीच में घोटाला है । इसलिये क्या मंत्री जी इन सम्बन्धित अधिकारियों को, जिन्होंने गोलमाल किया है, उनको दंडित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है । अभी इसमें कहा गया है कि बराबर जमा होता आ रहा है, लखनऊ में जरूर थोड़ा सा विलम्ब हुआ है । लखनऊ क्षेत्र में मई के बाद से 81 तक इधर लास्ट महीनों में कुछ विलम्ब हुआ है, बाकी बराबर जमा होता आ रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, यह प्रश्न विलम्ब का नहीं है, मूलभूत त्रुटियों का है । उत्तर में कहा गया है कि बराबर पैसा जमा होता रहा है पर्चियां वितरित कर दी जाती हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई ठोस घोषणा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध वे क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो जरूरी में आया है कि पैसा बराबर जमा हो रहा है । पैसा स्टेट बैंक में जमा होता है, कोई ऐसे-वैसे तो जमा नहीं होता कि उसमें कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश हो । माननीय सदस्य यदि कोई बात ऐसी बतायेंगे, मैं फिर जांच करा लूंगा ।

आदर्श शिशु विद्या मन्दिर बारूदखाना, लखनऊ का अनुदान

*18—श्री भोलालाल (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श शिशु विद्या मंदिर, बारूदखाना, लखनऊ को भारत सरकार के पत्र संख्या 88-13 (9)/79 सी० एच० आर०, दिनांक 8-2-80 के द्वारा 8,078 रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ था और संस्था के मैनेजर ने बांड फार्म जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ से सत्यापित कराकर 5-9-80 को निदेशालय में दाखिल कर दिया था, लेकिन अभी तक उक्त धन का भुगतान संस्था को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां ।

मार्च सितम्बर, 1980 से स्वीकृत अनुदान के भुगतान में निदेशालय स्तर पर कुछ विलम्ब हुआ है जिसके लिये सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है । वैसे संस्था के मैनेजर को अनुदान प्राप्त करने के लिये जनवरी से अब तक दो बार लिखित रूप में, सूचना भेजी जा चुकी है । इसके बाद मेरे आदेश से सम्बन्धित अधिकारी अनुदान का धन लेकर मैनेजर के पास स्वयं गये किन्तु उन्होंने भुगतान लेने से इन्कार किया ।

जयन्ती बांध, इटावा से ग्राम लक्ष्मीपुर को क्षति

*19—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की मऊ तहसील के ग्राम लक्ष्मीपुर, (लोरी) के श्री अवधेश राय सिंह आदि 12 व्यक्तियों ने अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग, बांदा एवं जिलाधिकारी, बांदा को 7-9-80 को रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र देकर और 1-9-80 को जिलाधिकारी, बांदा को तार भेज कर शिकायत की थी कि जयवन्ती बांध, इटावा, तहसील मऊ के अधिकारियों की गलती एवं लापरवाही से बांध के पानी से उनके कई घर डूब गये, लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई तथा कई मवेशी मर गये ? यदि हां, तो पीड़ितों की क्षति पूर्ति अभी तक क्यों नहीं की गई और दोषी अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया गया ? क्या ग्रामवासियों को पुनः बसित करने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊबल--

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये आप निर्देश दे दें या तो मंत्री जी बता दें कि इस सत्र के चलते पूरी सूचना आ जायेगी और जिनको क्षति हुई है, उनको कुछ आपूर्ति कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

15 दिन के बाद तो इस सत्र में आ ही जायेगा ।

श्री ऊबल--

आप ही निर्देशित कर दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अगले बुधवार को पूरी सूचना के साथ उत्तर दे दूंगा ।

*20--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[28-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 171 द्वारा उत्तरित ।]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर के मजदूरों का मुकदमा एवं अनशन

**1--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार में 92 मजदूरों की मांगों पर इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इलाहाबाद ने केस नं0 9/79 में फैसला किया कि इन मजदूरों को मिल का रेगुलर सीजनल मजदूर सीजन 1978-79 के प्रारम्भ से समझा जाय और इनको सारी सुविधाएं दी जायं ? क्या यह सत्य है इस निर्णय को वर्तमान रिसीवर (जिलाधिकारी गोरखपुर) के न मानने पर इन मजदूरों ने रिसीवर के निवास स्थान पर दिनांक 26-1-81 से आमरण अनशन करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

जी हां, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का ऐसा फैसला था, जिसके विरुद्ध मिल के रिसीवर द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई है, जो अभी विचाराधीन है । प्राप्त सूचना के अनुसार 26-1-81 से रिसीवर के निवास स्थान पर कोई आमरण अनशन नहीं हुआ और न ही आमरण अनशन पर बैठ जाने की कोई सूचना मिल के अधिकारियों को नियमानुसार दी गई । मिल गेट पर एवं जिलाधिकारी के निवास पर इन श्रमिकों ने प्रदर्शन एवं धरना की कार्यवाही अवश्य की है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उक्त मामले में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मिल के ऊपर मजदूरों का कितना पैसा बकाया है तथा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो उच्चन्यायालय में 4-2-80 को रिट संख्या 1300 के अनुसार फैसला क्या है कि मजदूरों का वेतन मिल दे दे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, कितना पैसा बकाया है, इस बात की सूचना तो एकत्र करानी पड़ेगी और जो न्यायालय का फैसला हुआ है, वह आपने सही कहा, उससे मैं अवगत हूं और जहां तक उसके कार्यान्वयन कराने का सवाल है, चूंकि बहुत बड़ी सप्लीमेन्टरी न पड़े और बहुत सारे सवाल न किये जायं और प्रश्नकर्ता तथ्यों से अवगत हो जायं, हमलोग इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो निर्णय हुआ है उसके अनुरूप हम मजदूरों की मदद कर सकें ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि मजदूरों का जो रुपया फैक्ट्रीज पर बकाया होता है और अन्तिम रूप से फैसला कोर्ट का हो जाय कि यह रुपया दिया गया है, तो ऐसे केसेज में क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उस रुपये की देनदारी सरकार अपने ऊपर ले ले और बाद में फैक्ट्रीज से वसूल करती रहे क्योंकि फैक्ट्रीज भी उनके अन्तर्गत ही चलायी जा रही हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह सही बात है । जैसे कि इस मिल का मामला है इसकी जर्जर अवस्था के कारण ऐसी स्थिति में यह मिल नहीं है कि पैसे का भुगतान कर सके, लेकिन इसके लिये हमने वित्त विभाग को पत्रावली भेज कर प्रयत्न किया है और आग्रह किया है । अगर हमें मदद (धन की) मिलती है तो हम मजदूरों का भुगतान शीघ्र कर देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मान्यवर, यह कहना कि आमरण अनशन नहीं चल रहा है लेकिन अनशन चल रहा है और पिछली 3 तारीख तक तो मैंने स्वतः देखा कि गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो रिसीवर भी है, के निवास स्थान पर मजदूर अनशन पर थे क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अनशनकारी एक मजदूर की मृत्यु भी हो गई है ? क्या यह सच है और अगर सच है, तो इस सम्बन्ध में कौन सा दोषी अधिकारी है जिसकी लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई , क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और उसके खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक व्यक्ति जो अनशन पर बैठा बताया जाता है, उसकी मृत्यु हो गई, ओझा जी का यह कहना सत्य है लेकिन किसके दोष और वजह से हुई यह बात तो मान्यवर, मैं स्वयं समझ नहीं पाया हूं अलबत्ता पत्रावली पढ़ने के बाद और जो जांच रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की उससे यह पता चला कि वह व्यक्ति गैस्टिक अलसर से पीड़ित था और टी० बी० का मरीज भी था और

क्रमिक अनशन पर बैठने के कारण उसके शरीर से अधिक रक्त श्राव हो गया और मुंह से काफी खून गिरने के बाद जब वह शौच के लिए गए तो उन्हें खांसी का थुक्का आया और वहां उसकी मृत्यु हो गई, यह बात सत्य है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, इसे मैंने 301 में भी उठाया था और मेरी निश्चित जानकारी है कि अनशन पर बैठने से वह ठंड और भूख से मरा है, क्या यह सही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह बात ठीक नहीं है । आपने मुझे एक पत्र लिखा था और उस पत्र के उत्तर में आपको बता दिया गया है कि जैसा आप कह रहे हैं, उस तरह से उसकी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि जो मैं कह रहा हूं उसी तरह से उसकी मृत्यु हुई है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस मजदूर की मृत्यु हुई है वह कितने दिन अनशन पर रहा और मंत्री जी यह देखते हुए कि उसकी मृत्यु हो गई है, क्या यह कृपा करेंगे कि उसके परिवार को कुछ मुआवजा दिला दें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, दो बातें कही गई एक तो यह कि वह कितने दिन से अनशन पर बैठा था, तो इस बात की जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जैसा आपने दूसरा प्रश्न किया है कि क्या उसके परिवार को कुछ मुआवजा दिला देंगे और शायद प्रश्नकर्त्ता सदस्य की भी यही मंशा है तो यदि कोई मदद की जा सकेगी तो मान्यवर, नियमानुकूल इसका परीक्षण करा लूंगा और अगर किसी भी तरह की सहायता की जा सकती होगी तो मान्यवर, मुझे उसमें कोई उस व्यक्ति से नाराजगी तो है नहीं और मानवता के आधार पर मदद करना कोई बुरी बात भी नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद ने क्या निर्णय दिया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी प्रतिलिपि मंगा कर सदन को सूचित कर देंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह जो मजदूर था जब वह क्रमिक अनशन पर बैठा तो वो पहले से ही बीमार सा मालूम होता था जैसा बताया कि टी० बी० से पीड़ित था । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिसीवर या जो और वहां मेडिकल आफीसर वगैरह थे, उन्होंने कोई प्रयास इस तरह का किया कि उसका मेडिकल टेस्ट हो, उसको इस बात की सलाह दी हो कि तुम्हारी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं है अनशन पर बैठना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य, मुरादाबाद, सम्भवतः यह जानना चाहते हों कि पहले से इस विषय में किसी ने बात की या नहीं। पहले क्या बात हुई थी, वह पता नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो जांचकर्ता एस0 आई0 थे, जिन्होंने जांच की उन्होंने उसके पिता से बात की। पिता से बात करने पर यह पता चला कि वह टी0 बी0 का पेसेन्ट था और उसके पेट में तकलीफ थी। उस स्थिति में जबकि वह अस्वस्थ था लोगों ने उसे घेर कर अनशन पर बिठला दिया। प्रातः पांच बजे जब वह अपने दिशा शौच के लिए गया, तो वहीं उसको खांसी आई और उसके मुंह से रक्त स्राव बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। एस0 आई0 ने जो जांचकर्ता थे उसकी पंचनामा भरा और उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जो लिखा गया उसके आधार पर यह साबित होता है कि उसकी मौत गैस्ट्रिक अलसर के फूटने और रक्त स्राव की वजह से हुई।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनशन पर बैठा बताया जाता है : यह इस बात का सबूत है माध्यवर, कि शासन तथ्यों को छुपा रहा है और शासन मृत्यु की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अनशन की प्रक्रिया है। जो अनशनकारी अनशन पर बैठता है, तो स्वास्थ्य अधिकारी उसका मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं। अगर वह मेडिकली फिट नहीं होता है, तो डाक्टर कह देता है कि वह अनशन के योग्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से आश्वासन चाहता हूं क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और एक व्यक्ति के जीवन का सवाल है। क्या मंत्री जी तमाम मामले की पुनः जांच करा के जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे? मेरी निश्चित जानकारी है क्योंकि मेरे पड़ोस की जगह है, मैं वहां हो आया हूं, वहां के अधिकारी की लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई। जो वहां पर रिसीवर था उसने इतनी शिष्टता भी नहीं अपनाई कि अनशनकारी से बात करे। निश्चित रूप से उसकी मृत्यु लापरवाही के कारण हुई है।

श्री भानु प्रताप सिंह--

अगर नियमानुसार नोटिस दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति वहां अनशन पर बैठ रहा है, तो अनशनकारी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है जैसा कि मुझे अपने क्षेत्र के उद्योग में काम करने वाले अनशन करने वाले लोगों की स्थिति से पता है। अब इस प्रकार की नोटिस इसमें तो नहीं दी गई। श्रमिक अनशन कर रहे थे, कभी दो बैठे, कभी एक बैठा, सुबह से दोपहर तक एक बैठा और दोपहर को उठ गया, इस प्रकार की श्रमिक स्थिति थी और किसी प्रकार के तथ्य छिपाने की बात सरकार की तरफ से कभी नहीं होती है और मुख्यतया जितने भी मेरे मंत्रि-परिषद् के साथी हैं इस प्रकार की बातों में हम लोगों द्वारा तथ्य छिपाने का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। उस व्यक्ति से कोई नाराजगी नहीं है, जो रिसीवर है उनसे कोई रिस्ता भी नहीं है।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा कि फैक्टरी की जर्जर अवस्था होने के कारण वित्त विभाग को लिखा गया है और उससे मांग की है, अगर उन्होंने मदद की तो वहां के कर्मचारियों को सहायता दी जा सकेगी और जैसा कि हमारे सहाय जी ने

कहा है कि उसकी मृत्यु हुई वह भूख और ठंड के कारण हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि इस तरह की स्थिति वहां पर है, तो निश्चय ही वहां के मजदूर भूख की पीड़ा से पीड़ित होंगे और कोई भी मरने की स्थिति में आ सकता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की दलील देकर सरकार और जनता को गुमराह करने का काम करेंगे या तुरन्त वहां पर उनके लिए अर्थ व्यवस्था का प्रबन्ध करेंगे और मजदूरों को वेतन दिलाने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

सम्भावनाओं पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, इस मजदूर की शुगर मिल में मृत्यु हुई है और निश्चित रूप से इसके परिवार वालों का एक आर्थिक स्रोत कम हो गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके आश्रितों को इस मिल में या अन्यत्र कोई वैकल्पिक नौकरी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, हमारे यहां ऐसी प्रथा है कि जो नियमानुकूल लगे हुये कर्मचारी हुआ करते हैं और कार्यरत स्थिति में उनकी अगर मृत्यु हो जाया करती है, तो उनके योग्य वारिसों को फैक्टरी में काम देने की व्यवस्था हम किये हुए हैं । इस विषय में भी जांच करके जैसी स्थिति होगी, वह किया जायेगा ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 92 मजदूर हैं, जिनमें से 19 मजदूर 12 दिसम्बर से मिल के गेट पर अनशन कर रहे थ और 26 जनवरी से जिलाधिकारी, गोरखपुर के बंगले के सामने अनशन कर रहे थे और 12 दिसम्बर से 14 दिसम्बर के बीच इस मजदूर की मृत्यु हुई है, तो इस बीच सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, 14-15 दिसम्बर की प्रातः को इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है । यह जो आप कहते हैं और जो मैंने उत्तर दिया है उसमें बहुत बड़ा अन्तर नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, 19 मजदूर 12 दिसम्बर से अनशन कर रहे थे उनमें से एक व्यक्ति 14 दिसम्बर को मर गया तो 14 फरवरी तक उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जब से ये अनशन कर रहे थे, तो उन्होंने कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया था । 10-20 आदमियों ने प्रदर्शन किया और रिसीवर को अपना मांग-पत्र दिया और चले गये । ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिसमें यह कहा जा सके कि वहां पर नियमानुसार कोई कार्यवाही की जा रही थी ।

श्री केदार नाथ सिंह--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मांग-पत्र मजदूरों ने दिया उसमें उन्होंने अनशन की बात नहीं लिखी थी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मेरे पास इस समय मांग-पत्र तो है नहीं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, अश्वत्थामा हतः, नरोवा कुंजरोवा । इस सदन में कानून बनाने वाले बैठे हुए हैं और उसको क्रियान्वित करने वाले भी बैठे हुए हैं । हम लोग उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम सोचेंगे । सरकार कहती है कि हम श्रमिकों के हितैषी हैं । प्रजातंत्र में अनशन करने का अधिकार हमको है, उनके आश्रितों को नौकरी आपको देनी चाहिए । इसलिए आप स्पष्ट घोषणा कर दें कि अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कह दीजिए नहीं दे सकते ।

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(श्री केदार नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी, आप बैठिये ।

श्री केदार नाथ सिंह--

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनशन की सूचना नहीं थी तो वह किस आधार पर कही जब मंत्री जी कहते हैं कि मांग-पत्र दिया तो क्या उस मांग-पत्र में उसकी नोटिस नहीं थी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अनशन का आधार तो यह होता है कि जो मजदूर होते हैं, उनकी कोई यूनियन होती है, आमतौर पर, लेकिन अगर नहीं होती है, वह समूह बनाकर मांग-पत्र देते हैं । मैंने कहा चूंकि मेरे पास मांग-पत्र नहीं है । तो जब वह मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे कह दूं, मैं सदन को कोई गुमराह नहीं करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर काफी प्रश्न हो गये हैं ।

बेलन बकहर परियोजना, मिर्जापुर के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

**2--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलन बकहर पोषक नहर परियोजना पर सिंचाई निर्माण मण्डल, मिर्जापुर द्वारा 50 लाख रुपयों के गबन तथा दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर 12 दिसम्बर, 1980 को मुख्य मंत्री ने

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने एवं जांच में अड़चन न हो इसलिए सिंचाई मंत्री को वर्तमान अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्य मंत्री जी ने बेलन बकहर परियोजना, मिर्जापुर के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच के आदेश दिये थे । तदनुसार आदेश 7 जनवरी, 1981 को जारी किये जा चुके हैं । स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आदेश मुख्य मंत्री जी द्वारा पारित नहीं किये गये थे ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस प्रार्थना-पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे, उसी में यह आदेश भी है कि सिंचाई मंत्री जी वर्तमान अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दें, ताकि जांच ठीक से हो सके । तो क्या उस नोट को मंत्री जी देखने की कृपा करेंगे अगर इनके पास न हो, तो मैं दे दूंगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जैसा मैंने उत्तर में कहा यह उपलब्ध नहीं था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, ऐसा देखा गया है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच होती है, उसको उस स्थान पर नहीं रखा जाता है ताकि जांच निष्पक्ष हो, तो क्या ऐसा नियम बनाने पर विचार करेंगे कि गबन के मामलों में जब सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाय, तो सम्बन्धित अधिकारी को उस स्थान पर न रखा जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसा नियम नहीं है अगर जांच करने वाला अधिकारी लिखता है कि इसे हटाना जरूरी है, तो उस पर विचार होता है ।

श्री ऊदल--

मैंने पूछा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे, तो क्या उस प्रश्न पर विचार करेंगे क्योंकि वहां रिकार्ड में हेराफेरी हो रही है, तो मुख्य मंत्री जी के आदेश को देखते हुए तत्काल उन अधिकारियों को वहां से स्थानान्तरित कर देंगे ताकि जांच प्रभावित न हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, विजिलेन्स तो खुली जांच कर रहा है । अगर विजिलेन्स के लोग चाहते हैं कि उनके काम में व्यवधान पड़ता है और जांच ठीक से नहीं हो सकती तो वह लिखेंगे उस पर हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री गौरी शंकर भैया--

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायती-पत्र में साफ इलजाम लगाये गये हैं कि 50 लाख रु० का गबन किया गया है, तो उसी के आधार पर सतर्कता विभाग को यह सौंपा गया । इतनी बड़ी घटना होने के बाद उन अधिकारियों का स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, मैं बता चुका हूं कि जब विजिलेंस जांच करता है तो वह लिखता है कि इनको हटा दिया जाय ताकि जांच निष्पक्ष हो सके ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का पत्र क्य माननीय मंत्री जी को मिला है ? यदि मिला है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे कि विजिलेन्स से जांच करवा ली जाए, वह लिखा था, उस पर आदेश जारी हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जैसा कि माननीय ऊधल जी ने चार्ज लगाया है वहां भ्रष्टाचार मिला है, यह मामला जब उन्होंने सीधा भष्टाचार का लगाया है, तो उन अधिकारियों को अब तक वहां रखने का औचित्य क्या है ? उनकी मौजूदगी से क्या सही तथ्य सामने आयेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री खैरूल बशर--

वहां पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, जिससे वहां व्यापक असन्तोष है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच का काम अभी शुरू हुआ है या नहीं और जल्दी से जल्दी वह रिपोर्ट कब तक दे देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब विजिलेंस को जांच दे दी गई तो उसमें अब असन्तोष की कोई बात नहीं है । अब कितना समय लगे, कोशिश जल्दी की जाती है, लेकिन जब तक आ न जाए, तब तक कैसे कहा जाए कि कब तक आ जाएगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने किये हैं, वह आदेश आपके पास आए । हो सकता है कि चूंकि विजिलेंस की जांच के आदेश किये, वह पत्र विजीलेंस विभाग के पास चला गया हो और सिंचाई विभाग को न आया हो, तो क्या वह ओरिजनल पत्र मंत्री जी के पास आया, यदि आया तो क्या वह उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ? यदि विजिलेंस के पास है ? तो क्या वह उससे यह जानकारी करा लेंगे कि जैसा ऊधल जी ने कहा है, उसके आदेश उस पर किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह चीज उसी विभाग को गई है, अब तक की जो जानकारी है, उस पर ऐसे आदेश नहीं है, लेकिन ऊधल जी कह रहे हैं, तो उस पर जांच करवा लूंगा ।

नोट :--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री अकबाल हुसैन--

[5वें सोमवार में अतांराकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

परिवहन विभाग से राज्य सड़क एवं परिवहन निगम के बसों, ऋण एवं पूंजी का हस्तान्तरण

2--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को राजकीय परिवहन विभाग से कितनी बसें व कितनी पूंजी व कितना ऋण हस्तान्तरित हुआ था और उस समय किराये की दर क्या थी ? 31 दिसम्बर 1980 को राज्य सड़क परिवहन निगम के पास कितनी पूंजी और कितना ऋण तथा कितनी बसें थीं और किराये की दर क्या थी ? राज्य परिवहन की बसों की औसत उम्र हस्तान्तरित होते समय क्या थी और उनकी मेन्टीनेन्स पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च होता था और 31 दिसम्बर, 1980 को उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम की बसों की औसत उम्र क्या थी और उनके मेन्टीनेन्स पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वांछित तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है --

	वर्ष 1972 में	वर्ष 1980 में (31-12-1980)
बसों की संख्या	4306	5745
पूंजी अंशदान	1200.00 लाख रु0	3646.50 लाख रु0
ऋण	2109.47 लाख रु0	3829.84 लाख रु0
बसों की औसत उम्र--	लगभग 4.1 वर्ष	5·3 वर्ष
रख-रखाव पर व्यय	35, 30, 616 रु0 (वेतन एवं भत्ते)	4, 71, 15, 262 रु0 (वेतन एवं भत्ते)
	78, 38, 566 रु0 (स्पेयर पार्ट्स टायर= ट्यूब इत्यादि)	10, 64, 71, 448 (स्पेयर पार्ट्स टायर= ट्यूब इत्यादि)
किराये की दरें संलग्न सूची के अनुसार--		

(देखिये सन्धी 'क' आगे पृष्ठ 1501 पर)

3--श्री मता प्रसाद पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मोहन सिंह--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ड्रेनेज खण्ड, जिला बस्ती के बेलदारों का बकाया वेतन

4--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ड्रेनेज खंड, जिला बस्ती के सीजनल बेलदारों के वेतन का लगभग चालीस हजार रुपया सन् 1978 ई0 से तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री कांशीनाथ तिवारी) के समय का बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बकाये को बेलदारों को दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

5--श्री दल गंजन सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

सिंचाई विभाग, द्वितीय मण्डल, कानपुर के बेलदारों की दक्षता रोक एवं बकाया

6--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मंडल, कानपुर के अधीन ऐसे कितने जिलेदार सेवारत रहे हैं जिनकी सेवाकाल में उनके दक्षतारोक पार आदेश ही नहीं दिये गये हैं और बाद सेवा निवृत्ति आदेश संख्या 5368/पी0 एफ0, दिनांक 21-12-74 द्वारा स्वीकृत देय अवशेषों का भुगतान अब भी नहीं किया गया है ? क्या सरकार उन्हें देयों का शीघ्र भुगतान कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की मांगें

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उ0 प्र0 का कोई 10 सूत्री मांग पत्र दिसम्बर, 1980 के प्रथम पखवारे में उन्हें मिला ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मांगों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1503 पर) ।

उन्हें निम्नांकित सुविधायें देने का निर्णय लिया है--

(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर नियमित पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के संदर्भ में तीन वर्ष से लगातार सेवारत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वरीयता दी जायगी तथा उन्हें शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हता से गुणावगुण के आधार पर छूट दी जा सकेगी ।

(2) कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विभाग की एक परियोजना से कार्य समाप्त होने पर दूसरी परियोजना पर साधारण दर पर यात्रा-भत्ता देकर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा । यदि कोई कार्य प्रभारित कमचारी स्वयं दूसरी परियोजना पर न जाना चाहता हो अथवा विभाग में कार्य न करना चाहता हो तो श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत, छटनी क्षतिपूर्ति, यदि कोई देय हो, देकर-----उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी ।

(3) कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के निम्नतम वर्ग के लिए वेतनमान व भत्ते नियमित अधिष्ठान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर रखे जायेंगे ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल

8--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या यह सही है कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभागीय कर्मचारियों ने गत दो वर्ष में अपनी कतिपय मांगों को लेकर कई बार हड़ताल तथा आन्दोलन किया ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और उन पर अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करते हुये वरिष्ठता के आधार पर निदेशालय, मण्डलीय तथा जिला स्तर पर पदोन्नतियों का दिया जाना, प्रस्तावित सेवा नियमावली के आधार पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये 50 प्रतिशत पदों का आरक्षण तथा जब तक उक्त प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाय तब तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों का स्थगित रखा जाना एवं मुख्यालय पर कार्यरत आडिट सेल के पदों में विभागीय कर्मचारियों को तदर्थ रूप से पदोन्नतियां दिया जाना आदि मुख्य मांगें थीं । इन मांगों पर गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जिलेवार हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को धनराशि का आवंटन

9--श्री बिहारीलाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में प्रत्येक जिले को योजनावार कितना-कितना धन 1974-75 वर्षों में हरिजन तथा समाज कल्याण के लिए आवंटित किया गया था और कितना-कितना धन जिलों के अधिकारियों ने समर्पित किया ? धन के समर्पित होने के क्या कारण हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

वांछित सूचना को प्रदेश के समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों, संस्था अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों से प्राप्त कर के संकलित करना पड़ेगा जिसमें समय लगेगा । जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

चमोली जिले की धर तल्ला मल्ला, चौड़ एवं नलधरा पेयजल योजना

10—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के विकास क्षत्र देवाल की धरातल्ला मल्ला पेयजल योजना ग्राम सभा चौड़ में कोठेड़ा ग्राम पेयजल योजना और नलधरा पेयजल योजना कब बनी है, कब इनमें पानी चालू हुआ है और क्या अब भी उनसे पानी मिल रहा है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

(1) धरातल्ला मल्ला पेयजल योजना—

उक्त पेयजल योजना के समस्त कार्य फरवरी, 1979 में पूर्ण कर लिये गये थे तथा इससे सुचारु रूप से पानी चल रहा था तथा मार्च, 1980 तक पानी चला था । अप्रैल, 1980 से इस योजना के दो स्रोतों में से एक स्रोत पर ग्राम डोंडिग वालों की आपत्ति के कारण केवल एक ही स्रोत से पानी लिया जा रहा है जिससे योजना में सम्मिलित ग्राम धरातल्ला मल्ला एवं कोटी में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । शेष ग्रामों में पानी वर्तमान में भी सुचारु रूप से चल रहा है ।

(2) चौड़ पेयजल योजना—

कोठेडा ग्राम चौड़ पेयजल योजना में सम्मिलित है । इस योजना के कार्य मार्च, 1979 में पूर्ण कर दिये गये थे । प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में भी ग्रामवासियों को पेयजल योजना से पानी नियमित रूप से उपलब्ध हो रहा है ।

(3) नलधरा पेयजल योजना—

इस योजना के कार्य वर्ष 1975-76 में पूर्ण किये गये थे और पानी उस समय सुचारु रूप से चालू कर दिया गया था । वर्ष 1978 की अतिवृष्टि से योजना के अधिकांश कार्य क्षतिग्रस्त हो गये थे जिसके कारण योजना में पानी बंद हो गया था । योजना के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत करवा कर योजना पर पुनः जून, 1980 से पानी चालू कर दिया गया है ।

नौपटुवा, ससीखाल, जिला अल्मोड़ा में कृषि विभाग द्वारा किराये पर लिया गया मकान एवं किराये का भुगतान

11—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुरमूला अभियान विकास में नौपटुआ, ससीखाल विकास खण्ड सल्ड में श्री हयात सिंह पुत्र मोती सिंह, तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा का मकान किराये में लिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि किराये का भुगतान मकान मालिक को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां । कृषि विभाग द्वारा दो मकान किराये पर लिये गये थे । एक मकान जो नौपटुवा में है, के किराये का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा दूसरा जो ससीखाल में है, का किराया दिनांक 1-3-78 से 31-5-79 तक भुगतान कर दिया गया है । दिनांक 1-6-79 से 30-9-79 का किराया मकान मालिक को सूचित किये जाने पर भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है तथा शेष अवधि दिनांक 1-10-79 से 23-11-80 के किराये का बिल मकान मालिक द्वारा दिनांक 31-1-81 को प्रस्तुत किया गया है जिसके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है ।

12--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

परिवहन निगम की बसों की समय सारणी तैयार किये जाने की मांग

13--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में उन्हें किसी विधायक का पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि लम्बे रूट पर जाने वाली बसों का टाइम टेबुल रेलवे टाइम टेबुल की भांति तैयार कराया जाय? यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

दिसम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । लम्बे मार्गों पर जाने वाली बसों की समय सारणी रेलवे समय सारणी की भांति तैयार करने का विषय परिवहन निगम के विचाराधीन है ।

हरैया तहसील, जिला बस्ती के ग्रामों का घाघरा नदी से कटान

14--श्री गौरी शंकर भैया--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद के हरैया तहसील के लगभग एक दर्जन गांव घाघरा नदी के कटान से गिर गये हैं ? यदि हां, तो उन गांवों का नाम क्या है तथा उन्हें पुनः बसाने के लिए शासन से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

तहसील हरैया, जनपद बस्ती में घाघरा नदी की कटान से 5 गांव कटकवारपुर धरमपुर डही, आराजी, मुस्तहकम, कड़वड़वा, टकटकवा एवम् पहाड़पुर की आबादी कट गई है । इन्हें पुनः बसाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

चमोली जिले का गोपेश्वर-पोखरी मार्ग

15--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग किस तिथि से यातायात के लिये खोल दिया जायेगा?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

गोपेश्वर–पोखरी मार्ग बस संचालन के लिये फरवरी, 1981 से उपयुक्त पाया गया है । गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की सभी बसों के परमिटों में यह मार्ग पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

दोहरीघाट सहायक परियोजना में पानी की कमी

16—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट सहायक परियोजना 10 में से आठ लिफ्ट पम्प काफी दिनों से बन्दे पड़े हैं ? क्या यह सही है कि यह घाघरा नदी के 800 मीटर पम्प क्षेत्र से हट जाने के कारण हुआ है ? यदि हां, तो इसको दूर करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी और इस कार्य पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोहरीघाट सहायक परियोजना पर कुल 10 पम्प लगे हैं जिनमें से एक स्टेण्ड बाई है । पानी की मांग रबी में 19–11–80 से हुई थी जब कि नहर चलाई गई । 19–11–80 से अब तक एक साथ 1 पम्प से लेकर 5 पम्प तक चले हैं ।

जी हां ।

दोहरीघाट सहायक परियोजना को जनवरी, 1980 से सिंचाई हेतु चलाना शुरू किया गया जब कि यहां पर काफी पानी था । पम्प हाउस के सामने कुछ भाग में कंकड़ और कड़ी मिट्टी है । पम्प हाउस को बनाने और चलाने के लिये लगे बंधे पर पानी अधिक होने के कारण वर्ष 1980 में पूरी तरह से नहीं निकल सके । अब कड़ी मिट्टी और कंकड़ को काटा जा रहा है और बंधे निकाल दिये गये हैं जिससे पानी की धारा में कोई अवरोध न रहे । पानी लाने हेतु धारा बनाई गई हैं ।

इस स्थल पर ड्रेजर भी छितौनी बांध से लाया जा रहा है । इसका विस्तृत सर्वेक्षण करके रुड़की रिसर्च को माडल में अध्ययन के लिये भी भेजा जा रहा है । यह आशा की जाती है कि इसकी कड़ी मिट्टी, कंकड़ और बंधे निकल जाने पर पानी की धारा में अवरोध खतम होने पर नहर को भविष्य में पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा । इस पर साढ़े तीन लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

कथित पिंडारी ग्लेशियर घाटी योजना

17—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976–77 में पिंडारी ग्लेशियर घाटी योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

देवरिया जिले में नलकूपों का छिद्रण

18—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने राजकीय नलकूप लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और वे कब तक लग जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1980-81 में 37 राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है जिनमें से 29 राजकीय नलकूपों का छिद्रण कार्य किया जा चुका है। शेष 8 राजकीय नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष में पूरा करना प्रस्तावित है।

बाराबंकी जिले के दशमोत्तर कक्षाओं के पिछड़ी जाति के छात्रों को दी गयी धनराशि

19—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये शैक्षिक सन् 1978-79 तथा 1979-80 में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जनपद बाराबंकी में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए शैक्षिक सत्र 1978-79 में रु0 13,15,500 तथा 1979-80 में रु0 13,56,500 की धनराशि आवंटित की गयी थी।

20—श्री मित्रसेन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त

तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री बी0 पी0 सिंह, रिग्स खंड, वाराणसी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

21—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, रिग्स खंड कानपुर (श्री बी0 पी0 सिंह) के विरुद्ध रिग्स खंड वाराणसी में वर्ष 1971 से 1974 तक जब यह सहायक अभियन्ता के पद पर वहां थे, पद के दुरुपयोग, अनियमित आचरण एवं भ्रष्टाचार के अनेक मामले शासन में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन्हें पुन किन परिस्थितियों मे रिग्स खंड, कानपुर में स्थापित किया गया और सम्बन्धित जिलों की जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्री बी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रिग्स खंड, कानपुर के विरुद्ध प्रखंड, वाराणसी से सहायक अभियन्ता के पद पर उनके कार्यकाल से सम्बन्धित मामलों पर सतर्कता अधिष्ठान से दो खुली जांच के आदेश क्रमशः वर्ष 1976 तथा 1977 में जारी किए गए थे। जांच में श्री सिंह अन्य अधिकारियों के साथ

अन्तर्गस्त हैं । प्रथम सतर्कता जांच आख्या के आधार पर श्री सिंह की चरित्रपंजी में एक भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित करने के आदेश 19 फरवरी, 1980 को जारी किए गए थे । दूसरी सतर्कता जांच आख्या 4 जुलाई, 1980 को प्राप्त हुई थी जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

2--श्री सिंह को जनहित में रिग्स लंड, कानपुर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थापित किया गया है ।

22--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

जौनपुर जिले के ग्राम फिरोजपुर की नहर पर पुल निर्माण की मांग

23--श्री जंग बहादुर--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र बदलापुर के रामगंज रजबहा के ग्राम फिरोजपुर में नहर पर आवागमन के लिए कोई पुल नहीं है ? यदि हां, तो शीघ्र पुल निर्माण कराने की कृपा करेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। रामगंज राजबहे के कि0 मी0 56·700 तथा 58·500 पर ग्रामीण सड़क पुल है । इनके बीच में ग्राम-फिरोजपुर के निकट एक नई पंचल पुलिया शीघ्र बनाना प्रस्तावित है ।

चमोली जिले के गोपेश्वर में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव

24--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में स्टेडियम की स्वीकृति कब दी गई थी और कब तक स्टेडियम निर्मित हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

गोपेश्वर में स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है और भूमि अध्यापित कर ली गई है । स्टेडियम के प्राक्कलन सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनकर प्राप्त हो गए हैं । इनकी जांच करने के उपरान्त यथाशीघ्र स्वीकृति दी जायगी ।

पौड़ी-गढ़वाल में खोले गए प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

25--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल में किन-किन स्थानों पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग कितने जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल वर्ष 1980-81 में खोले गए हैं और क्या ये जिला बेसिक शिक्षा परामर्शदात्री समिति के सिफारिशों के अनुसार खोले गए हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित है जिसकी संस्तुति के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्रों में 14

जूनियर हाई स्कूल व 33 प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण निम्नांकित हैं :

निर्वाचन क्षेत्र	स्थान	
	जूनियर हाई स्कूल	प्राइमरी स्कूल
1--निर्वाचन क्षेत्र लैंसडाउन	1--लोकमणिपर	1--उंतिछा ।
	2--पटना	2--वनास ।
	3--भवाकोट	3--किनाथो ।
	4--ख्याली डोर	4--सल्ट-महादेव ।
	5--लक्ष्मण झूला	5--सिरखेत-विरखेत ।
	6--झन्डीचौड़	6--गुणगांव ।
		7--कुनाऊ ।
		8--बनाली ।
		9--तिमल्याणी ।
2--निर्वाचन क्षेत्र पौड़ी	1--कुलास	1--थनुर ।
	2--कुल्हाड़	2--खुडिला ।
	3--खालाचारी	3--वगोड गांव ।
	4--मरोंड़ा	4--बनाली ।
	5--वाशिलना	5--सधणिया ।
		6--चोपड़ा ।
		7--मूलगढ़ ।
		8--पटाला ।
		9--मेड़गांव ।
		10--रौतेला ।
		11--विल्केदार ।
		12--पवांई ।
3--(मिश्रित निर्वाचन क्षेत्र) कर्ण प्रयाग पौड़ी	1--धारखोला	1--जाखणा ।
	2--कांडामल्ला	2--कांड़ा तल्ला
	3--चवरखाल	3--गुरफली ।
		4--बडियना ।
		5--थापला ।
		6--बाड़ा ।
		7--देवी खाल ।
		8--दुमलोट ।
		9--नन्दा-ओडली ।
		10--कुणेथ ।
		11--कफोली ।
		12--गड़खरक ।

केन्द्रीय कारागार बरेली के बन्दी, श्री टुण्डाराम की मुक्ति का आदेश

26--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्रथम सत्र 1980 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल एक बन्दी कौन है तथा उसे अवधि बीत जाने के बाद भी रिहा न करने का क्या कारण है ? अवधि के बाद भी बन्द रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्नगत बन्दी का नाम टुंडाराम पुत्र प्रीतम है । अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली की रिपोर्ट के आधार पर इस बन्दी की समय से पूर्व मुक्ति के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिये गये थे कि बन्दी से निर्धारित एकरारनामा समुचित रूप से भराया जाय तथा बन्दी प्रस्तावित एकरारनामे में अंकित अवधि में नेकचलन व शान्तिपूर्वक रहने के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार एक जाती मुचलका और उसी धनराशि की दो उपर्युक्त जमानतें दाखिल करें । चूंकि बन्दी द्वारा शर्तें पूरी नहीं की गयी इस कारण उसे मुक्त नहीं किया जा सका । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खन्ड खैराबाद एवं परसेंडी जिला सीतापुर में नलकूपों हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

27--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुआवजा बट चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अभी मुआवजा वितरण की कार्यवाही में कितना और समय लगेग ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुआवजा अभी नहीं दिया गया है । भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है । वर्ष 1981-82 में मुआवजा दे दिये जाने की सम्भावना है ।

सीतापुर जिले में हरिजन छात्रावास का निर्माण

28--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या समाज कल्याण मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि भूखंड उपलब्ध होने में अब क्या बाधा है और छात्रावास का बनना कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सीतापुर जनपद में हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु उपयुक्त भूखंड का चयन हो गया है । छात्रावास का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने का आशा है ।

29--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।]

बाराबंकी जिले के पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्र-वृत्ति

30--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग/मंत्रालय को यह शिकायत मिली है कि जनपद बाराबंकी के दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को पिछले वर्ष कई महीने से छात्रवृत्ति (नवीन व पुनर्नव) नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो कब से यह छात्रवृत्ति रुकी हुयी है ? उनके रोके जाने के कारण क्या है ? उनका भुगतान किस तारीख तक कर दिया जायगा ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की पुनर्नव छात्र-वृत्ति नहीं रोकी गयी केवल नवीन छात्रवृत्ति को स्वीकृति पर रोक लगा हुई है ।

नवीन छात्रवृत्ति दिये जाने की रोक माह अप्रैल, 1980 में लगाई गयी थी। पिछड़ी जाति की नवीन छात्रवृत्ति शासन द्वारा नीति निर्धारित किये जाने तक रोकी गयी है ।

शासन का निर्णय हो जाने पर आवश्यक आदेश दिए जायेंगे ।

गाजीपुर जिले के ग्राम पाह सैयद राजा, रामपुर पट्टी सरनाम खां के नलकूपों का बिद्युत, कनेक्शन

31--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के ग्राम पाह सैयद राजा, रामपुर पट्टी सरनाम खां एवं मोदिनीपुर की सिंचाई के लिए मोदनीपुर में कोई राजकीय नलकूप लगाया गया है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ और इसे विद्युत कनेक्शन कब दिया गया और क्या दोनों ग्रामों तक नाली का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में दिये गये ग्रामों से मिलते जुलते नामों के ग्राम पाह सैयद राजा, रामपुर पट्टी सरनाम खां एवं मैदनीचक की सिंचाई के लिए ग्राम मैदनीचक में एक राजकीय नलकूप का निर्माण नवम्बर, 1979 में हुआ है इसका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है । माह दिसम्बर, 1980 में बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युत विभाग को प्रेषित किया जा चुका है । ग्राम मैदनों चक में 5 फर्लांग, रामपुर पट्टी सरनाम खां में 4 फर्लांग तथा पाह सैयद राजा में 1 फर्लांग कच्चो नाली का निर्माण हो चुका है । शेष नाली का निर्माण रवी की फसल कटने के बाद प्रारम्भ करना प्रस्तावित है ।

बदायूं जिले में नलकूप चालकों का चयन

32--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में वर्ष 1979-80 में कूप चालकों के पद हेतु चुनाव किया गया ? यदि हां. तो उक्त पद हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और किस-किस जनपद के निवासियों के तथा कितने

प्रार्थना–पत्र सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुये ? क्या यह चुनाव नियमानुसार किया गया और अब तक कितने कूप चालक किस–किस जनपद में नियुक्त किए गये हैं ? और कितने अभ्यर्थी वेटिंग सूची में हैं ? क्या सरकार प्रत्येक सूचना अलग–अलग सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह––

जी हां, वर्ष 1979–80 में जनपद बदायूं में अभ्यर्थी नलकूप चालकों के चयन हेतु एक चुनाव किया गया था । इस चुनाव में 600 उम्मीदवारों के नाम सेवायोजन कार्यालय, बदायूं के माध्यम से तथा 384 प्रार्थना–पत्र सीधे चयन समिति को प्राप्त हुय । इसके अतिरिक्त 53 विभागीय कार्य प्रभारित कर्मचारियों के प्रार्थना–पत्रों पर भी चयन समिति ने विचार किया । यह उम्मीदवार जनपद बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, बलिया व गोण्डा के थे । यह चुनाव नियमानुसार "नलकूप चालक सेवा नियमावली, 1953 के अनुसार किया गया । क्रियात्मक परीक्षा में केवल 97 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये जिनकी ज्येष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची उक्त नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत तैयार कर ली गई है । जिनमें से अभी तक किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है ।

शाहजहांपुर जिले की मौजमपुर पलिया पम्प कैनाल की डूबी हुयी बारजे

33––श्री राम औतार दीक्षित––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर वर्ष 1976 में लिफ्ट पम्प कैनाल पर बारजें किन परिस्थितियों में डूब गई एवं कितने मूल्य के राजकीय सामान की हानि हुई, दोषी पर्यवेक्षीय अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्य–वाही की गई ? इन बारजों की पुन स्थापना पर कितनी धनराशि व्यय की गई एवं किस मद में की गई ? क्या पूर्ण व्यय एवं घटना की समयानुसार सूचना मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दी गई ?

श्री बीर बहादुर सिंह––

नलकूप खंड, शाहजहांपुर म वर्ष 1978 के माह अगस्त में देवहा (गर्रा) नदी में एकाएक बाढ़ आ जाने के कारण मौजमपुर पलिया पम्प कैनाल की बारजे डूब गई । बाढ़ का जल स्तर कम होने पर इनको निकाल लिया गया जिसमें किसी सामान की हानि नहीं हुयी । बारजे चूंकि नदी में एकाएक बाढ़ आ जाने से डूबी थी, इसलिए कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । इन बारजों को निकालने एवं पुनः स्थापित करने में कुल 15,726 रुपये का व्यय वर्ष 1978–79 में लेखा शीर्षक "533–सिंचाई, जो परिवहन, जलोत्सारण एवं बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं" के अन्तर्गत किया गया । इस घटना की सूचना तत्काल अधिशाशी अभियन्ता, नलकूप खंड, शाहजहांपुर ने वैयक्तिक सहायक (लिफ्ट), मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अगस्त, 1978 में ही भेज दी थी । इस कार्य पर हुये व्यय की सूचना मासिक एवं अन्य वित्तीय परिलेखों के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग की भेजी गयी थी । अलग से कोई सूचना नहीं भेजी गयी ।

34––श्री राम औतार दीक्षित––

[25–2–81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 63 द्वारा अन्तरित

नलकूप खंड, शाहजहांपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विद्युत् चोरी के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

35--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10-12-78 को आर0 सी0 गर्ग, फोरमैन द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल, बरेली को नलकूप खंड शाहजहांपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजकीय विद्युत् कनेक्शन से बिजली की चोरी से प्रयोग करने की शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासन को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल, बरेली के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ । शेष प्रश्न नही उठता ।

सिंचाई विभाग के आशुलिपिकों की सेवा समाप्ति एवं परीक्षा

36--श्री राम नरायन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में तीन वर्ष से अधिक लगातार कार्यरत आशुलिपिकों की सेवायें हाल ही में समाप्त की गई और उन्हें दूसरे पद पर प्रत्यावर्तित/नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो अनुभवी सेवा समाप्त शुदा आशुलिपिकों के होते हुये परीक्षा हेतु बाहरी अभ्यर्थियों को आमन्त्रित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग में नियमानुसार परीक्षा के आधार पर, जिसमें विभागीय अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, अर्हता प्राप्त आशुलिपिक उपलब्ध होने के फलस्वरूप विभाग में कार्यरत अनर्ह आशुलिपिकों की सेवायें समय-समय पर उक्त पद पर समाप्त करते हुये उनको यथासम्भव न्यूनतर नैत्यिक कोटि लिपिक के पद पर समायोजित किया गया हैं ।

विकास खण्ड, बरौली अहीर, आगरा के अन्तर्गत नलकूप निर्माण की मांग

37--श्री विजय सिंह राना--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खंड बरौली अहीर के अन्तर्गत कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आगरा जनपद के विकास खंड, बरौली अहीर के अन्तर्गत सरकारी ट्यूबवेल लगाने की अलग से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । राजकीय नलकूपों का निर्माण शासन द्वारा जनपद को आवंटित नलकूपों में से जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित व तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्थलों पर किया जाता है । इस विकास खंड में अब तक 11 नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है ।

महरीपुर पम्प हाउस, जिला फैजाबाद के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

38--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता खंड 43, सिंचाई विभाग टांडा, फैजाबाद के ऊपर भ्रष्टाचार तथा नवम्बर, 1980 में महरीपुर पम्प हाउस न चलाये जाने के कारण रबी की फसल बुआई न होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान के सम्बन्ध में स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा शिकायती-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, शिकायती-पत्र में अधिशासी अभियन्ता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं ।

महरीपुर पम्प हाउस के निकट घाघरा नदी की उपधारा पर अस्थायी बन्धा बनाकर तथा इनलेट चैनल खोदकर पम्प नहर से सिंचाई की व्यवस्था का प्रयास किया गया । तत्पश्चात् इस उपधारा में पानी नहीं रहा । कुछ सिंचाई पम्प हाउस के निकट के ट्यूबवेल को चलाकर भी कराई गई ।

गोरखपुर रोडवेज डिपो के कर्मचारियों की भविष्य निधि

39--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा रोडवेज डिपो जब गोरखपुर क्षेत्र में था उस समय 14 माह का धन "स्पेशल भविष्य निधि" के नाम पर कर्मचारियों से उनके वेतन से काट कर जमा किया गया था किन्तु वह धन सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? उस पर सरकार कौन-सी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

12 माह का धन भविष्य निधि के रूप में काटा गया था । यह कटौती मार्च, 1977 से फरवरी, 1978 तक की गयी थी । उक्त धनराशि का भविष्य निधि के मद में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, गोरखपुर में जमा किया गया था । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां से अभी लेखा पर्चियां प्राप्त नहीं हुई हैं ।

गोंडा रोडवेज डिपो के परिचालकों को दिया गया दंड

40--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि गोंडा रोडवेज डिपो में परिचालकों की चालन शीट चेक करने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने के कारण 79-80 वर्षों में आय भी घटी हुई है और परिचालकों को बिना टिकट यात्री ले जाने के अभियोग में पकड़े जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । वर्ष 1979-80 में वर्ष 1978-79 की तुलना में आय में वृद्धि हुयी है तथा बिना टिकट यात्री ले जाने के आरोप में दोषी पाये गये 36 परिचालकों को दंडित किया गया है व 9 परिचालक निलम्बित किये गये हैं ।

गोंडा रोडवेज कर्मचारी संघ की मांगे

41--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से गोंडा रोडवेज शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था आदि से सम्बन्धित मांग पत्र उच्च अधिकारियों के समक्ष सन् 1980 के वर्षों में समय-समय पर लिखित रूप में रखे गये हैं तथा इसी मांग को लेकर काला दिवस मनाया गया व भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उन मांगों का ब्योरा क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1504 पर)

परिवहन निगम के पूर्वी जोन में घाटा

42--श्री पंचानन--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्वी जोन में 1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक कितना घाटा हुआ है ? इस क्षेत्र में इस अवधि में निगम की कितनी बसें बैट्री के अभाव में खड़ी रहीं ? इसके कारण कितना डीजल का खर्च बढ़ा तथा अन्य पुर्जों के अभाव में कितनी गाड़ियां खड़ी रहीं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्वी जोन में प्राप्त अन्तिम लेखा विवरणों के अनसार कथित अवधि में कुल 2,07,85,850 रु0 का घाटा हुआ । इस क्षेत्र में उक्त अवधि में औसतन 16 बसें प्रतिमाह बैट्री के अभाव में खड़ी रहीं । इस कारण 1,14,08,807 रु0 का डीजल खर्च बढ़ा। अन्य पुर्जों के अभाव में औसतन 138 बस प्रतिमाह खड़ी रहीं ।

आजमगढ़ जिले के महुला-गढ़वाल बांध के मजदूरों की मजदूरी

43--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला-गढ़वाल बांध पर कार्य करने वाले श्रमिकों को कम मजदूरी देने और उन्हें अनियमित तरीके से हटाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 1-11-1980 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-11-1980 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

महुला-गढ़वाल बांध पर कार्य करने वाले श्रमिकों में ऐसे कोई श्रमिक नहीं पाये गये, जो 1957 से लेकर 1960 के बीच नियुक्त किये गये हों और निरन्तर

1979 तक कार्यरत रहे हों और जिन्हें वेतन 190 रु0 से घटाकर 150 रु0 दिया गया हो तथा सेवायें समाप्त कर दी गई हों । श्रमिकों ने निरन्तर काम नहीं किया है, इसलिये इन्हें नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता । इस बांध पर वर्षा ऋतु में काम लिया जाता है ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अलीगढ़ के ठेकेदार को बकाया धनराशि

44--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्यनारायण सिंह, 68/1, निरंजनी अखाड़ा, हरिद्वार का अधीक्षण अभियन्ता वर्क सर्किल, अलीगढ़ के अधीन बकाये 4640 रु0 के भुगतान से सम्बन्धित पत्र दिनांक 9-10-1980 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-12-1980 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जांच करने के उपरान्त यह पाया गया कि ठेकेदार का उनके साथ हुये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार केवल 4023.30 रु0 ही बकाया था जिसका भुगतान 15-12-1980 को किया जा चुका है ।

राज्य सड़क एवं परिवहन निगम, आजमगढ़ क्षेत्र के केन्द्र प्रभारियों की अधीक्षक पद पर नियुक्ति

45--श्री पंचानन--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ क्षेत्र के किन-किन वरिष्ठ केन्द्र प्रभारियों की पदोन्नति सितम्बर, 1980 मे यातायात अधीक्षक के पद पर की गयी है ? इनमें कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी गत 5 वर्षों की प्रविष्टियां प्रतिकूल है ? प्रतिकूल प्रविष्टियों के होते हुए भी पदोन्नति किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आजमगढ़ क्षेत्र में सितम्बर, 1980 में किसी वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी की पदोन्नति यातायात अधीक्षक के पद पर नहीं की गयी । एक मामले में जून, 1979 में किये गये प्रत्यावर्तन के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन में निगम के 29-8-1980 के आदेश द्वारा पुनः स्थापित किया गया तथा यह कर्मचारी भी 31-12-1980 को सेवा निवृत्त हो चुका है ।

फैजाबाद जिले के मया-महबूबगंज-हंसवर मार्ग पर बस संचालन की मांग

46--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा जनपद फैजाबाद में मया-महबूबगंज-टांडा-हंसवर तक परिवहन निगम द्वारा बस चलाये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा 10-10-1980 को पत्र लिखकर मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

फैजाबाद से मया तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत है किन्तु मया–महबूबगंज हंसवर अराष्ट्रीयकृत मार्ग है । जनता की मांग पर फैजाबाद से मया–महबूबगंज इलिफातगंज तक निगम की बसें चलाई जा रही हैं । इलिफातगंज से टांडा–हंसवर का मार्ग खराब होने के कारण उस पर निगम की बस सेवा चलाना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ के ग्राम जियामऊ में बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

47—श्री सोमांश प्रकाश—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जियामऊ, जिला लखनऊ के निवासियों की जमीनें मुआवजे पर शहर बचाओ बांध निर्माण हेतु सन् 1973–74 में ली गयी थीं और शेष जमीनों पर शासन द्वारा कंकड़ के ढेर लगवा दिये गये ? क्या इस विषय में शासन को कोई प्रार्थना–पत्र 30–9–1980 व 1–10–1980 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम जियामऊ, लखनऊ जनपद की 33 एकड़ स्थायी तथा 5 एकड़ अस्थायी भूमि वर्ष 1973–74 में लामारटोनियर बांध के निर्माण के लिए ली गई थी । उक्त गांव की कुछ बंजर भूमि पर कंकड़ के चट्टे लगाये गये थे । दिनांक 30–9–1980 का कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । दिनांक 1–10–80 का प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

गंडक सोलह के अधीन ठाकुर माइनर का निर्माण

48—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक 16 (सोलह) के अधीन ठाकुरपुर माइनर की खुदाई आज तक नहीं हुई है ? जबकि चकबन्दी द्वारा जमीन छोड़ी गई है ? यदि हां, तो यह माईनर कब तक बन जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

स्थानीय कृषकों द्वारा विरोध किये जाने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है । भूमि की अध्याप्ति पर ठाकुरपुर माइनर का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल की जलोत्सारण योजना

49—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल के पानी के फैलाव को रोकने के लिये पैडलेगंज से मैलोनी बांध तक किसी नए बांध के निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो उक्त बांध के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

योजना विचाराधीन है। योजना स्वीकृत होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सिंचाई विभाग के नलकूप चालकों का वेतन निर्धारण

50--श्री रामआसरे वर्मा--

सप्तम विधान सभा प्रथम सत्र 1980 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि 280 नलकूप चालकों का वेतन निर्धारण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार उनका वेतन निर्धारण अविलम्ब कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनवरी, 1981 तक 274 नकूप चालकों का वेतन निर्धारण किया जा चुका है।

दो नलकूप चालकों की सेवा पुस्तिका खण्डों से प्राप्त न होने तथा एक कूप चालक का मामला कई वर्षों से न्यायाधिकरण में विचाराधीन रहने के कारण उनका वेतन निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है। दो नलकूप चालक विभिन्न आरोपों में अन्तर्गस्त हैं तथा एक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है।

नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद के नलकूप चालकों की भविष्य निधि

51--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, फर्रुखाबाद में नलकूप चालकों के भविष्य निधि की पास बुकें खुल गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नलकूप चालकों के भविष्य निधि की पास बुकें अविलम्ब खुलवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड फर्रुखाबाद में नियमित अधिष्ठान पर कार्यरत समस्त नलकूप चालकों की भविष्य निधि लेखा की पास बुकें खुल गयी हैं। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते।

आजमगढ़ जिले के मुसलमानपुर का नलकूप

52--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक में स्थित ग्राम सभा मुसलमानपुर में राजकीय नलकूप की बोरिंग कब की गयी ? क्या यह सही है कि सफाई न किये जाने के कारण यह नलकूप काम नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत स्थान पर एक राजकीय नलकूप की बोरिंग माह अप्रैल, 1979 में की गई थी। उक्त नलकूप सफाई न होने के कारण काम नहीं कर पा रहा है। मशीनों की कमी व डीजल समय से न मिलने के कारण विकास के कार्य में देरी हो रही है जिसके लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में गठित समितियां एवं आयोग तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गयी वृद्धि

53--श्री बिहारी लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने तथा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने के लिए 1957 से अब तक कितनी समितियां एवं आयोग गठित किये गये ? इन समितियों एवं आयोगों पर कितना धन व्यय हुआ ? और इन समितियों तथा आयोगों की संस्तुतियों को किस सीमा तक प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने हेतु लागू किया है ? यदि नहीं, तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण वांछित सुधार नहीं लाया जा सका ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

विगत 23 वर्षों में गठित समितियों तथा आयोगों पर हुये व्यय तथा उनकी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रश्न में मांगी गयी सूचना बहुत वृहत् और विस्तृत होगी और इसको एकत्र करने में लम्बा समय लगेगा । इस सब कार्य में, जो समय और श्रम लगेगा, वह प्राप्त सूचना के अनुरूप न होगा ।

54--श्री बिहारी लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर तथा निदेशालय स्तर पर वर्ष 1974-75 के बाद से कितने अधिकारी तथा कर्मचारी विभागीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए बढ़ाये गये ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वर्ष 1974-75 के बाद से विभागीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर तथा निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी बढ़ाये गये हैं :

	अधिकारी	कर्मचारी
जिलास्तर	127	847
निदेशालय	7	34

मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर की सीमा पर सोलानी नदी पर बांध निर्माण की मांग

55--श्री मेंहदी असगर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर व सहारनपुर की सरहद में सोलानी नदी में बांध बनाने हेतु शासन के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक निर्मित कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल आदि जिलों के राजकीय महाविद्यालयों के भवन

56--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट, जिला पिथौरागढ़, राजकीय महाविद्यालय, स्यालब, जिला अल्मोड़ा, राजकीय महाविद्यालय वेदी खाल व चौबटाखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल तथा राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग, जिला चमोली को वर्ष 1980-81 में भवनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई तथा 15-1-71 तक क्या भौतिक प्रगति प्रत्येक में हुई है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रश्नगत महाविद्यालयों, जो गत वित्तीय वर्ष (1979-80) में खोले गए हैं, के स्थायी भवनों की स्वीकृति अभी नहीं दी गयी है। भूमि उपलब्ध हो जाने, आगणन गठित हो जाने के पश्चात् निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताओं एवं वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुये स्थायी भवनों की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

श्री मुबाल सिंह व श्री तीरथराज सिंह, जिला वाराणसी के बस के परमिट की जांच

57--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुबाल सिंह, मंत्री जिला किसान सभा, वाराणसी का एक ज्ञापन अपने पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता ने परिवहन मंत्री को 2 मई, 1979 को तथा परिवहन आयुक्त को तारीख 25 अप्रैल, 1979 को दिया था जिसमें यह आरोप था कि आर० टी० ए०, वाराणसी एवं आर० टी० ओ०, वाराणसी ने फर्जी राजनैतिक मीसा में बन्द बम्बई में मुबाल सिंह तथा उनके पुत्र तीरथराज सिंह व तीरथ राज सिंह का स्त्री मालती सिंह को बस का परमिट नं० 29 एस० टी०, 307 एस० टी०, 386 एस० टी० 2 जून एवं 9 जून, 1979 को दे दिया है ? यदि हां, तो इस पर परिवहन आयुक्त ने स्वयं जांच की और सी० आई० डी० से जांच करवाई गई, जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। मामला विचाराधीन है।

वाराणसी-जौनपुर सड़क तथा बाबतपुर-मड़ियाहूं मार्ग का वर्गीकरण एवं श्री हाकिम सिंह के बस का परमिट

58-59--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में बसों का परमिट जारी करने के लिए वाराणसी-जौनपुर रोड तथा बाबतपुर से मड़ियाहूं मार्ग का वर्गीकरण स० प० इलाहाबाद ने सन् 1961 के पहले या बाद में किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस वर्गीकरण की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद परिवहन आयुक्त ने एक पत्र दिनांक 27-9-62

को लिखकर श्री हाकिम सिंह, वाराणसी बस नं0 यू0 एस0 जे0 परमिट नं0 17 एस0 टी0 के मालिक से यह कहा कि वाराणसी से बाबतपुर क्रासिंग 12 मील राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने की अनुमति दी जा रही है ? यदि हां, तो उस पत्र की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जालौन जिले के पहाड़ गांव का नाला

60--श्री शंकर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में बेतवा प्रखंड द्वारा प्रथम पहाड़ गांव नाला की समस्या के समाधान का कार्य कब हाथ में लिया गया था और इस दिशा में अब तक कितना कार्य हो चुका है और नाले की समस्या का पूर्ण समाधान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रारम्भ किया गया था । अब तक नाले के 0·0 मील से 6-6-0 मील तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष कार्य जून, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

61--श्री मोती लाल देहलवी--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष पद पर गैर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति

62--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष पद पर आयुक्त, गढ़वाल मंडल के स्थान पर किन कारणों से गैर सरकारी व्यक्ति नियुक्त किया गया है ? और क्या अन्य मंडल विकास निगम व अध्यक्ष पद के आयुक्तों को हटाकर गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष बनाए गये हैं ? यदि हां, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम में यह विशेष व्यवस्था क्यों की गई है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए ही गढ़वाल मंडल विकास निगम में गैर सरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है । फिलहाल अन्य किसी मंडलीय विकास निगमों में इस प्रकार की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोरखपुर जिले की नारायणी शाखा नहर एवं मधुबनी शाखा नहर के सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

63--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर, नारायणी शाखा नहर निर्माण खन्ड एवं मधुबनी शाखा नहर निर्माण खंड के सहायक अभियन्तओं

आदि के विषय में माह अगस्त, 1980 से माह 10 जनवरी, 1981 के बीच प्रश्नकर्त्ता को कितनी शिकायत सरकारी धन के दुरुपयोग, ठेकेदारी करने, कम काम पर अधिक भुगतान करने, खराब मसाले, ईंट, गिट्टी आदि पर पुल-पुलिया के निर्माण ध्वस्त होने आदि की मिली है ? यदि हां, तो इन शिकायतों से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के क्या नाम हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में नदियों के कटान हेतु बोल्डरों की आपूर्ति से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

64--फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में किन-किन नदियों से सम्बन्धित कटान स्थल पर अनियमित बोल्डर के चट्टी पर फर्जी भुगतान लेने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र माह नवम्बर-दिसम्बर, 1980 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में प्रारूपकारों का रिक्त पद

65--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के सेक्शन ई-फोर में 50 प्रतिशत जगहें प्रारूपकारों की रिक्त पड़ी है और विभाग में बहुत से प्रारूपकार कई वर्षों से उसके नीचे पदों पर कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1980 में सिंचाई विभाग उ0 प्र0, सेक्शन ई-फोर में प्रारूपकारों से कम्प्यूटर में प्रमोशन किया गया है ? यदि हां, तो जो प्रारूपकार विभाग में नीचे स्तर में हैं उनको प्रारूपकार की जगह अब तक प्रमोशन न देने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग में लगभग 5 प्रतिशत पद प्रारूपकार के रिक्त हैं । जी हां, दिसम्बर, 1980 में विभाग में प्रारूपकारों की प्रोन्नति कम्प्यूटर के पदों पर की गयी । मार्च, 1981 में नियमानुसार पात्र अनुरेखकों की पदोन्नति प्रारूपकार के पद पर की गयी है । किसी भी स्तर के प्रारूपकार को प्रारूपकार के पद पर प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले के विकास खण्ड करनैलगंज एवं परसपुर की सरजू नहर परियोजना

66--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना में गोंडा जिले के करनैलगंज एवं परसपुर ब्लाक भी लाभान्वित होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार विकास खण्ड, करनैलगंज में पांच नहरें, जिनकी कुल लम्बाई 15 किलो मीटर होगी एवं विकास खण्ड परसपुर में पन्द्रह नहरें, जिनकी कुल लम्बाई 160 किलोमीटर होगी, प्रस्तावित है ।

67--श्री पंचानन--

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वृहत् गंगऊ बांध के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय

68--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने केन नदी पर वृहत् गंगऊ बांध सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था ? यदि हां, तो उक्त चर्चा के विषय क्या थे और उन पर क्या निर्णय लिये गये थे और क्या यह सच है कि उक्त निर्णय के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, दिनांक 1 अगस्त, 1972 के उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच हुए समझौते के अनुसार वृहत् गंगऊ बांध की योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लेने का निर्णय हुआ । मध्य प्रदेश इस योजना के अनुसन्धान के कार्य जून, 1973 तक पूर्ण करने हेतु सहमत था । यह भी निर्णय हुआ था कि केन्द्रीय जल आयोग उक्त योजना के अनुसन्धान कार्य शीघ्र पूर्ण कराने में सहायता करेगा तथा योजना की साध्यता रिपोर्ट यथाशीघ्र तैयार की जायेगी । मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश द्वारा परियोजना प्राक्कलन शीघ्र बनाने के लिए लिखा जाता रहा है और हर अन्तर्राज्यीय बैठक में इसके लिए अनुरोध किया जाता है । यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रगति की गयी है तथापि मध्य प्रदेश सरकार से अब तक परियोजना प्राक्कलन प्राप्त नहीं हो सका है । परियोजना के विषय में शीघ्रता करने हेतु भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

विधान सभा क्षेत्र, मऊरानीपुर, जिला झांसी में नलकूप निर्माण की मांग

69--श्री भागीरथ तथा श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी जनपद में मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र में नलकूप लगाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले के ठेकमा राजबहा की मरम्मत की मांग

70--श्री दीपू उर्फ दीपनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ठेकमा, मेहनगर, रजवाह, गोशाई की बाजार और मेहनगर के बीच हर साल टूट कर गरीब किसानों की फसलों को बर्बाद कर देती है और किसानों की नहर की मालगुजारी भी देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे मजबूत कराने हेतु शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

कुछ स्थानों पर भूमि न मिल सकने के कारण ठेकमा राजबहे के पुनरुद्धार का कार्य पूर्ण नहीं हो सका जिसे आगामी नहर बन्दी में पूर्ण कराकर तटबन्धों को मजबूत करा दिया जायेगा ।

कुमाऊं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसाइटी, अल्मोड़ा को बस का परमिट दिये जाने की मांग

71--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि रामनगर, मर्चूला देवघाट तथा मर्चूला सौपरवाल बिमगाडी खाल के लिए कुमाऊं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसायटी रानीखेत, अल्मोड़ा को अतिरिक्त परमिट जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

72--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बाराबंकी जिले की दरियाबाद नहर की सफाई

73--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 79-80 में बाराबंकी जिला अन्तर्गत दरियाबाद समानान्तर शाखा कि0 मी0 शून्य से कि0 मी0 62 तक मुख्य नहर तथा उसकी शाखाओं की सफाई कितने बार कराई गई और उस पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या यह सही है कि शासन को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायती प्रार्थना-पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो उनमें क्या आरोप लगाये गये हैं और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979-80 में अधिकतर नहरों की केवल एक बार तथा कुछ नहरों की दो बार सफाई कराई गई । जिस पर कुल 1,70,787.04 रु0 व्यय हुआ ।

इस विषय पर कोई शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम की बसों की लूट का विवरण

74--श्री मोहन सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक के बीच में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कितनी राजकीय बसें डकुओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर लूटी गयीं ? इसमें कितनी रुपयों की सामग्री लूटी गई तथा बसों की डकैती की रोकथाम के लिये विभाग ने कौन-कौन सी निरोधक कार्यवाहियां अभी तक की हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक के बीच में उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम तथा उसमें अनुबन्धित कुल 21 बसें डाकुओं द्वारा विभिन्न स्थानों में लूटी गयी जिसमें परिवहन निगम की कुल 7176.25 रु0 की धनराशि लूटी गयी ।

बसों में डकैती की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से निम्न निरोधक कार्यवाही की है —

(1) रात्रि सेवा की बसों में सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था का प्रयास ।

(2) आतंकग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग ।

(3) गन्तव्य स्थानों में बसों को 6 बजे सायंकाल के बाद पहुंचने पर शटल पेट्रोलिंग ।

(4) रात्रि सेवा कीं बसों का निश्चित स्थान पर ही रोकना तथा 'मुझे भी ले चलो' बस सेवा रात्रि में न चलाना ।

(5) रात्रि में जहां सुविधा हो कनवाय सिस्टम लागू करना ।

देवरिया जिले में बड़का गांव से दिखतौली बांध पर व्यय की गयी धनराशि

75--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत, छोटी गंडक नदी में बड़का गांव से दिखतौली तक बंधे में कितना धन 1 जून, 1980 तक लगा है तथा जुलाई-अगस्त, 1980 के बाद से बंधे को बचाने में कितना धन व्यय हुआ और अब पूरे बंध के मरम्मत में कितना धन व्यय करने का प्राविधान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जिले के अन्तर्गत सलेमपुर तहसील में छोटी गंडक पर बड़का गांव से दिखतौली तक बायी किनारे पर 22.25 कि0 मी0 के बंधे एवम् दायीं किनारे पर 13.05 कि0 मी0 बन्धे, जो निर्माणाधीन है, पर जून, 1980 तक 30, 77 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है । जुलाई, अगस्त की बाढ़ से बचाने हेतु 0.55 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है । बन्धों का निर्माण कार्य पूरा कराने एवम् मरम्मत आदि पर 12.59 लाख रुपये और व्यय होने का अनुमान ह ।

नलकूप निगम द्वारा नलकूपों का छिद्रण

76--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में प्रदेश में कितने स्टेट ट्यूबवेल, ट्यूबवेल निगम की ओर से बन गये और उनमें से कितने का विद्युतीकरण होकर चालू हो गये हैं और जो नहीं चालू हुए उनके विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 तक नलकूप निगम द्वारा लघु कृषक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत क्रमशः 10,123 और 255 नलकूपों का छिद्रण किया गया इनमें से 9 नलकूप चालू हो गये, शेष पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गंडक समादेश क्षेत्र में 25 संवर्धन नलकूपों का निर्माण किया गया है।

आजमगढ़ जिले की विमुक्त जाति के लिये दिया गया अनुदान एवं छात्र वृत्ति

77--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में गत तीन वर्षों में विमुक्त जाति के छात्रों को कितनी धनराशि छात्रवृत्ति हेतु तथा कितनी धनराशि उक्त जाति को अनुदान देने हेतु स्वीकृत की गई थी, इस वर्ष अब तक कितनी धनराशि उपरोक्त मद में स्वीकृत की गई है ? क्या आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने उपरोक्त मद में अतिरिक्त धन की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार उसके सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

आजमगढ़ जनपद में गत तीन वर्षों में विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनुदान हेतु निम्नांकित धनराशियां स्वीकृत की गयी :--

	1977-78	1978-79	1979-80
	रु0	रु0	रु0
(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति	73,000	8,000	15,000
(2) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति	14,825	26,825	31,125
(3) प्रोविधिक छात्रवृत्ति	9,118	3,879	..
(4) कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	3,000	..	..
(5) कृषि उत्थान हेतु अनुदान	3,000	..	..

इस वर्ष (1980-81) में निम्नांकित धनराशि जनपद आजमगढ़ को आवंटित की गयी हैं--

	रु0
(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति	15,000
(2) पूर्वदशम छात्रवृत्ति	37,125
(3) कुटीर उद्योग	3,000
(4) कृषि उत्थान	2,000

जी हां । जिलाधिकारी आजमगढ़ ने पुनर्वासन मद में 3,50,000 रु0 तथा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु 60,000 रु0 की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ।

जिलाधिकारी की मांग पर अन्य जिलों में आवंटित धनराशि के पूर्णतया उपभोग न होने की दशा में विचार किया जायगा ।

78--श्री विजय सिंह राना--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पौड़ी-गढ़वाल के ग्राम खुगसा पट्टी असवालस्यु में पेयजल हेतु डिग्गी का निर्माण

79--श्री मित्रसेन--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि दिनांक 27 मार्च, 1980 को ब्लाक कल्जीखाल, ग्राम खुगसा पट्टी असवालस्यु, पी0 ओ0 किनगौड्डी खाल, पौड़ी गढ़वाल के शिल्पकारों के निमित्त पीने के पानी की डिग्गी बनाना स्वीकार किया था ? यदि हां, तो वह डिग्गी बन कर तैयार हो गई ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां । प्रश्नगत डिग्गी का अब तक 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है शेष कार्य मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

आचार्य जुगुल किशोर कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

80--श्री बिहारी लाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि आचार्य जुगुल किशोर कमेटी ने अपनी संस्तुतियों में विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए संस्तुतियां की थीं ? इन संस्तुतियों के अनुरूप विभाग का सुदृढ़ीकरण अब तक हुआ है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में भर जाति के विकास हेतु योजनाओं की मांग

18--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जनपदों में भर अथवा राजभर जाति की आबादी पाई जाती ह और इस जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक तथा औद्योगिक स्तर क्या है ? सरकार उसके उत्थान के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री छेदालाल चौधरी--

भर नामक विमुक्त जाति अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में पायी जाती है । इस जाति के लोग वाराणसी, आजमगढ, जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली तथा सुल्तानपुर में अधिकतर पाये जाते हैं । आंमतौर पर इनका पेशा खेतिहर मजदूरी है । कुछ

लोग बटाई पर भी खेती कर लेते हैं। उ0 प्र0 में इस समुदाय की अनुमानित जनसंख्या लगभग 10 लाख है। इनकी आबादी अनेक जिलों में छितरी होने के कारण इनका राजनैतिक अथवा औद्योगिक स्तर आंका नहीं जा सकता। इनके बच्चों में शिक्षा का प्रसार करने हेतु शासन ने 11 आश्रम पद्धति विद्यालय खोल रखे हैं जिससे इस समुदाय का विकास भी कालान्तर में स्वाभाविक रूप से होगा। इस ससुदाय को अन्य पिछड़ी जातियों के साथ सेवाओं में 15 प्रतिशत का आरक्षण भी प्राप्त है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, बदायूं में कर्मचारियों की नियुक्ति

82--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में हरिजन तथा समाज कल्याण आफिस, बदायूं में कितनी नियुक्तियां हुईं और वह किस-किस जाति के थे ?

श्री छेदालाल चौधरी--

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बदायूं के कार्यालय में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में एक तृतीय तथा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये गये। तृतीय श्रेणी के पद पर एक सामान्य अभ्यर्थी (वैश्य) तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दो पिछड़ी जातियों (एक सुनार तथा एक तेली) और सामान्य में एक ब्राह्मण को नियुक्त किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, बाराबंकी के विरुद्ध कथित जांच

83--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी जनपद के अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर के विरुद्ध वर्ष 1980 में शासन द्वारा कोई जांच चल रही थी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? और रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बाराबंकी जनपद के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता शारदा के विरुद्ध वर्ष 1980 में कोई जांच नहीं चल रही थी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरी राम सिंह एवं श्री अवधेश बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ का स्थानान्तरण

84--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव द्वारा जारी अ0 शा0 पत्र 16-3-1980 उ0 प्र0 शासन कार्मिक लखनऊ दिसम्बर 3, 1980 का अनुपालन न करके शारदा सहायक विभाग (सिंचाई) के चतुर्दशम् मन्डल, आजमगढ़ से अवर अभियन्ताओं के ट्रांसफर को सिंचाई विभाग ने जनवरी, 1981 में किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उन अवर अभियन्ताओं के खिलाफ कोई प्रशासनिक मामला या प्रोन्नति का मामला था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चतुर्दशम् मन्डल, आजमगढ़ में अवर-अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों से अधिक होने के कारण सर्वश्री हरीराम सिंह एवं अवधेश बहादुर सिंह का स्थानान्तरण दिनांक 30-12-80 सप्तम मन्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ को अपरिहार्य परिस्थितियों में किया गया था ।

सरयू परियोजना, बहराइच की मशीनों की मरम्मत

85--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरयू परियोजना, बहराइच पर पिछले तीन वर्ष (1977-78, 78-79 तथा 79-80) के अन्दर मशीनों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ है और उन मशीनों ने कितना काम किया है ? दोनों के खर्च एवं आमदनी का क्या फर्क है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस परियोजना पर वर्ष 1977-78, 78-79 तथा 79-80 में भारी मशीनों की मरम्मत पर लगभग 53·93 लाख रुपया व्यय हुआ । उक्त मशीनों द्वारा उपरोक्त अवधि में लगभग 53·13 लाख रुपये का कार्य किया गया ।

मरम्मत पर हुए व्यय तथा आमदनी का अन्तर 0·80 लाख रु0 का है ।

शारदा सहायक के सहायक अभियन्ता, श्री के0 डी0 सिंह द्वारा ड्रेनेज का निर्माण

86--श्री दल सिंगार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड-32 में सहायक अभियन्ता (श्री के0 डी0 सिंह) के द्वारा 1980-81 में कितनी ड्रेनेज कहां-कहां खोदवाई गई हैं ? इन सब पर अलग-अलग कितना धन खर्च हुआ है ? उपरोक्त ड्रेनेज की मिट्टी का सेक्शन मेजरमेन्ट किसी अन्य जानकार विशेषज्ञों द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री के0 डी0 सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा वर्ष, 1980-81 में तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर, तहसील फूलपुर सगड़ी, आजमगढ़ जनपद तथा आजमगढ़ में 23 ड्रेनों पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिनमें से 8 ड्रेनों पर भुगतान 57,365.00 रुपया किया गया है । पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है । शेष कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण होने तथा नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जांच हो जाने के उपरान्त ही किया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1505 पर)

87--धनी राम वर्मा--

[28-1-1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 91 द्वारा उत्तरित

हरदोई जनपद में विद्युत तार की चोरी की घटनाओं तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 11 बजकर 57 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिनमें से 5 स्वीकृत हैं ।

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल--

महोदय, हमारे हरदोई जिले में बिजली के तारों की चोरी तीव्र गति पर है, हरदोई जनपद में 18 थाने हैं फिर भी बिजली के तार चोरों की पकड़ नहीं हो रही है । उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने हरदोई जनपद में तार भेजना बन्द कर दिया है जिससे सिंचाई व्यवस्था बिलकुल ठप्प हो गई है । ग्रामीण अंचल के लोगों में भीषण असन्तोष है । चोरी इस सीमा तक पहुंच गई है कि थाना टड़ियावां में एक साल के अन्दर 8 बार वायर कटिंग हुई । लोनार में 7 बार और साण्डी में 6 बार और थानों में 2-3 बार । इस तरह सभी थानों में मिलकर एक लाख पैंसठ हजार अट्ठारह रुपये का तार तथा 32 हजार रुपये का ट्रांसफारमर एक वर्ष में चोरी चला गया है । जनपद की पुलिस निष्क्रिय है, जनता दुखी और निराश है ।

अतः इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये हरदोई जनपद में बिजली के तार तथा ट्रांसफारमर की चोरी को रोकने हेतु कड़ा कदम उठाने की मांग करता हूं । साथ ही यह भी आग्रह करता हूं कि विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश हरदोई जनपद में हुई तारों की चोरी को देखते हुए तारों की आपूर्ति तुरन्त करे तथा जनपद हरदोई में विशेष पुलिस दल बनाकर तार काटने वालों के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जाय ।

हर सहाय जगदम्बा सहाय कालेज, कानपुर के छात्र नेता, श्री वीरेन्द्र सिंह चन्देल को गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से निम्न गम्भीर एवं चिन्तनीय छात्र-हत्या की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से त्वरित कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा करता हूं ।

विगत 27 फरवरी, 1981 को लगभग 10 बजे दिन में पी0 रोड, कानपुर नगर स्थित हर सहाय जगदम्बा सहाय कालेज के सामने वाली गली में छात्र नेता श्री वीरेन्द्र सिंह चन्देल को गोली मार कर हत्या कर दी गयी ।

वैसे तो घटना स्थल की सड़क पी0 रोड बहुत ही चहल-पहल की सड़क है ही, लेकिन चूंकि उन दिनों हर सहाय, जगदम्बा सहाय कालेज की छात्र यूनियन का चुनाव प्रचार सरगर्मी से जारी था, इसलिए वहां शांन्ति व्यवस्था हेतु पुलिस तैनात थी । घटना-स्थल से पुलिस थाना, बजरिया भी लगभग 100 कदम की दूरी पर है । अतएंव यह आश्चर्यजनक है कि घटना स्थल पर पुलिस के तैनात रहते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हर सहाय जगदम्बा सहाय, कालेज कानपुर के छात्र नेता श्री वीरेन्द्र सिंह चन्देल को गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

और थाने के अति निकट होने के बावजूद हत्यारे श्री चंदेल को गोली मार कर फरार हो गये ।

इस हत्या कांड से छात्रों में विद्युत् की भांति रोष की लहर व्याप्त हो गयी और वह शव को अपने कब्जे में लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे तथा कचहरी की दुकानों को बन्द करा दिया । अलग-अलग कई शोक सभाओं के द्वारा लगभग 85 छात्रों व नेताओं ने इस हत्याकांड को राजनीति प्रेरित और प्रशासन को कमजोरी बताते हुये शासन को बहुत सख्त और गम्भीर चेतावनी भी दी ।

डी० ए० वी० कालेज छात्रावास अराजक तत्वों का अड्डा बन कर रह गया है । इसके पूर्व भी इसी प्रकार छात्र--नेताओं की हत्यायें हो चुकी हैं । कुछ प्रभाव-शाली राजनैतिक लोग निहित स्वार्थवश छात्रों के नाम पर अराजक तत्वों को संरक्षण दिए हुए हैं । जब तक सरकार मूल कारणों का शमन न करेगी तब तक इसी प्रकार छात्र नेताओं की हत्याओं का सिलसिला जारी रहेगा और छात्रावास मात्र अराजक तत्वों का केन्द्र बन जायेगा ।

छात्रों की रोषमय चेतावनी को देखते हुए स्थिति विस्फोटक है और किसी भी समय अकल्पित घटना हो सकती है । अस्तु सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

जिला इटावा में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर थाना एकदिल की पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खैरुल बशर---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इटावा भरथना-बिधूना मार्ग जिला इटावा के ऊपर बस चलाने वाले प्राइवेट बस मालिकों द्वारा रोडवेज बसों से कहीं अधिक भाड़ा लेने के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में 2 मार्च को किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर थाना एकदिल की पुलिस ने थानाध्यक्ष, श्री हरिसिंह यादव के नेतृत्व में बर्बर लाठी चार्ज किया । जिले के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता, श्री मुकुट सिंह एडवोकेट तथा उनके सहयोगी, श्री देवी दयाल एवं श्री मुहब्बत सिंह को पुलिस पकड़ कर थाने में ले गई, उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं । उन्हें साधारण कैदियों की भांति हवालात में बन्द कर रात भर रखा गया तथा स्वास्थ्य खराब होने पर भी डाक्टर बुलाने की मांग अस्वीकार कर दी गई । प्रातःकाल इन लोगों को पहले हथकड़ी पहनाकर नगर में मेटाडोर गाड़ी पर घुमाया और फिर गाली देते हुए पुलिस पैदल इटावा ले गई ।

राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ किए गए इस प्रकार के अत्यन्त निन्दनीय और अभद्र व्यवहार के खिलाफ इटावा जनपद के सभी दलों के नेताओं और प्रतिष्ठित वकीलों ने प्रतिवाद में बयान दिया तथा जनता में व्यापक असंतोष है । जिसे देखते हुए यह आवश्यक है कि थानाध्यक्ष को तुरन्त निलम्बित करके पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की श्रीमन् के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

राज्य चीनी निगम यूनिट, रामकोला के 5 मजदूरों को पुलिस द्वारा पेड़ में उल्टा बांधकर मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

महोदय, देवरिया जिलान्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट, रामकोला के 5 मजदूरों, सर्वश्री गिरधारी यादव, भगवती यादव, लालजी यादव, जैराम यादव व विन्देश्वरी सिंह को गत 8-3-81 को रामकोला की पुलिस थाने के पेड़ में उल्टा बांधकर उन्हें डंडों से मारा। जनरल मैनेजर व चीफ इन्जीनियर ने 10 क्विन्टल तांबा, पीतल चोरी से बाहरी फर्म को बेचा था जिसे उक्त मजदूरों ने 4-5 दिनों बाद पकड़ लिया तथा थाने में रपट दर्ज कराई। इन्हीं मजदूरों के नेतृत्व में 5 फरवरी को जिलाधिकारी, देवरिया को पत्रक दिया तथा मिल के मजदूरों ने 10, 11 व 12 फरवरी, 1981 को जनरल मैनेजर के विरुद्ध प्रदर्शन व जुलूस निकाला। मिल से चोरी का सामान स्थानीय पुलिस की देखरेख में बाहर जाता है तथा उक्त चोरी में पुलिस को भी हिस्सा मिलता है। मजदूरों के कारण जनरल मैनेजर की प्रतिष्ठा गिरी है तथा आय का स्रोत बन्द हुआ है। बदले की भावना से जनरल मैनेजर के इशारे पर थानाध्यक्ष, रामकोला ने उक्त पांचों मजदूरों को 8-3-81 को पकड़ा तथा सभी को थाने लाई। थाने में नीम के पेड़ में उल्टा बांधकर लठियों से पीटा। इनकाउन्टर करने की धमकी दिया तथा मजदूरों से कहा कि जान प्यारी हो तो जैसा कहा जाता है वैसा ही बयान करो। मजदूरों ने थानाध्यक्ष की बात को दुहराया जिसे थानाध्यक्ष ने टेप कराया। उक्त घटना से मजदूरों में आतंक व्याप्त है। उनका जन-जीवन खतरे में है। अस्तु, आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री एवं गन्ना विकास मंत्री से वक्तव्य की मांग करता हूं तथा जनरल मैनेजर व पुलिस थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।

गोरखपुर स्थित खाद कारखाने के कर्मचारियों एवं यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिद्वार पांडेय--

महोदय, आपका ध्यान गोरखपुर स्थित खाद के कारखाने में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा क्रमिक अनशन की ओर दिलाते हुए यह कहना चाहूंगा कि गत 4 मार्च से ही वहां के लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। जिससे मजदूरों में बड़ी बेचैनी है, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। उत्पादन के ठप होने की सम्भावना है। शान्ति व्यवस्था भी ठप हो सकती है। ऐसी दशा में मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही कराने की कृपा करें। ताकि इस महंगाई में गरीब कर्मचारी अपना जीवन यापन ठीक से निर्वाह कर सकें।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन†

श्री अध्यक्ष--

आइटम नं0 3, माननीय नियोजन मंत्री। माननीय नियोजन मंत्री।

(किसी मंत्री के खड़े न होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह कितने खेद की बात है कि आपने तीन बार नियोजन मंत्री को पुकारा और 3-3 कैबिनेट मंत्री इस समय वहां मौजूद हैं, कोई नहीं उठा। कैबिनेट की ज्वाइंट रिसपान्सिबिलिटी होती है।

श्री अध्यक्ष--

क्या आइटम नं0 3 को कोई प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैंने तीन बार माननीय नियोजन मंत्री को पुकारा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सूचना मंत्री तथा सूचना निदेशक के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहम्मद अबरार अहमद, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 23 फरवरी, 1981 को माननीय सूचना मंत्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी थी कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रकाशित एवं सचिव, विधान सभा द्वारा वितरित सन् 1981 की डायरी में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची में बदायूं जनपद के विधायकों में उनका नाम जानबूझ कर अंकित नहीं किया गया जिससे सदस्य के नाते बदायूं जनपद एवं प्रदेश में उनकी प्रतिष्ठा का हनन तथा विशेषाधिकार भंग हुआ है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सूचना मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की थी। माननीय मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1981 द्वारा मुझे सूचित किया है कि सूचना निदेशक ने इस सम्बन्ध में जांच की है जिससे स्पष्ट हुआ है कि उक्त त्रुटि प्रूफ रीडिंग में असावधानी के कारण हुई है और इसके पीछे माननीय सदस्य के अपमान की किसी भी प्रकार की भावना नहीं है तथा प्रूफ रीडिंग में प्रथम दृष्ट्या जिन दो कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, उनको निलम्बित कर दिया गया है। पत्र में यह भी सूचित किया गया है कि उक्त भूल के लिए उक्त माननीय सदस्य को एक अन्य शिकायत पर विधान सभा सचिवालय द्वारा ध्यान आकृष्ट किए जाने पर विभाग की ओर से खेद प्रकट किया गया है तथा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इस भूल के परिष्कार के लिए डायरी को संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। संशोधित डायरी प्रेस में है और यथाशीघ्र वितरण के लिए उपलब्ध करा दी जायगी।

उक्त स्थिति में इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न निहित नहीं है और मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गई सूचनओं का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था, आपकी अनुमति हो तो मैं उठा दूं ।

श्री अध्यक्ष--

देख रहा हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस आदरणीय सदन में स्वयं मैं और मेरे अलावा कई माननीय सदस्यों ने कई बार इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि आपके आदेशों की अवहेलना नियम 301 के संदर्भ में शासन के द्वारा हमेशा की जाती है । यह जानबूझ कर आपके आदेशों की अवहेलना है । मान्यवर, यह जो नियमावली है उसमें भी स्पष्ट है कि यह आपके आदेशों की अवहेलना है । जिस समय 301 के अन्तर्गत कोई प्रश्न स्वीकृत होता है, आपके सचिवालय से माननीय मंत्री जी के पास चिट्ठी जाती है, जिसमें स्पष्ट आदेश आपके द्वारा दिया जाता है कि इतने दिन के अन्दर उत्तर देंगे । मान्यवर, माननीय बनारसी दास जी जब अध्यक्ष हुए, यह 301 की परम्परा चालू की गयी थी । इस बात को ध्यान में रख कर आपने भी इसका पालन किया ।

मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश में बहुत सी समस्यायें आती रहती हैं, जो अविलम्बनीय लोक महत्व की होती हैं । मान्यवर, जो लोक सभा में होता है, वह आपने भी यहां पर चालू कर दिया है । जब यह विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ, उसके ठीक सातवें दिन मैंने इस बात को उठाया था कि पिछले सत्र में जो मामले आये हैं, उसमें 14 अथवा 17 ऐसे थे, जिनके उत्तर नहीं आये हैं । इस बार जो उत्तर मिल रहे हैं, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 7 दिन में जो अन्तरिम उत्तर मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल रहा है । एक कृषि मंत्री जी का पत्र मुझे मिला है कि आपके पत्र के संदर्भ में श्री सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । मान्यवर, जो साधारण चिट्ठियां जाती हैं, उसी प्रकार का उत्तर मुझे भी लिखकर भेज दिया गया है । यह सरकार जान-बूझ कर संसदीय परम्पराओं का पालन न करके, एक नई परम्परा कायम कर रही है । मान्यवर, जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न होता है वही 301 के अन्तर्गत दिया जाता है और जो ग्राह्य होता है, उसे ही आप स्वीकार करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो यह प्रश्न उठाया है और इस पर चूंकि मैं पहले ही, आदेश भी दे चुका हूं, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ अपना विचार व्यक्त कर दें, तब मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रियासत हुसैन--

जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसी संदर्भ में मैं भी कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी ने यह लिखा है कि यह पत्र सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है, तो माननीय, हमारी नियमावली के अन्तर्गत सचिव को ही यह ऐड्रेस होता है । लेकिन जो माननीय सदन के द्वारा 301 की सूचना गयी तो यह कहा कि माननीय सचिव को सम्बोधित पत्र की कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है, यह सदन की अवहेलना है । यह नियम है कि हम उसे सचिव को एड्रेस करें लेकिन जब वह सदन द्वारा गया है तो सदन की प्रायटी की हैसियत से आप निर्देश देते हैं । उसका जवाब हमको मिलना चाहिये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, आपके आदेश का पालन करना सरकार का कर्त्तव्य है और जो भी आदेश आपकी ओर से दिये गए हैं अगर उसमें कोई विलम्ब हुआ है तो इसमें मैं देखता हूं कि किस तरह से विलम्ब हुआ है । उसके लिये खेद है । भविष्य में इस बात का प्रयास होगा कि जो आदेश आपकी ओर से जाते हैं मंत्रीगण उन पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी की ओर से हमेशा यही कहा जाता है, जो पहले की 16, 17 सूचनायें थीं उनका कोई स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इससे पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्न उठा चुके हैं, जिसमें उन्होंने यह दिखाया था कि 301 के अन्तर्गत 16, 17 सूचनायें हैं जिनके उत्तर उनको नहीं मिले और अब पुनः उन्होंने प्रश्न उठाया है कि कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी उनको नहीं मिले हैं । इसके साथ-साथ उन्होंने एक प्रश्न यह भी उठाया है कि कोई उत्तर ऐसा दिया गया है कि सचिव को सम्बोधित पत्र की कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह सदन की कार्यवाही के अन्तर्गत सदन के जो भी आदेश होते हैं वे सदन के आदेश मेरे द्वारा होते हैं, उनको वह स्वीकार करते हैं और उसके लिये उन्होंने खेद भी प्रकट किया है । उनकी सद्भावना के लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं । लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह जरूर चाहता हूं कि सदन के अन्दर या बाहर सदन का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो, सुचारु-रूप से उत्तर दिये जायें । पिछली 17 सूचनाओं के उत्तर नहीं दिये गये थे, अगर उनके उत्तर आ जाते और इस बार की सूचनाओं के उत्तर रह जाते तो ऐसा लगता कि इस सम्बन्ध में वास्तविक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता । इसलिये मैं पुनः निर्देशित करता हूं कि अब भविष्य में इसका पालन पूर्णतया किया जाय और इसमें कोई असावधानी न बरती जाय । माननीय सदस्यों को इसमें चिन्तित होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे आश्वासन पहले भी दिये जा चुके हैं, जो कार्यान्वित नहीं हुए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रशासन में तीन सलाहकारों (एडवाइजरों) की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहन सिंह—

मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था । विशेष कृपा होगी अगर आप उसे कल ले लें ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । कल ही ले लिया जायेगा ।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था । इंडियन इक्सप्रेस में दिनांक 10-3-1981 को कापी में एक न्यूज छपी है, जिसके मातहत उत्तर प्रदेश में तीन एडवाइजर्स मुकर्रर किये जाने वाले हैं । न्यूज इस प्रकार है :—

> एज मेनी एज थ्री एडवाइजर्स—बन ईच फार दि इनफार्मेशन, दि स्टेट लाट्रीज एण्ड दि चल चित्र निगम—हैव बीन एप्वाइंटेड डायरेक्टली बाई दि चीफ मिनिस्टर, मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, एण्ड मोर आर एक्सपेक्टेड शार्टली आल दि थ्री आर नान इनटिटीज एण्ड देयर ओनली क्वालीफिकेशन इज दैट दे हैपेन टु बी क्लोज टु दि चीफ मिनिस्टर... दि मिनिस्टर फार इनफार्मेशन इज मिस्टर अम्मार रिजवी, मिस्टर सिन्हा विल हैव डायरेक्ट रिपोर्ट विद दि चीफ मिनिस्टर एण्ड ही विल गेट ए सैलरी आफ रुपीज 1,500 ए मन्थ ।

श्री अध्यक्ष—

इसका तर्जुमा हिन्दी में कर दें ।

श्री ख्वाजा हलीम—

वैसे मान्यवर, हमारा तो कहना यह है कि श्री अम्मार रिजवी स्वयं चीफ मिनिस्टर के इतने वफादार हैं, इनके ऊपर एडवाइजर नियुक्त करना अच्छा मालूम नहीं पड़ता । दूसरे मान्यवर, उस एडवाइजर को 15 सौ रु० तनख्वाह दी जायेगी । जबकि कान्स्टिट्यूशन के आर्टिकिल 164 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

164(1)"मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे ।"

तो इस प्रकार मिनिस्टर के ऊपर कोई एप्वाइन्टमेंट नहीं किया जा सकता है । दूसरे सारी रिसपान्सिबिलिटी मिनिस्टर की होती है और अगर मिनिस्टर के साथ कोई नियुक्ति की जाती है, तो उस व्यक्ति का ओथ लेना भी जरूरी होता है क्योंकि वह सरकारी फाइलों और कागजात को देखेगा, जो गोपनीय होते हैं । दूसरी बात यह है जैसा कि आर्टिकल 164 (3) में दिया गया है ।

164(3)"किसी मंत्री के उपने पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उससे, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपथ करायेगा ।" और मान्यवर, तीसरी बात यह है आर्टिकल 164 के (5) में ।

164(5) "मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर उस पर राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।" तो इस प्रकार वेतन होने चाहिए, जब तक विधान मंडल उसकी स्वीकृति न दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया साफ-साफ बोलें, मैं अध्यक्ष की हैसियत से आपकी बात को समझ नहीं सका हूं और जो आपने पेपर की न्यूज पढ़कर सुनाई है, उसको हिन्दी में कर दें।

श्री एलाजा हलीम--

मान्यवर, उस न्यूज की हिन्दी इस प्रकार है कि चीफ मिनिस्टर द्वारा 3 एडवाइजर नियुक्त किये गये हैं जो डायरेक्टली स्वतः उनको जवाब देंगे मंत्रियों के ऊपर। इसमें स्टेट लाटरी, इन्फारमेशन डिपार्टमेंट और चलचित्र निगम हैं, जिनके लिए एडवाइजर नियुक्त किये गये हैं, इसमें आगे लिखा गया है कि इनको 15 सौ रु0 तनख्वाह दी जायेगी और यह स्वयं जवाब देंगे चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों के ऊपर।

मान्यवर, यह कान्स्टिट्यूशन की सरासर अवहेलना है। ऐसा व्यक्ति बगैर किसी ओथ के वह सरकारी कागजात और फाइलों को देखेगा इसलिए मैं आपसे इस बात की मांग करता हूं कि जबतक इस पर कोई फाइनल डिसीजन न हो जाय, तब तक इन एडवाइजर्स की नियुक्ति स्थगित रखी जाय।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इसका पूरा अनुवाद करा दिया जाए।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, प्रदेश की संवैधानिक स्थिति संकट में है, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन नये एडवाइजर मुकर्रर किये हैं। श्रीमन्, उनमें से एक को प्रशासन द्वारा दो हजार रु0 और दूसरे को 15 सौ रु0 और तीसरे को 12 सौ रु0 तनख्वाह दी जायेगी, जैसा कि इण्डियन एक्सप्रेस की 10 तारीख की न्यूज में दिया गया है। और जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 163 में साफ दिया गया है कि "जिन बातों पर इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।"

और मान्यवर, आर्टिकल 164 का भी अवलोकन करें, जिसमें यह साफ कहा गया है कि "मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन--]

मन्त्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से औचित्य का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि जब संविधान के अन्दर मन्त्रि परिषद् की बात स्पष्ट रूप से है और मन्त्रि परिषद् में जो मन्त्रिगण हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है लेकिन यह जो नये एडवाइजर हैं इनको मुख्य मन्त्री द्वारा नियुक्त किया गया है कि वह मन्त्रियों ऊपर मुख्य मन्त्री को एडवाइज देंगे और मन्त्रीगण को जो विभाग बंटा है, उसको ओवरप.स कर जायेंगी। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यह संविधान के अनुच्छेद का अवहेलना की गई, उनकी नियुक्ति करके। मैं इस पर स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं उनको तब तक कार्य करने से रोक दिया जाय, जब तक कि संविधान के अनुसार नियुक्ति न हो। यह नियुक्ति संविधान के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष--

श्री ख्वाजा हलाम और श्री अकबाल हुसैन माननीय सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न उठाया है। औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत है, औचित्य के प्रश्न का तरीका है, जो नियम 300 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है, जो आपके द्वारा सारी बातें और 3 एडवाइजर के नियुक्त करने की बात कही गई, मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कह कर आपको नियम पढ़कर सुनाना चाहता हूं। नियम 300 औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसी लाइन पर मैं भी बोलना चाहता हूं, दूसरा बात नहीं कहूंगा। यह बात बिल्कुल साफ है जब औचित्य का प्रश्न उसी पर उठाया जायेगा, जिनसे सदन का काम होता है। माननीय सदस्य ने अच्छा मौका दिया। संविधान में व्यवस्था है राज्यपाल अपने सलाहकार को नियुक्त करेगा वह सलाहकार सदन में बैठेंगे हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और सलाहकार सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, विधान मंडल के प्रति नहीं। अगर कल प्रतिपक्ष या सदन के माननीय सदस्य कोई जानकारी चाहेंगे तो यह सलाहाकार बताने हेतु सदन में बैठेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका संवैधानिक अस्तित्व क्या होगा? मान्यवर, उनको सदन में आने की व्यवस्था हो जायेगी। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैंने एक मामला उठाया था कि दिल्ली सरकार केन्द्र सरकार राज्यों के लिये सलाहकार नियुक्त करना चाहती है, जो कि मिनी प्रेसीडेन्ट रूल है। उसका रास्ता निकालकर मुख्य मन्त्री द्वारा सलाहकार नियुक्त किये गये हैं। मान्यवर, इनका वैधानिक अस्तित्व क्या होगा। मान्यवर, संविधान में यह भी लिखा है कि कोई कर्मचारी नियुक्त होगा उसके लिये चाहे वह सेक्रेटरी हो, वेतन कितना दिया जायेगा, माननीय मुख्य मन्त्री ने 15 सौ रुपया पलैट रूप से तय कर दिया यह इन्होंने किस अधिकार से किया है? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है 15 सौ से 4 हजार कर दें लेकिन यह वेतन वह कहां से देंगे? यह विधान मंडल का कार्य है विधान मंडल उसको पास करता है। या माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने विवेकाधीन कोष से वेतन देंगे? इसके लिये स्टेटुटरी ऐक्ट्स हैं, उसके नियम बने हैं। उसके तहत

नामांकित किये जाते हैं । ये सलाहकार किस विधान, किस नियम के अन्तर्गत नियुक्त किये जा रहे हैं ? ये सलाहकार हमारे सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

आप हमारे संरक्षक हैं, सदन के संरक्षक हैं । ये बेचारे मासूम मन्त्री न मालूम कैसे-कैसे मिल गये हैं । संवैधानिक प्रश्न तो कोई इनवाल्व्ड है नहीं लेकिन एक मारेल्टी का प्रश्न जरूर है । जो एडवाइजर नियुक्त होना शुरू हो गये हैं इन मन्त्रियों के ऊपर, तो अभी तक तो ये ब्यूरोक्रेसी के अन्दर ही दबे हुये थे और अब एडवाइजर की प्रथा भी शुरू हो गई है तो इन मन्त्रियों का संरक्षण किया जाये ।

श्री धर्म सिंह--

मैंने उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को, जो 3 व्यक्तियों के बारे में विवरण दिया गया है, ध्यान से सुना । यहां नहीं सुन रहा था एक मन्त्री के यहां से। लेकिन जो-जो बातें कहा उसकी मुझे जानकारी है । अगर पुराने इतिहास, नियमों और परम्पराओं को देखें और कांस्टीट्यूशन का हवाला दिया गया है उसको भी देखें तो मैं समझता हूं कि कोई किसी तरह की कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस नहीं है । न नियमों को तोड़ा गया है, न भंग किया गया है । श्री रियासत हुसैन साहब ने जो निवेदन किया है मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा है । अब रह जाती है मारेल्टी की बात । आपने अपनी बात कही, यह सरकार के सोचने की बात है कि मारेल्टी कितनी उसमें आती है । देखना है कि जो नियुक्त हुये हैं वे कांस्टीट्यूशनली ठीक है या नहीं । जो अधिकार और कर्तव्य दिये गये हैं उनके कहीं भी किसी नियम का भंग नहीं होता है । इसलिये कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्यादा बहस चले ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने कांस्टीट्यूशन की धारा 164 की ओर इशारा किया था कि उसमें शब्द मिनिस्टर लिखा हुआ है , कहीं भी एडवाइजर या सलाहकार शब्द नहीं है । धारा 164 में स्पष्ट रूप से मन्त्री लिखा है "अदर मिनिस्टर्स" अन्य मन्त्री । 300 में इसका कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता यह आपने कह भी दिया है । सरकार अपने कार्य के संचालन के लिये किसी ऐसे शख्श को, जिसकी राय की जरूरत उसे हो, ला सकती है । ऐसी परम्परा आज नहीं पुराने जमाने से चली आ रही है । जब से सरकार बनी है, प्रजातन्त्र हुआ, मुख्य मन्त्री बने, बराबर ऐसा होता रहा है । जो हमदर्दी रियासत साहब ने मन्त्रा गणों के ऊपर प्रकट की तो अध्यक्ष जी, खुद वे मासूम हैं इसलिये उन्हें दूसरे भी मासूम नजर आते हैं । उन्हें शंका नहीं होनी चाहिये कि अधिकारी मिनिस्टर्स को राय देने के लिये किसी प्रकार से मन्त्री से ऊपर हैं, न संवैधानिक कठिनाइयां हैं, न कन्स्टीट्यूशनल क्राइसिस ही पैदा हुयी है । इस तरह की जो शंका माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि उनकी हमदर्दी का शुक्रिया तो अदा ही करना चाहिये । उसमें कोई ऐसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

बात नहीं है, जो सरकार में ऐसी कोई कठिनाई यहां पर आयी हो या कोई ऐसी चीज हुयी हो ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को इस पर सुनने के बाद इस पर अब चर्चा न कराइये । औचित्य का प्रश्न है, इस पर निर्णय होने दीजिये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कौरवों से ज्यादा सेना इनके पास है ।

श्री अध्यक्ष--

शब्द तो आपके इतने तीखे हैं, सेना कम भी हो तो कोई बात नहीं ।

आप जब इस पर विचार व्यक्त करने के लिये खड़े हुये तो माननीय राजेन्द्र कुमार जी और माननीय रियासत हुसैन जी ने सलाहकारों की नियुक्ति और उसकी तनख्वाह की स्वीकृति जो सदन से सम्बन्धित होती है, उसके विषय में उन्होंने कहा । मैंने सभी बातों पर दोनों पक्षों के विचार सुनने के बाद, गौर किया । जहां तक किसी पद के सृजन का प्रश्न है, इसका अधिकार राज्यपाल में निहित है, जो आपके संविधान में है, अनुच्छेद 154 इस प्रकार है--

"राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा ।" कोई पद सृजित करना और उस पद का सृजन करने के पश्चात् उसकी उपलब्धियों की व्यवस्था करना, यह शक्ति राज्यपाल में निहित है । यह कार्यकारिणी का कार्य है कि वह अपने लिये एडवाइजर और जो भी पद चाहें, सृजित करें और नियुक्ति करें । जहां तक सृजित करने से मन्त्रियों की स्थिति कम होगी, इसका प्रश्न है, तो ऐसी कोई बात यहां पर परिलक्षित प्रगट नहीं होती है और इसके उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मंत्रि-परिषद्, मन्त्रिगण और उनका उत्तरदायित्व संविधान में निश्चित रूप से दिया हुआ है और उसी के अनुसार उनकी स्थिति है । यह जो आपने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न ऐसा है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के सदन के कार्य के विनियमन के सम्बन्ध में निर्वचन या अवर्तन के सम्बन्ध में नहीं है । चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए कार्यकारिणी के सर्वोच्च अधिकार होने के नाते जो उनको सुविधाजनक दिखायी पड़े, वह वे कर सकते हैं, चाहें 30 एडवाइजर रखें हमें कोई मतलब नहीं है । सदन में माननीय सदस्य और माननीय मन्त्रिगण सर्वोच्च हैं और उन्हीं की मान्यता सर्वश्रेष्ठ रहेगी ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक 1981 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मन्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मन्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पुरःस्थापित करता हूं ।

(12 बज कर 38 मिनट)

कार्य स्थगन प्रस्ताओं की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कुल सात सूचनाएं आयी थीं । माननीय हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना गत 4/5 मार्च, 1981 को सलेमपुर, जिला देवरिया में श्री नारायण कानू के परिवार के 4 सदस्यों का गला दबाकर एवं जहर खिलाकर हत्या करने तथा सारी सम्पत्ति ले लेने के सम्बन्ध में है । श्री मोहन सिंह की सूचना विगत 7-3-81 को लखनऊ के चारबाग स्थित बस डिपो पर लोकदल के जिला अध्यक्ष, श्री शारदा प्रताप शुक्ल के भाई, श्री कृष्ण प्रताप शुक्ल के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला करने एवं सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा पुलिस पर दबाव डालने के सम्बन्ध में था । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना लखीमपुर जिले की एक चीनी मिल द्वारा गोमती नदी में विषाक्त पानी छोड़ने के फलस्वरूप लखनऊ नगर में गोमती के विषाक्त पानी को पीने एवं मरी हुयी मछलियों को खाने से नागरिकों को स्वास्थ्य के लिये उत्पन्न भीषण खतरे के सम्बन्ध में है । इसी विषय के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राम आसरे वर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द तथा श्री अकबर हुसैन ने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये हैं । श्री शंकर सिंह एवं श्री दलगंजन सिंह का बेतवा नहरों द्वारा सिंचाई के लिये पानी न देने के कारण बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन तथा हमीरपुर की लाखों एकड़ फसल सूखने के कारण किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा होने के सम्बन्ध में है । यह सभी सूचनायें अस्वीकृत हुयीं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् बड़ी गम्भीर स्थिति है । तमाम लखनऊ प्यासा मर रहा है ।

---

†दिनांक 13 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट छपा है ।

श्री मोहन सिंह--

बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(शोर)

श्री शंकर सिंह--

बड़ी गम्भीर स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष--

शंकर सिंह जी आप तो बैठ जायं । आपका जो प्रस्ताव है, उस पर कल वक्तव्य हो चुका है ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है उसको मैंने कल 301 में भी दिया था । यह कार्य स्थगन का विषय कल तक मैं नहीं मानता था । लेकिन आज मुझको जो एफ0 आई0 आर0 मिली है तो इस सम्बन्ध में 7 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । इन लोगों के पास नाजायज असलहे बरामद हुये हैं । श्री कृष्ण प्रताप शुक्ल के ऊपर हमला किया गया, जिन्होंने हमला किया उनके पास गैर लाइसेन्स शुदा हथियार थे । उन्होंने जो थाने में रिपोर्ट लिखाई है, उसको मैं पढ़ रहा हूं ।

निवेदन है कि प्रार्थी जगदीश प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद, निवासी ग्राम नेवाजो खेड़ा, एच/ओ रहमीन नगर पड़ियाना, थाना बंथरा, जिला लखनऊ का निवासी है । प्रार्थी का कल दिनांक 6-3-81 को एस0 डी0 ओ0, लखनऊ के यहां मुकदमा था । प्रार्थी उसी सिलसिले में लखनऊ आया हुआ था । जब कल प्रार्थी की गाड़ी छूट गयी तो प्रार्थी सिसेंडी हाउस में रुक गया । मान्यवर, सिसेंडी हाउस सत्ता पक्ष के विधायक, श्री त्रिपाठी का घर है । आगे है--आज दिनांक 7-3-81 को प्रार्थी घर जाने के लिये 10-15 मिनट पर सिसेंडी हाउस रिक्शे से टैक्सी स्टैंड चारबाग जा रहा था । प्रार्थी ज्यों ही रिक्शे से रोडवेज बस स्टैंड पार किया त्यों ही दाहिने तरफ से हमला किया गया । मान्यवर, इससे साफ जाहिर है, हम लोगों ने इल्जाम लगाया था कि सत्ता पक्ष के विधायक लोकदल के कार्यकर्ताओं को नाजायज तरीके से उनकी हत्या कराकर अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं । मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है उससे यह बात सिद्ध हो गयी है कि नाजायज हथियार सिसेंडी हाउस से लेकर चारबाग के पहले लोकदल के कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण किया । यह निश्चित तौर पर कार्य स्थगन-प्रस्ताव बन जाता है कि एक सत्ता पक्ष का जिम्मेदार विधायक इस तरह से एक विरोधी पक्ष के राजनीतिक कार्यकर्त्ता के उन्मूलन का संगठित प्रयास करे । हम सभी लोग इस तरह से असुरक्षित हो गये हैं । इसलिय अविलंबनीय लोक महत्व का यह प्रश्न है । सत्तारूढ़ दल के लोग क्रिमिनल और अपराधिक लोगों को प्रोत्साहित करके हत्या करवाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

बस हो गया । आप बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहन सिंह--

इस पर चर्चा कराइये नहीं तो हमारे दल के कार्यकर्ताओं को बेचैनी होती है । छेदा सिंह की हत्या के सम्बन्ध में मैंने इल्जाम लगाया था । 13 हत्यायें करा चुके हैं । आगे और हत्यायें होने वाली हैं । तो आप इस पर चर्चा करायें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिया है कि गोमती नदी का पानी विषाक्त हो गया है, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, जांच रिपोर्ट से साबित है कि पानी में जो वायु, आक्सीजन 6 प्रतिशत होना चाहिये वह 2 प्रतिशत है । इससे सुनिश्चित हो गया है कि जल के विषाक्त होने के कारण हजारों मछलियां मरी हैं । पानी बराबर बह रहा है जिसके क्या परिणाम होंगे यह आप सभी जान सकते हैं । मान्यवर, यह मामला यहां पहले भी कई बार उठ चुका है कि लखीमपुर की एक चीनी मिल द्वारा विषाक्त पानी हर साल गोमती नदी में छोड़ा जाता है जिससे गोमती का पानी यहां विषाक्त हो जाता है । लखनऊ में गोमती का पानी भी विषाक्त हो जाने की आशंका से उसकी सप्लाई बन्द कर दी गयी है । लखनऊ में हजारों नागरिक यहां रहते हैं और बाहर से भी आते हैं जो विषाक्त पानी को पीयेंगे और जानकर उसको पीयेंगे । यह विचित्र स्थिति लखनऊ के नागरिकों के सामने पैदा हो गयी है । इसलिये यह मामला अविलम्ब महत्व का है । अतः मान्यवर' आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार कर लें और कम से कम शासन को वक्तव्य देने के लिये कह दें । जो समाचार-पत्रों से भ्रम पैदा हो गया है उसका निवारण हो सके, इसलिये कार्य स्थगन प्रस्ताव यदि स्वीकार न करें तो वक्तव्य ही दिला दें ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, लखनऊ में गोमती नदी एक नहर की तरह हो गयी है । उसका पानी पीने और नहाने के काम में लाया जाता है । इसके अलावा गरीब लोग मछलियों को पकड़ कर अपनी रोटी चलाते हैं । लेकिन लखीमपुर से खराब पानी आने से गोमती का पानी खराब हो गया है । हमने और राजेन्द्र कुमार ने भी कहा है कि लखनऊ में पानी की सप्लाई बन्द हो गयी है जिससे पानी पीने और नहाने की समस्या नागरिकों के सामने खड़ी हो गयी है । इस पर मान्यवर, आज ही वक्तव्य आना चाहिये कि इसमें क्या बात है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है उसके सम्बन्ध में श्री गुप्त और श्री रियासत हुसैन ने जो प्रकाश डाला है उसके अतिरिक्त मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह मामला इसी वर्ष का नहीं है । यह मामला हर वर्ष आता है और शासन हर वर्ष आश्वासन देता है कि इस मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे लेकिन फिर वही प्रक्रिया हो जाती है । मुझे यह भी बताया गया है कि मंत्री जी देखने गये थे और यह जांच से साबित हो गया है कि जल प्रदूषण है और वह इसलिये है कि डिस्टिलरी का खराब पानी और चीनी मिल के मुलैसेस एवं उसके खराब पानी के कारण ऐसा हर साल होता है । इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि तत्काल वह इस पर अपना वक्तव्य दें और पिछला आश्वासन जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

सम्बन्धित मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने का था, उसमें क्या किया ? यदि शासन पिछले आश्वासन का परिपालन करता और मालिक के खिलाफ कार्यवाही करता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि गोमती में विषाक्त पानी छोड़ता और जिससे लखनऊ के हजारों नागरिकों की जान के सामने प्रश्न चिन्ह लगता। मछलियां मर गयीं, यह दूसरी बात है लेकिन लखनऊ में रहने वालों के सामने पीने के पानी का प्रश्न पैदा हो गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी तत्काल आश्वासन दें और बतायें कि पहले जो आश्वासन दिया गया था उसका परिपालन क्यों नहीं हुआ ? यदि हुआ, तो मिल मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही किया ?

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

जैसा माननीय सदस्यों ने इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रखे उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कल लखनऊ में गोमती नदी का पानी विषाक्त हो जाने से जो मछलियां उसमें कल लाखों की तादाद में मर गयीं और उनको शहर के लोगों ने खाया जिससे उनकी तबियत खराब हो गयी है। यह पहला मौका नहीं है। पहले भी इस प्रकार की घटनायें घट चुकी हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में सदन आज की कार्यवाही रोक कर कार्यवाही करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। यह मामला महत्वपूर्ण है। इसलिये मंत्री जी से मान्यवर, आप वक्तव्य दिला दें।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, जो गोमती का पानी विषाक्त हो गया है जो गोमती के पानी का प्रदूषण हो गया है इस साल, उस पर वहां के बारे में कई बार कहा जा चुका है, यह वही मिल मालिक हैं जो शासन पक्ष को चुनाव में पैसा दिये थे, इसलिये इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने असली विषय पर बोलिये।

श्री राम गोविन्द---

गोमती में मछलियों के मरने से पीने के पानी का संकट आ गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही शासन से इस विषय पर वक्तव्य दिलाने की कोशिश करें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है, जितनी मछलियां वहां पर मरी थीं जिनको खाने की बात की गयी है, वह सारी डिस्ट्राय कर दी गयी थीं, उनको खाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चूंकि यह एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी सदन को होनी चाहिये, सम्मानित सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिये, पूरे प्रदेश को इसकी जानकारी होनी चाहिये। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया था, कल वे इस पर वक्तव्य देंगे और जो वह जांच कर रहे हैं, पूरी जानकारी सदन के सामने कल रख देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

स्वतः उन्होंने वक्तव्य स्वीकार कर लिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

कल क्यों, आज क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

कल के लिये कह दिया है, यह कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री शंकर सिंह--

कल माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसे ले लें क्योंकि किसानों के जीवन का प्रश्न है... ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

(व्यवधान)

(विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से एक साथ बोलने लगे ।)

श्री कैलाश टंडन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

(व्यवधान)

(विरोधी पक्ष के दो सदस्य, श्री शंकर सिंह तथा श्री दल गंजन सिंह जोर-जोर से नारे लगाते हुए सत्ता पक्ष के त्याग-पत्र देने की मांग करने लगे और सदन के बीच में रिक्त स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ कार्यवाही का अंश नहीं होगा ।

(व्यवधान)

(शोर-गुल के मध्य)

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में अपने दल के लोगों को शान्त करें ।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर तथा कुछ बैठ कर शेम-शेम के नारे लगाने लगे ।)

(विरोधी पक्ष की ओर से सदन के बीच खाली स्थान पर खड़े सदस्यों को वापस ले जाने के लिये श्री मोहन सिंह तथा श्री कुबेर भन्डारी आगे आये और उनको शान्त करने के प्रयत्न करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्त रहें । टंडन जी, आप कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, कोई इरादा सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने का हमारा नहीं है । मैं जैसा कि फील करता हूं कि हमारे सदस्य की भावना प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग की समस्या के लिये है, केवल अपने लिये ही नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्री जी कहें क्यों कि वे इस पर बात करेंगे चाहे अपने कमरे में, चाहे इस सदन में । वे आश्वासन दे दें कि अफिसर्स से बात करेंगे । इतनी सी बात से सदस्यों की भावना शान्त हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

इस समस्य पर कल वक्तव्य हुआ था । वक्तव्य के बाद इस पर अनेक पूरक प्रश्नों को स्वीकार किया गया था और दोनों तरफ से पूरक प्रश्न पूछे गए थे। माननीय मंत्री जी ने उस वक्त जो भी उत्तर दिया हो सकता है कि सदस्य उससे सन्तुष्ट न हों, लेकिन उसके बाद ही माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उन्होंने एक बैठक बुलाई है इन्जीनियर्स की और उसमें इस बात की व्यवस्था करेंगे कि यदि पानी दिया जा सकेगा तो तुरन्त दिलायेंगे । अभी कल ही मीटिंग बुलाने की बात कही गई तो आज सुबह इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिये था। मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि कल उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी या जब भी मीटिंग बुलाई थी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसी कल यहां चर्चा हुई है उससे लगता है कि लोग काफी चिन्तित हैं पानी के सम्बन्ध में तो उस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य चिंतित हैं उन्हें उनके उन स्थानों पर वहां के कार्यों से अवगत करा देंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे ।

श्री ऊदल--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

आज ही पांच बजे मीटिंग बुला ली है । जो अधिकारी और इन्जीनियर्स हैं सबको बुला लेंगे । सामने बैठकर बात होगी ।

अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव रखने पर सत्तारूढ़ दल द्वारा टीका--टिप्पणी किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल--

श्रीमन्, यह जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली हम लोगों को मिली है उसके अध्याय 15 को श्रीमन्, निकाल लें । इससे 189 पर हमारे नियमों के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव पेश करने का प्राविधान है कि किसी मांग की राशि कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा, यह आपकी आज्ञा से होगा । श्रीमन्, यदि उसमें कहीं से असंगति होगी तो आपको अधिकार है कि आप उसको नहीं स्वीकार करेंगे । श्रीमन्, पिछले बजट सत्र

में और इस बजट सत्र में मैं यह देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं कि हमारे सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य बोलते हैं वह कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य से कभी-कभी तो कहते हैं कि यह इसके लिए बड़े शर्म की बात है कि इन्होंने एक रुपये की मांग को कटौती कर दी। किसी सदस्य से, अभी अभी आप यदि हरिजन कल्याण विभाग की मद का भाषण निकाल कर देखें तो उसमें कहा गया कि जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह माननीय सदस्य हरिजन विरोधी हैं और सामुदायिक विकास मंत्री जो ने जिस दिन अपना बजट प्रस्तुत किया था उस दिन सत्तारूढ़ दल के सदस्य ने कहा कि यह माननीय सदस्य पूरी ग्रामीण जनता के विरोधी हैं और वह कटौती करके एक रुपया करना चाहते हैं तो कल श्रीमन्, इसी तरह से कटौती का प्रस्ताव पेश करने के बाद जब एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। पिछले बजट में भी जब मैंने श्रम विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि ऊदल जी तो बहुत पुराने सदस्य हैं इनके लिए यह शर्म की बात है कि इन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा तो यह काम तो श्रीमन्, उस पीठ का है कि अगर हमारी नियमावली में जो अधिकार हैं, जो प्रस्ताव रखा है, अधिकार दिया हुआ है उसके बरखिलाफ कोई माननीय सदस्य कुछ कहता है तो पीठासीन अधिकारी को उन असंगतियों को दूर करने के लिए या उस माननीय सदस्य को टोकना चाहिए। पिछले बजट सत्र में भी..

श्री अध्यक्ष--

हो गयी। आप की बात..

श्री ऊदल--

नहीं, श्रीमन्, असली बात पर अभी नहीं आया हूं। तो अगर पीठासीन अधिकारी नहीं टोकते हैं, विसंगतियां होती हैं, आती हैं तो, श्रीमन् हमको बीच में हर माननीय सदस्य को टोकने का अधिकार है, इन्टरप्ट करने का अधिकार है। इसी लिए कल मैंने जब टोका, इंटरप्ट किया, तो माननीय सदस्य बैठ गये थे और इस बारे में आपके पीठ से दिये हुए निर्णय हैं उसको मैं बताना चाहता हूं "वक्ता को भाषण में टोका जा सकता है अथवा उससे प्रश्न किया जा सकता है किन्तु उसके स्थान ग्रहण करने के बाद" जब मैंने टोका तो माननीय सदस्य बैठ गये थे और मेरे ऊपर रिमार्क किया कि आप ने संसदीय ज्ञान का अच्छा परिचय दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी नियमावली है, जिससे हमारा सदन संचालित होता है या जो आपके द्वारा निर्णय दिये गये हैं, उसमें हमको भाषण देने का अधिकार नहीं है लेकिन कहीं अगर विसंगति है, इंटरप्ट करने का अधिकार है, टोकने का अधिकार है। इसलिए, मैं श्रीमन्, चाहता हूं और आप का भी कर्तव्य है, श्रीमन् इस नियमावली के तहत कि अगर कोई माननीय सदस्य विसंगतियां उपस्थित करता है, हमारी नियमावली के बरखिलाफ बोलता है और अगर टोकने पर, इटरप्ट करने पर इस तरह का रिमार्क किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने बहुत धैर्य से माननीय सदस्य की बातें काफी समय तक विस्तार से सुनी और अपनी बुद्धि क्षमता की कमी के कारण ठीक-ठीक समझ नहीं पाया कि उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है क्योंकि कोई घटना आज तो घटी नहीं। जब तक

[श्री अध्यक्ष--]

को कार्यवाही चल रही हो उस वक्त कोई घटना होती हो तो व्यवस्था का प्रश्न उस के संबंध में उसी वक्त उठाया जा सकता है। उन्होंने हवाला दिया कल, परसों का पिछले सत्र का, तो उस समय यह प्रश्न उठाया जा सकता था। उस समय की बात के संबंध में आज व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। इस में कोई उतर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गौरी शंकर भंय्या--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में आप को अधिकार हैं, आप हिदायत दे सकते हैं, घटना किसी भी दिन की हो (व्यवधान)†

[समय 1 बजकर 1 मिनट]

1981-82 के अय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 52-कृषि, अनुदान संख्या 53-औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59-पशुधन, अनुदान संख्या 60-दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94-कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100-दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122-कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124-पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम (क्रमागत) †

*श्री प्रभाकर नाथ दिवेदी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि कृषि बजट पर बोलने का आप ने मुझे अवसर दिया। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उस का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने विरोधी पक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि कटौती....

श्री अध्यक्ष--

प्रभाकर नाथ जी, एक मिनट रुकिये, मैं एक सूचना दे दूं। माननीय सदस्य ध्यान से सुन लें। कल से इस बजट पर बहस चल रही है और आज 3 बजे इस पर मतदान होगा और फिर दूसरा बजट लिया जायगा। इसलिए सभी माननीय सदस्य खुद भी समय का ध्यान रखें और अगर आप सब की राय हो तो पांच मिनट का समय बोलने के लिए रखा जाय ?

(किसी ने आपत्ति नहीं की।)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

जो कटौती का प्रस्ताव हमारे विरोधी दल के साथियों ने प्रस्तुत किया है, उन से आग्रह करता हूं कि उसे वापस ले लें।

जहां तक इस बजट का संबंध है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश में सब से पहले कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की है। इसके

---

†10 मार्च, 1981 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122-कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

लिए वह बधाई के पात्र हैं। आज कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए आप जानते हैं, हमारे यहां गांवों में जितने भी प्रदर्शन होते हैं वह बड़े लोगों को ज्यादा दिया जाता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छोटे और सीमान्त कृषकों को जो डिमांस्ट्रेशन करने का अवसर दिया जाता है उनको अधिक सुविधायें दी जांय। आज हम प्रदेश में कृषि के लिये आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उसकी ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसका सबूत यह है कि दलहन को खेती में हम चाहे, वह मूंगफली हो या कोई और खेती हो, उसमें 100 और 150 रु0 का अनुदान हम फूटफुल बीज को खरीदने के लिये दिया करते हैं। मान्यवर, पिछले वर्ष हमारी जो पैदावार थी 161 79 लाख मीट्रिक टन की थी। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 232 लाख मीट्रिक टन का है। इस तरह से हम इस तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।

आप जानते हैं कि कृषि में हमारे यहां दलहन की कमी को आलू की खेती पूरी कर रही है। लेकिन मान्यवर, उसके रख रखाव और भाव के ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। जब लक्ष्य से ज्यादा कोई चीज पैदा हो जाती है तो उसके दामों पर और उसके रख-रखाव पर भी नियंत्रण होना चाहिए। गेहूं, धान, गन्ना, कपास, जूट आदि की खेतियों में भी हमारी सरकार तेजी के साथ अच्छे-अच्छे नये बीज लाने की कोशिश कर रही है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बीजों के रख-रखाव के लिये कुछ बड़े किसान ही ज्यादा लाभान्वित होते हैं और छोटे किसानों को सूचना नहीं मिल पाती है। यह हमारे लिये एक समस्या बन गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लघु और सीमान्त कृषकों को हम 25 और 33 प्रतिशत की छूट देते हैं और हरिजनों के लिये हम 50 प्रतिशत की उर्वरक में छूट देते हैं। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन जो उसकी वितरण की व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। मान्यवर, 10 मार्च तक छूट की आखिरी तारीख थी। मैं मांग करूंगा कि अगर आप कहीं भी किसी एक ब्लाक की जांच कर लें कि जो खाद वितरित की गई है वह सही तरीके से वितरित की गई है या नहीं, तो आपको मालूम हो जायेगा। छोटे लोगों को यह खाद मिल ही नहीं पाती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर सख्ती से निगाह रखें।

मान्यवर, जमीन के बारे में कहना चाहता हूं कि जो सुविधा आप किसान को दे रहे हैं उसकी आप जांच करवा लें कि कौन सी जमीन पर कौन सी फसल बोयी जायेगी। इसका प्रचार और प्रसार बड़े किसानों के पास ही होता है, छोटे किसानों को कुछ मालूम नहीं हो पाता। देहातों में इसका प्रचार और प्रसार ही नहीं हुआ है। कल हमारे एक सदस्य ने कहा था और मैं उससे सहमत हूं कि जो हमारे ग्राम सेवक हैं वे इसका प्रचार और प्रसार ब्लाक के माध्यम से क्षेत्रों में करते हैं, उनकी सेवाओं को कृषि के अन्तर्गत रखा जाय और उनसे उनके आंकड़े लिये जाय।

ऊसर सुधार के बारे में आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर काफी जमीन ऐसी है जो ऊसर में परिवर्तित हो रही है। इसलिये इस जमीन

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

को आप सुधार लें और उनको भूमिहीनों में बे दें और इस तरह से आप उनको सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश में बीहड़ बहुत इलाके में हैं जो नदी-नालों के किनारे की जमीन है, उसको सुधार कर उसमें खेती की जा सकती है। उस जमीन को बराबर करने के लिये आप अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जमीन को खेती के काबिल बना सकते हैं।

मान्यवर, फल और सब्जी में हम निश्चय ही काफी आत्मनिर्भर हुये हैं। हमारे प्रदेश की सब्जी और फल दूसरे प्रदेशों में जाती है। हम इसमें और तेजी ला सकते हैं तो इनकी और उपज अच्छी होगी। बलहा की जो खेती है तो उसमें आलू ने कमी को पूरा किया है इसलिए उसके रख-रखाव पर निगाह रखने की जरूरत है।

जानवरों और उनके इलाज के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि गावों में जो डाक्टर जानवरों के हैं, वह सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें आप आगाह करें कि अपने काम में संतर्क रहें। हमारे यहां गौरा ब्लाक में जो पशुधन डाक्टर है, वह गांव में जाने का 100 रु0 से कम नहीं लेता है। मैंने इसकी शिकायत पहले माननीय मंत्री जी से की थी मगर आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हरिजनों और गरीबों को अंत्योदय के सिलसिले मे जो जानवर खरीद कर दिये जाते हैं उनमें डाक्टरों का बड़ा हाथ होता है 100 और 200 रु0 लेकर वह जानवरों को देते हैं। चूंकि दो हजार और तीन हजार का जानवर होता है तो वह कहते हैं कि इनको छूट पर मिल रहा है इसलिए वह बेचारे पैसा दे देते हैं। इसके अलावा यह जानवर गरीबों के नाम पर बड़े लोगों को दिये जाते हैं इसलिए इस पर भी सख्ती के साथ निगाह रखें और डाक्टरों पर भी नियंत्रण रखें जिससे वह सही काम करें।

प्रतापगढ़ में एक दुधारू पशु योजना गायों की तीन-चार साल पहले चली थी और वहां पर अतू फार्म बनाने की उसमें योजना थी, पता नहीं वह योजना कहां गायब हो गयी इसलिये मैं चाहूंगा कि इस योजना को उस जनपद में कार्यान्वित करायें। मैं आपका अध्यक्ष जी आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट का अनुमोदन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कृषि पैदावार की तरफ। आप यह न भूलें कि आप इस मुल्क के उ0 प्रदेश के मंत्री हैं जो दोआब कहलाता है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां का मुख्य पेशा खेती है और कोई दूसरे साधन माइंस या इंडस्ट्री यहां नहीं हैं। यहां पर पानी के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, मैं युटिलाईजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपने को पूरे हिन्दुस्तान की तुलना में देखें और दूसरे प्रदेशों का मुकाबला करें तो बहुत पीछे हैं। मैं स्पेसिफिक तरीके से कहूंगा आप चावल की तरफ ध्यान दें यह 1979-80 की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डायरेक्टर है आपकी उपज क्विंटल पर हैक्टेयर में 10.69 है, आपसे गुजरात ऊपर है, आसाम ऊपर है, हिमाचल प्रदेश ऊपर है और जम्मू काश्मीर ऊपर है, केरल और करनाटक भी आपसे ऊपर है पंजाब की उपज 33.62 क्विंटल पर हैक्टेयर है यानी आपसे तीन गुना ज्यादा है मक्का में यू0 पी0 की उपज 7.98 क्विंटल पर हैक्टेयर 1977-78 का रिकार्ड है, जब कि आपसे ऊपर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू काश्मीर, यहां तक कि बिहार भी ऊपर है और कर्नाटक की उपज 29.55 है यानी आपसे चौगुना ज्यादा वहां उपज है। आलू में यू0 पी0 की उपज 149.86 है और आपसे ऊपर हरियाणा, हिमांचल प्रदेश और गुजरात में यह उपज 238.93 यानी दुगुना है अब गेहूं में देखें जो कि मेन क्राप है यू0 पी0 में एवरेज उपज 14.62 क्विंटल पर हैक्टेयर है जब कि आपसे ऊपर उड़ीसा और राजस्थान है और वेस्ट बंगाल भी आगे है जिसकी उपज 20.40 है और पंजाब तो 25.37 क्विंटल पर हैक्टेयर है और जो पूरे हिन्दुस्तान का एवरेज है उसमें भी आप पीछे है पूरे देश का एवरेज 14.77 है।

अब कॉटन ले लीजिये उसमें भी आपकी बुरी हालत है उत्तर प्रदेश की उपज 0.88 क्विंटल पर हैक्टेयर है पंजाब में वह 3.43 है यानी चार गुना ज्यादा है। अपका टोटल सीरियल 1977 में 212.37 लाख टन था और इस समय 81-82 में वह 242 लाख टन है यानी चार साल में सारी शक्ति लगाकर 13 परसेंट की इनक्रीज कर पाये। 13 परसेंट आपकी एन्क्रीज हुई है। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में हम वाटर रिसोर्सेज के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा और जमीन के मामले में सबसे अच्छे हैं। यहां की जमीन में न फास्फोट की कमी है न नइट्रोजन की और न किसी दूसरी प्रकार की कोई कमी है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप सोचें कि क्या कारण है कि पैदावार के मामले में हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं जितना दूसरे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में गेहूं की उपज हमसे 25 प्रतिशत ज्यादा है, हरियाणा की 40 प्रतिशत और पंजाब की 75 प्रतिशत ज्यादा है। मैं इसे एक बात से जोड़ना चाहूंगा, अभी मैं हरियाणा गया था, सोचा था शायद गेहूं का कोई नया बीज शायद लुधियाना यूनिवर्सिटी ने ईजाद किया हो, जिसकी हाई ईल्ड हो। लेकिन डायरेक्टर साहब आए तो उन्होंने बताया कि हम तो पन्तनगर यूनिवर्सिटी का नं0 1553 बीज ही इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छा और कोई बीज नहीं है। तो हाई-ईल्ड के मामले में हमारी यूनिवर्सिटी का बीज सबसे ज्यादा अच्छा लेकिन दूसरे प्रदेशों में उससे हमारे वहां से 25-30 प्रतिशत ज्यादा उपज होती है।

आपकी जो स्कीम है ट्रेनिंग एन्ड विजिट की, वह तीनों कमान्डों के लिए है और उसके लिए वर्ल्ड बैंक का रुपया आता है। किन्तु आप अभी तक इटावा और कानपुर दो जिलों को ही इस स्कीम के अन्तर्गत कवर कर पाये हैं। तो जितनी जल्दी हो सके तीनों कमान्डों में उस स्कीम को लागू किया जाए। एग्रीकल्चर टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन आपके द्वारा दो बार मंजूर--इन प्रिंसिपल कि सारे डिपार्टमेंट को टेक्निकल माना जाए, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं किया गया

[श्री रियासत हुसैन--]

आपके द्वारा 4-2-80 और 8-9-80 को इस सिद्धान्त का एलान हुआ, लेकिन अभी तक उसका जी० ओ० नहीं जारी हुआ है ।

दो बातों की तरफ मैं आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक तो हार्टिकल्चर है इसमें हम सेब और अंगूर की ओर तो ध्यान देते हैं लेकिन आम और अमरूद की तरफ हमारा ध्यान नहीं है । तो आप आम और अमरूद के लिए जो सब्सिडी देते हैं साथ ही उसके लिए अपने इंस्पेक्टर और ए० डी० ओ० की ड्यूटी लगाये कि वह तिमाही या छमाही उन सब का निरीक्षण करें और देखें कि उनके विकास में क्या दिक्कत है । एनिमल हस्बैन्डी को आपको उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिए, जितना आप सब चीजों को मिलाकर देते हैं । किसान की आर्थिक व्यवस्था इनिमल हस्बैन्डी से जुड़ी हुई है और आप उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना वास्तव में देना चाहिए । चाहे वह गाय पालने की हो, भैंस पालने की हो या अन्य मवेशी पालने की हो । किसान एक से दो भैंस अपनी पालने लगेगा तो निश्चय ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी । क्राप इंश्योरेंश और एनीमल एंश्योरेन्स की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री तेज बहादुर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और कृषि मंत्री ने जो बजट रखा है, वह सचमुच बधाई के पात्र हैं । कृषि प्रधान हमारे देश और प्रदेश में किसान की जो हालत रही है वह वास्तव में चिन्ताजनक रही है और कृषि मंत्री ने जो बजट रखा है, वह वाकई में एकदम तारीफ के काबिल है । लेकिन मैं चाहूंगा कि उन्होंने खाद के सम्बन्ध में छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों के लिए 50 प्रतिशत की छूट देने की जो बात कही है, इसमें कहीं-कहीं अनियमितता पाई गई है । छोटे किसान के नाम पर बड़े किसानों ने उस खाद को लिया है । हमें जहां तक जानकारी है उसकी भी कोई जांच-पड़ताल नहीं हो पाई ।

जहां तक ट्रेक्टर्स के सम्बन्ध में उन्होंने बताया है कि ट्रेक्टर में उनको छूट दी जायेगी तो उससे भी उनका मनोबल बढ़ेगा । वह ट्रेक्टर का खरीद-फरोख्त कर सकेंगे । लेकिन जिस तरह से चेसीज और टेक्सी के लिए बैंक लोन देता है और उस पर जो टैक्सेज लगाये जाते हैं, अगर वे न लगाये जायें तो किसानों को बहुत फायदा हो सकता है ।

मेरी यह भी प्रार्थना है कि प्रदेश में डीजल पम्प्स की संख्या को निश्चित रूप से बढ़ाया जाय । इससे भी किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा । साथ ही यह भी निवेदन है कि कृषि विभाग को जैसा कि अभी भाई रियासत हुसैन ने कहा प्राविधिक विभाग घोषित किया जाय । जब यह विभाग टेक्निकल घोषित कर दिया जायेगा तो इसमें आमूल सुधार होगा ।

वर्ल्ड बैंक ने जो ट्रेनिंग विजिटस के लिए 75 प्रतिशत का अनुदान दे रहा है, उसको तत्काल इस प्रदेश में लागू किया जाय । जब इस कार्य के लिए आपको केन्द्रीय सरकार से 75 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है तो समझ में नहीं आता कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्यों नहीं इसको प्रदेश में लागू किया जा रहा है ? यदि इसको लेकर इसको कार्यान्वित किया जायेगा तो निस्संदेह किसानों की हालत ज्यादा बेहतर होगी ।

दूसरी मेरी प्रार्थना है कि आपने जो हर जिले में कृषि सेवा केन्द्र खोले हुए हैं, जब किसान उनसे बीज बोने के लिए या दवाओं के लिए यंत्र लेना चाहते हैं तो कह दिया जाता है कि ट्रैक्टर के साथ देंगे लिहाजा अगर किसी किसान के पास अपना ट्रेक्टर नहीं है तो उसे ये यंत्र नहीं मिल पाते हैं । गेहूं बोने फसल की मंडाई करने के लिए किसानों को जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है मेरी मांग है कि उनको इन्हें अलग से किराये पर दिला दिया जाय । यदि यह व्यवस्था उन केन्द्रों पर करा दी जाय तो किसानों का बड़ा लाभ हो सकेगा ।

यहां तालकटोरा में जो कृषि वर्कशाप है और जिसमें ये यंत्र मिला करते थे वे विश्वसनीय होते थे लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उसमें जो प्रोडक्शन होता था वह कम होने लगा है जिसके कारण कृषि के जो औजार होते हैं वे कायदे के नहीं मिल पाते हैं । अगर प्रदेश में किसानों को सुविधा के लिए हर ब्लाक स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कोई भी आदमी अपनी परेशानी को दूर करने के लिए गहना वगैरा गिरवी रखकर अपना काम कर सके और जब उसका काम हो जाय तो उस गहने को छुड़वा सके। उसी प्रकार से जब किसान की फसल पैदा होती है तो वह अपनी फसल को रोककर उचित समय पर बेच सके। अब होता यह है कि अगर किसान की फसल 10,000 रुपये की होती है तो उसे 5-6 हजार रुपये में बेचना पड़ता है । होना यह चाहिये कि वह अपनी 10 हजार रुपये की फसल को वहां पर जमा करके और आवश्यकतानुसार 5-6 हजार रुपया ले ले और जब उसका काम हो जाय तो उसे उचित और बढ़े हुए दामों पर बेच सके । इससे गरीब किसानों का बहुत भला हो सकता है । अगर हमारे कृषि मंत्री जी इस योजना को लागू करवा दें तो किसानों का बड़ा ही उपकार होगा । किसान अपनी सारी फसल को अपने खेत में पैदा करता है और जब बनिया उसके पास जाता है तो कहता है कि इस भाव लेंगे । होता यह है कि किसान जिस चीज को अपने खेत में पैदा करता है उसका भाव पूंजीपति खोलता है । मैं पूछना चाहता हूं कि वह दिन कौन सा होगा जब कि किसान अपनी पैदावार का भाव स्वयं खोलेगा ।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से, जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करते हुए कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं । कृषि, किसान और गांव ये तीन शब्द पर्यायवाची हो गये हैं । यदि इनका सुधार हो जाय तो ये तीनों तरक्की कर सकते हैं । मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी किसानों के लिए व्यवस्था की जाय वह समय पर की जाय । यदि हम लोगों को बीज देना है, खाद देना है तो चाहे छूट के साथ देना हो या बिना छूट के, वह समय पर मिलना चाहिये । पर हमारा प्रशासन भ्रष्टाचार से ओतप्रोत होने के कारण वह समय पर नहीं देता है । वे लूट का रास्ता ढूंढ़ने का प्रयास करते हैं ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

[श्री हर गोविन्द वर्मा—]

जिसकी वजह से मुसलसर खेती के काम में गिरावट आयी है, वह काम बिगड़ता गया है। अगर हम पहले से यह तय कर लें कि आगामी फसल पर हम गेहूं इस भाव में लेंगे, चावल इस भाव में लेंगे, गन्ना इस भाव में लेंगे, आलू इस भाव में लेंगे, रुई इस भाव में लेंगे, तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा, गुजरात तथा और प्रदेश के मुकाबले में अधिक पैदावार कर दिखायेगा जिससे कि प्रदेश की भी तरक्की होगी और किसान की भी हालत में सुधार होगा। लेकिन आज आप करते क्या हैं ? किसान की फसल तैयार होने के बाद उसकी उपज का भाव तय करते हैं। सरकार गेहूं खरीदने के लिए अपनी जो दूकानें खोलती है, वह भी जून और जुलाई के महीने में खोलती है और उस समय तक किसान का काफी गेहूं बाजार में बिक जाता है। अगर आप किसान की वास्तव में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बजट का 40–50 प्रतिशत अंश किसानों के ऊपर खर्च करना चाहिए।

आज सारा बजट अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा टी० ए०, डी० ए० में ही खर्च हो जाता है। अगर कुछ उससे बचता है तो वह भ्रष्टाचार के माध्यम से खत्म हो जाता है, किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इन सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करें और यह देखें कि जो भी आदेश प्रसारित हों उनका सही ढंग से निश्चित रूप से पालन किया जाए और जो अधिकारी आदेशों का पालन न करें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाय। आज जिले के किसी कृषि अधिकारी का चिट्ठा आप उठाकर देख ले, उसके पीछे लाखों रुपयों का गबन छिपा हुआ मिलेगा। जैसा कि मैंने कोआपरेटिव विभाग के बारे में कहा था, इस विभाग के बारे में भी मेरी वही राय है कि यह एक हाथी है जो प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों को चराता है और मंत्री जी केवल एक पीलवान की तरह से अंकुश मार कर किसानों को लुटवाने का काम करते हैं। अगर आप किसानों को वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं, खेती को सम्पन्न बनाना चाहते हैं, देश के अन्दर भूख को मिटाना चाहते है, तो जो योजना भी आप बनाते हैं, सही या गलत, सही तो आप बना नहीं सकते, गलत ही बनाते हैं, पर जो भी आप बनायें, गलत ही सही, उसका कार्यान्वयन समय से करायें। अगर उसका पालन समय से हो तो निश्चय ही कृषि की उन्नति होगी। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह सरकार तो बेशर्म है, निकम्मी है, नपुन्सक है, ऐसी सरकार को जो भी बजट दिया जायेगा उससे ऊपर प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। मेरी मांग है कि माननीय कृषि मंत्री जी को तथा उनके अधिकारियों को एक–एक प्वाइंट पर विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि किसानों को समय से किस तरह से अच्छा बीज, पानी और खाद आदि की सहूलियतें दी जा सकती हैं।

मान्यवर, आपने इनकम टैक्स में काफी छूट की घोषणा की है मगर किसान के लगान के बारे में कोई छूट की घोषणा नहीं की गयी है। आज भी किसान को, जिसकी आमदनी कुछ भी नहीं है, उससे भी आप लगान लेते हैं। आपको किसान की आय की भी सीमा बांध कर लगान को माफ करना चाहिए। आपको यह तय करना चाहिए कि इस सीमा तक के किसान को बीज, खाद और पानी मुफ्त दिया जायेगा। सरकार को किसान की पैदावार को स्वयं खरीदने की योजना बनाना चाहिए। आज आप किसान की पैदावार की लागत नं० दो का बिजनेस करने वाले व्यापारी और अधिकारी के फार्म आदि को बेसिस पर निश्चित करते हैं, जब कि आपको चाहिए यह कि जो नीचे का असली किसान है, जो अपनी स्वयं की मेहनत करके

पैदावार करता है, उसका कितना उस पर खर्च आता है, यह देखना चाहिए। सारा अंगणन करके उसकी पैदावार का खर्च जोड़ो और फिर मुनाफा कम से कम 10 फीसदी जैसा व्यापार में देते हो, वह दो, तब जाकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बढ़ा सकोगे, उत्तर प्रदेश की खेती को बढ़ा सकोगे और उत्तर प्रदेश की तकलीफ को रोक सकते हो, उनकी पीड़ा को रोक सकते हो। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कृषि बजट के प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और इस बजट का समर्थन करते हुए मुझे सुझाव स्वरूप कुछ कहना है और साथ ही साथ यह भी कहना है कि विरोधी पक्ष से कटौती का जो प्रस्ताव आया है। उस कटौती के प्रस्ताव को भी मैं स्वीकार करता हूं, मगर उस कटौती के प्रस्ताव में यह बात होती है कि सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। आलोचना तो वे करते हैं, लेकिन आलोचना करते-करते काफी विश्लेषण भी उनकी तरफ से सुनने को मिल जाता है। काफी ऐडजेक्टिव लगाकर हम लोगों को सुशोभित कर दिया जाता है। मगर सुझाव में मैं देखता हूं कि जीरो है। जो कल कटौती का प्रस्ताव आया था, उसमें कोई ऐसा सुझाव नहीं था जिसका कि हम लोग स्वागत करते और समर्थन करते। उनका कोई भी ऐसा सुझाव नहीं था, जिससे कि सही रूप में किसान को राहत पहुंचती।

मान्यवर, इस बजट का मैं इसलिए समर्थन करता हूं, इसलिए नहीं कि हमारे मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, बल्कि इसलिए समर्थन करता हूं कि उनके पूरे बजट भाषण में कुछ काम ठोस हुए हैं और बुनियादी हुए हैं। कुछ तरक्की हुई है और आगे आने वाले समयों में तरक्की सम्भावित है, जैसे कोई भी चीज उठा कर देख लीजिए, मैं भाषण स्वरूप नहीं कह रहा हूं, बल्कि आंकड़ों को देखा है, इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। 1980-81 में 8400 लाख मीट्रिक टन, इस सूखे और बाढ़ के बावजूद भी खरीफ की फसल अच्छी हुई है जब कि 1979-80 में 42 लाख मीट्रिक टन पैदावार थी। 1979-80 में गोबर गैस संयंत्र 4345 स्थापित किए गये और 1980-81 में 6000 गोबर गैस संयंत्र की स्थापना सम्भव हो सकेगी और 1981-82 में उसे बढ़ाकर 10 हजार गोबर गैस लगाने की योजना है। यह सराहनीय कार्य है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। 1981-82 में कुछ महत्वाकांक्षी कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित हैं--

खाद्यान्न उत्पादन--242 लाख मी0 टन, कपास उत्पादन-40,000 गांठें,

जूट उत्पादन--1,20,000 गांठें, तिलहन उत्पादन--34 लाख मीट्रिक टन।

सुझाव के स्वरूप में इतना बताना जरूर चाहूंगा कि जो यह हमारे खाद का दाम बढ़ा है, इससे जनजीवन त्रस्त हुआ है, इसको मैं मानता हूं, इससे देहात का किसान चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, खाद का दाम बढ़ा है और इससे असन्तोष किसानों में बढ़ा है। मगर उसके साथ-साथ

[श्री मुईद अहमद--]

मैं कहना चाहूंगा कि जहां 10 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सारे लोगों को केवल फासफेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों पर दी गयी है, वह सारी खादों पर 10 प्रतिशत की छूट कर दी जाय, तभी किसानों को सुविधा हो पायेगी या तो जो सारा अनुदान है, उसमें बढ़ोत्तरी कर दी जाय, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। सब चिल्लाते हैं कि 85 प्रतिशत किसान देहात में रहता है और बड़ी-बड़ी योजनाएं दी जाती हैं। मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मगर मंत्री जी को इतना अंकुश जरूर रखना है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, वह ब्लाक तथा न्याय पंचायत और ग्रामों तक पहुंचे। जिससे सारी विकास योजनाओं से किसान लाभान्वित हो सके। इस तरह की योजना बनना चाहिए। बीच में घपलेबाजी नहीं होना चाहिए। देखा यह जा रहा है खाद के अनुदानों का जो गांव के चौधरी हैं, सबल किसान हैं, निर्बल वर्ग के नाम पर, गरीब किसान के नाम पर लाभ उठा रहे हैं। इस पर रोक लग जाना चाहिए। जहां तक बीज का सवाल है, खेती के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर बीज में गड़बड़ी हुई तो पूरे का पूरा ढांचा चरमरा जायगा। जहां किसान को गड़बड़ बीज मिला सारी किसान की मेहनत बेकार चली जायगी, धन और पैदावार बेकार हो जायगी। बीज में गड़बड़ी देशद्रोह है, इस पर रोक लगना चाहिए और इसके लिए एक एजेंसी खोली गयी है जो सर्टिफिकेट देगी, वह सर्टिफाइड बीज ही ठीक माना जायगा। मान्यवर, यह सुझाव भी आया है कि कृषि विभाग को तकनीकी विभाग मान लिया जाय। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं।

दूसरी चीज यह है कि आई० आर० डी० तथा अन्त्योदय योजना कृषि मंत्री के हाथ में नहीं है लेकिन इन योजनाओं से सारे किसान लाभान्वित होते हैं। जो टाउन एरिया होता है जनपदों में जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां गरीबी भी ज्यादा है वहां जरूरी है कि आई० आर० डी० तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत टाउन एरिया में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाये। तीसरे किसान जो पैदा करता है उसके दाम यहां एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर तय किए जाते हैं। जो श्रम किसान करता है और जो पैसा वह लगाता है, अगर उसको जोड़ा जाय और बढ़े हुए मूल्यों को जोड़ लिया जाय तो किसान की जो पैदावार होती है उसकी कीमत कम रखी जाती है। किसान इतना भोला-भाला होता है कि रात दिन जानवर की तरह काम करता है लेकिन अपने श्रम की कीमत को वह नहीं जोड़ता है इसलिए इसके लिए एक कमेटी बनाई जाय कि किसान जो चीज पैदा करे उसका मूल्य वह कमेटी तय करे जिसमें स्वयं किसान हो। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में हार्टिकल्चर की बात कही जाती है। आजादी के बाद से आज तक हार्टिकल्चर विभाग की जो नीतियां रही हैं, उनके कारण वहां हार्टिकल्चर तो नहीं बढ़ पाया है लेकिन भूक्षरण खूब फैल गयी है जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर तबाही आ गयी। इसकी जिम्मेदारी 90 प्रतिशत कृषि मंत्री की है। लेकिन मान्यवर, कृषि मंत्री कहेंगे कि जुम्मा-जुम्मा दो दिन आये हुए हैं उनको इस विभाग में वह कैसे जिम्मेदार हैं? तो आपके जो विभागीय अधिकारी हैं, उनकी जो चिन्तन शक्ति है, उस पर कुछ बहुत बड़े-बड़े लोग काबिज हैं। वह केवल बड़े-बड़े लोगों के हित को ही सोचते हैं। मान्यवर, चम्बा का जो बांज का घना जंगल था, जिसमें जब

में छोटा था, तो जाते हुए डर लगता था। उसमें काफी बड़े-बड़े और मोटे दरख्त थे जिनकी ऊंचाई 50 फुट तक थी, उनको काट कर, बिल्कुल नष्ट करके वहां पर फल-पट्टी योजना चलायी गयी। मैंने मान्यवर, उस वक्त भी विरोध किया था और आज कह रहा हूं कि वह सारा का सारा जो कुछ हुआ सब गलत हुआ। इस तरह बांज उजाड़कर फल-पट्टी को कायम करना किसी भी तरह उचित नहीं हुआ। बांज के पेड़ भूमि के अन्दर पानी जब्ब करते हैं और जहां बांज के पेड़ होंगे वहां आसमान भी पानी बरसाता है। जो बांज की पत्तियां सड़ती हैं, उनसे मिट्टी बनती है और इन्हीं बांज की पत्तियों को किसान अपने मवेशियों का चारा बनाता है और जहां बांज नहीं वहां खाद नहीं।

हमारी सरकार ने बगैर कुछ सोचे-समझे जंगल को समाप्त कर अपने बड़े-बड़े अधिकारियों को ओबलाईज किया है फलां मेजर जनरल और फलां बड़े आफिसर आज सबेरे सदन में नाम आया था एक श्री सानवाल साहब का, वहां पर एक दूसरे सनवाल साहब को एक प्लाट दिया गया है और इसके अतिरिक्त इस जंगल के कट जाने के कारण वहां निवासियों को जो काफी दूर तक फल पट्टी के नीचे दोनों ओर रहते हैं, उन्हें रोजाना बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो हार्टिकल्चर डायरेक्टर की नियुक्ति की गयी है पर्वतीय क्षेत्र के लिए और जो डायरेक्टर महोदय या कोई अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं जैसे बद्री या केदार के यात्री जाते हैं। साल में 3 या 4 दिन के लिए सैर करने को चले जाते हैं। बंगलों में ठहर कर आव-भगत और आतिथ्य ग्रहण कर फिर वापस चले आते हैं। इस प्रकार यदि पर्वतीय क्षेत्र का डायरेक्टर लखनऊ में स्थायी तौर पर रहेगा तो पर्वतीय क्षेत्र के फलों का विकास कैसे सम्भव होगा? इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति की जाए जो वहां रहे और वहां की समस्याओं को, वहां के गांवों और इन्टीरियर में जाकर देखे और उनका निवारण करें। लेकिन आज हो रहा है इसका उल्टा। अधिकारी वहां जाता है तो केवल सैर करने के लिए और अपने दुख-दर्द को दूर करने के लिए जाते हैं। वैसे ज्यादा बातें सुनने के लिए मंत्री जी तैयार नहीं होंगे और दो मिनट के अन्दर ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता क्योंकि अभी तक माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को बुलाया तक नहीं है वहां की परेशानियां जानने के लिए।

एक प्रार्थना मान्यवर, और ह कि भूमि संरक्षण के कार्य को आप बन्द ही करवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि संरक्षण के नाम पर केवल मिट्टी खेतों के बाहर ढगार की साईड में लगा दी जाती है और कहा जाता है कि भूमि संरक्षण का कार्य हो गया वह अगली पहली बरसात में ही बहकर दोआबे में चली जाती है और फिर वहां रह जाता है केवल पत्थर इसलिए आप भूमि संरक्षण योजना को समाप्त ही करवा दें या इस पर अब अलग से विचार किया जाय। इसलिए इसका बन्द होना ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा भी न कीजिए। दूसरी बात मान्यवर, एक यह है कि हमारे यहां पशुओं की कमी नहीं है, कमी है तो केवल अच्छे चारे की, किसानों की जोत की

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

बहुत कमी है । अगर वहां उन्नत चारे के सेण्टर खोल दिए जाएं जिससे वहां किसानों को सस्ते दर पर अच्छा चारा मिल सके तो पशुओं की नस्ल भी सुधरेगी और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया ।

*श्री दामोदर शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि अनुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री को किसान की तरक्की के लिये कुछ बहुमूल्य सुझाव देना चाहता हूं । मेरा सबसे पहला सुझाव माननीय कृषि मंत्री जी को है कि प्रत्येक गांव में एक कृषि उत्पादन केन्द्र खोला जाय और कृषि उत्पादन केन्द्र पर किसान अपना जो उगाता है, चाहे गुड़ हो, गेहूं हो हर चीज बेचें और हर चीज जो उसकी आवश्यकता की हो उत्पादन केन्द्र पर मिले और सरकार उससे पता लगावें कि उस गांव के अन्दर किसानों ने कितना पैदा किया, वहां पर उसकी आवश्यकता की वस्तुयें जो हैं, वहीं कृषि उत्पादन केन्द्र पर मिले । इसलिये मेरा माननीय मंत्री को सुझाव है और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि इसके लिये चाहे पंचायत सेवक रखना हो या ग्राम सेवक रखना हो, करेंगे ताकि किसानों की पैदावार, उत्पादन और आवश्यकता की वस्तुओं का केन्द्र को पता रहे ।

मान्यवर, सभी ने बहुत माननीय सदस्यों ने पंचायतों के शक्तिशाली बनाने की बात कही है, गांव के विकास की बात कही है, किसानों के साथ हम सब की हमदर्दी है लेकिन किसान जो श्रम करता है, मैं किसान को भगवान मानता हूं और मैं तो मांग करता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय । जब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया जायगा तब तक किसान परेशान रहेगा बिजली के लिये, बीज के लिये, कीटनाशक दवाइयों के लिये पिछले ढाई साल के शासन में किसान जीर्ण अवस्था में गुजरा है और 10 साल पीछे चला गया । मैं कृषि मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि इस साल 28 रुपये और क्वार पर तो 33 रुपये कुन्तल में गन्ना ली जा रही है इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है । हमारे देश के स्वर्गीय नेता, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हमारी राख खेत और खलिहान में बिखेर दी जाय और पैदावार तथा उत्पादन को बढ़ाया जाय या खत्म हो जाये । मुझे अफसोस है कि प्रदेश के अन्दर पैदावार तो बढ़ी लेकिन जब किसान के पास पैदावार होती है तो वह मंदा रहता है और पूंजीपति या खरीदने वाले उसको लेकर अपने पास रख लेते हैं और किसान खरीदता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री को सुझाव है कि गेहूं का सपोर्ट मूल्य 170 रुपये रखा जाय तब किसान महसूस करेगा कि उसकी लागत का मूल्य दिया गया । मान्यवर, इतना ही नहीं, भोले-भाले किसान को आज कहा जाता है कि किसान बहुत सुखी है, आज किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय है । एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि किसान का बच्चा उन स्कूलों में पढ़ता है जहां न टाट पट्टी है न कुर्सी है । बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे, बड़े परिवारों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं । मेरा सुझाव कि साइन्टफिक दृष्टिकोण किसानों का जो दाम प्राइज कमीशन तय करता है उसमें किसानों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश का किसान उन्नति तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसके पास साइड बिजनस न हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि प्रदेश के अन्दर डेरियों और दुग्धशालाओं पर जितना जोर दिया जा रहा है, मेरा विश्वास है कि अगर इन पर पैसा सही तरीके से खर्च किया जाय और अच्छी नस्ल के गाय और भैंसे खरीदी जायें तो भारत वर्ष सोने की चिड़िया थी, दूध की नदियां बहती थी वही दूध की नदियां बहेंगी ।

वनस्पति शास्त्र और शाक-सब्जियों, फलों की बात मन्त्री जो ने कही है उत्पादन बढ़ा है । मैं कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के कृषि अधिकारी गांवों को जाते नहीं, यह नहीं बताते कि यहां इस किस्म के फल के पौधे लगायें । बहुत ऊसर जमीन पड़ी है जहां बादाम और सेबों की खेती हो सकती है वहां सुझाव दें कि इस तरह के फल लगाये जायें।

दलहन की खेती पर बड़ा जोर दिया है । मेरा सुझाव है कि जहां ऊसर हो, जहां पानी कम हो, वहां अरहर और मूंग की खेती हो सकती है । 23 साल से इनका उत्पादन घट रहा है । इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि ये वहां गांवों में जायें जिससे दालों की कमी दूर हो सके ।

जो समय मान्यवर, आपने दिया, आपका मैं उसके लिए आभारी हूं और कृषि मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना क्रान्तिकारी बजट प्रस्तुत किया ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं बहुत-बहुत आभारी हूं आपका इस कृपा के लिए कि आपने मुझे समय दिया । मान्यवर, किसान का बजट माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी जनपद से आता हूं और विशेष रूप से मेरा नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि कुछ बिन्दुओं पर उनका ध्यान आकृष्ट करूं ।

मान्यवर, किसान भाइयों की अगर आंख उठ जायेगी तो पूंजीपतियों की सारी पूंजी लुट जायेगी, हलधारी हल बन्द कर देंगे तो हठता सभी हेकड़ी हठेले अनाचारी की नसायेगी । खेतों में लकीरें इतना दिखायेंगी तो ब्रह्मा की लकीर भी अखीर दिखलायेगी । इन पंक्तियों के साथ में विशेष रूप से मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि क्योंकि काम अच्छा हो तो बधाई देनी चाहिए । ऊसर सुधार के लिए कल मन्त्री जी ने एक निगम की स्थापना करने की घोषणा की और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है । लेकिन उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ जनपद ऐसे है जहां ऊसर से ज्यादा समस्या बीहड़ की है । हिन्दुस्तान के सारे अखबारों में, मेन पृष्ठ पर छपता है जो बेहमई काण्ड, फूलन देवी, मलखान सिंह, घनश्याम सिंह जो वहां बीहड़ों में हुंकारते रहते हैं । मैं उस बेल्ट से आता हूं, मन्त्री जी भी उसी बेल्ट के हैं जहां सिण्डांसललूपुर चौरेला, बिन्दुना, बिड़ौरी, हरौली, अतरौली, कतरौती, नीमाडाड़ी चम्बल और क्वारी आदि आदि आते हैं । इसके अलावा बेहमई गांव के किनारे वाली बेल्ट शेरगढ़, मोहना, दासपुर, मानपुरा खरका, बसन्तपुर, सेहौली, सड़रापुर,

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट--]

अयाना, जूही खान, खरकेपुरवा, परकर का पुरवा, अमावतां, मलगवां, बढ़ेरा, सिकरोड़ी, निगला समां आदि आदि जमुना की पट्टी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गौरी शंकर जी, आप ऐसा बोलें ताकि जो रिपोर्टर्स हैं वह लिख तो सकें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

ठीक है मान्यवर, मैंने तो धीरे-धीरे बोला है । आशा है लिख लिया होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर नहीं भी लिख पाये होंगे तो मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी को गांवों के नाम जरूर याद हो गये होंगे ।

(हंसी)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

तो मेरा निवेदन है जो डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन बना है सरकार ने उस पर काफी.... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बीहड़ पर हिल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के अन्तर्गत जितना अपेक्षित है, उतनी प्रगति न हुई हो लेकिन हिल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के जरिये वहां का विकास हुआ है । उन बीहड़ पट्टियों की तरह की समस्यायें अन्य बीहड़ पट्टियों की भी हैं । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बीहड़ सुधार के लिये आप कारपोरेशन बनायें ।

आपने आलू का जिक्र किया । आलू का बम्पर प्रोडक्शन होगा, लेकिन यह आलू पुराने वर्षों की तरह सड़ न जाय, इसके लिये सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी ।

गन्ने की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि हमारे कुछ बन्धु हो सकता है कि बुरा मान जायं । गन्ने की जो दुर्व्यवस्था हुई है, यह हास्यास्पद है कि प्राइवेट बाजार में उसे 28 रु० प्रति क्वि० की कीमत मिले और आपकी तरफ से 22 रु० हो ।

गोबर गैस प्लांट के विषय में कहना चाहता हूं कि हमारे अजीतमल विकास खंड में जहां पर अजीतमल विकास परियोजना के अन्तर्गत गोबर गस का पहला प्लांट अजीतमल में लगा । गोबर गैस जहां पर जन्म लेती है वहीं उसका काम ढीला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, लाल बत्ती तो बहुत जल्दी जल गयी । मैं तो अभी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन अब थोड़े शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा । एक मिनट का समय और दे दें ।

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122-कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

यह जो पशु चिकित्सालय हैं, उनकी दुर्दशा है। जितना पैसा इन्हें देना चाहिए वह नहीं दे रहे हैं। डाक्टर्स के वेतनमानों को बराबर करिये। इतना कुछ आप करेंगे तो यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा और उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी अन्त में मान्यवर,

वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है।
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।
हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा।
फसीले आतसू आहन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा।
नये ख्याल का परवाज रोकने वालों,
नये अवाम की ललकार कौन रोकेगा।

*श्री राम सिंह (सहारनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही, जो बजट प्रस्तुत किया गया निश्चितरूप से इस प्रदेश की प्रगति में एक प्रगतिशील कदम है। मैं कृषि के विषय में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहले तो हमें यह विचार करना है कि ब्लाक स्तर पर मिट्टी के सर्वेक्षण के लिये अलग-अलग अंचलों में मिट्टी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की फसलें उसमें उत्पन्न हो सकती हैं, यह जानना परम आवश्यक है। मिट्टी का परीक्षण नहीं होगा तो बहुत सी फसलें उत्पन्न नहीं हो सकती। साथ ही साथ जो कृषि अधिकारी हैं, वह जितने भी विधायक हैं, सम्भव है किसी के सम्पर्क में जिलाधिकारी आये हों, मैं यह चाहता हूं कि पहले लेबिल पर जो आपकी फसलें बोयी जायं तो प्रशिक्षण शिविर लगाये जायं और उसमें किसानों को बुलाया जाय और बताया जाय कि कितनी फास्फेट और कितनी नत्रजन आवश्यक है और यह भी बताया जाय कि उचित समय क्या है, फसल को बोने का। मेरे अपने क्षेत्र में पहले उड़द की फसल, खरीफ की फसल में बोयी जाती थी। लेकिन अब यह फरवरी और मार्च में बोयी जाती है तो काफी अच्छा उत्पादन उसका होता है। इसलिये आवश्यकता है कि वहां पर ब्लाक स्तर पर इस प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह---]

के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जिससे उन लोगों को ट्रेनिंग मिल सके और काश्तकार जानकारी प्राप्त कर सकें । नहीं तो आजकल बहुत सी बातों की जानकारी किसान को नहीं हो पाती है । इसी के साथ-साथ आबपाशी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर इज गैंबलिंग इन रेन, अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको यह ज्ञान नहीं है कि पानी किस समय दिया जाय । पश्चिम में गेहूं थकने पर है और वहां आबपाशी की आवश्यकता है लेकिन रजबहों और नहरों में आज जब पानी की आवश्यकता है तो पानी वहां नहीं दिया गया है तो इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, जो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं कि कब पानी की आवश्यकता होती है तो उन लोगों के विरुद्ध भी निश्चित रूप से ऐक्शन होना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ फसलों के रख-रखाव और बचाव के लिये आवश्यकता हैं । अभी पिछले दिनों पश्चिम में एक तूफान आया था जिससे गन्ना गिर गया था । इसी तरह से चूहे तथा दूसरे कीड़े और कीटाणु बहुत क्षति पहुंचाते हैं । पहले भी हमारी सरकार ने एक अभियान चलाया था कि किस प्रकार चूहों का उन्मूलन हो सके और लाखों रुपयों की फसल जो वह नष्ट कर देते हैं, वह बचायी जा सके । इसलिए मेरा सुझाव है कि युद्धस्तर पर हमें यह कार्य करना होगा । साथ ही साथ मेरी कांस्टीट्यूयेंसी में एक एग्रीकल्चर फार्म घनौरी में है । वहां पर पैडी का सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का रिसर्च फार्म 6 एकड़ जगह में था जो बन्द कर दिया गया है । हमारे मेरठ जिले की एग्रो क्लाइमेट सहारनपुर से डिफरेन्ट है । घनौरी फार्म को आप रिसर्च फार्म बना दें तो पैडी और मूंगफली का इंप्रूवमेन्ट हो सकता है । मेरठ में रिसर्च फार्म है उस पर जो रिसर्च होगी वह हमारे सहारनपुर और दूसरे जनपदों के लिये उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि एग्रो क्लाइमेट अलग-अलग है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के रिसर्च फार्म हर जिले में होने चाहिये ताकि काश्तकारों को उनसे जानकारी मिल सके । साथ ही साथ यह जो दुग्धशाला की बात है, हरियाणा में साहीवाल गाय और दूसरी गायों की नस्ल बढ़ती जा रही है तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो पाया है, हमको तमाम साधन जुटाने चाहिये जिससे देश और प्रदेश का भला हो सके । मैं इन सुझावों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं ।

[समय 2 बजे]

श्री जटा शंकर सिंह---

मान्यवर, समय देने के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं । यह वास्तविक एवं अकाट्य तथ्य है कि उत्तर प्रदेश का किसान पूर्णरूपेण प्रकृति पर आश्रित है । जब भी अच्छी फसल प्रकृति के अनुरूप होने पर पैदा होती है सरकार और शासन अपनी पीठ ठोंक लेता है, अच्छा होने का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है । और जब भी प्रकृति विपरीत हुयी सारा दोष प्रकृति के माथे पर मढ़ दिया जाता है । मान्यवर, सरकार को और शासन को यह श्रेय जब जायेगा जब कृषि के कार्य के समस्त मुद्दों पर सरकार कृषकों की सहायता करेगी । स्वायल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण से ले करके और बुवाई तथा प्राइस डिक्लेरेशन तक हर मुद्दे पर अगर सरकार विचार करेगी और पूर्ण सहायता करने में सक्षम होगी तभी कृषि उत्पादन का श्रेय सरकार पर जायेगा । मान्यवर, मिट्टी परीक्षण का कोई

व्यवस्था ब्लाक स्तर पर नहीं है । आप ब्लाक स्तर तक मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था करें और समय पर बीज उपलब्ध करायें । बीज आज किसान को समय पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है । खाद की प्रक्रिया यह है कि आप सब्सीडी देते हैं तो इसमें किसान बी० डी० ओ० को प्रार्थना–पत्र देते हैं, वह उसकी परीक्षण करते हैं और अपनी आख्या देते हैं, तब खाद पर सब्सीडी मिलने की स्थिति आती है । तब लिखते हैं । तब तक खाद डालने का समय चला जाता है । इसलिए सब्सिडी का उपयोग किसान नहीं कर पा रहा है । अतः इसको समाप्त करके इसकी जगह आसान ब्याज की दरों पर किसान को ऋण की व्यवस्था कर दें तो उसका ज्यादा भला होगा । मान्यवर, बीआई की टेक्नीक की जानकारी देने के लिये कृषि विभाग का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गांवों में नहीं जाता है । दूसरी बात मान्यवर, प्लांट प्रोटेक्शन की फौज हर जिले में मौजूद है लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी गांवों में नहीं दिख रहा है और वह कर्मचारी शहरों और आफिसों में बैठकर प्लांट प्रोटेक्शन कर रहे हैं । इसलिए यदि देखा जाय तो प्लांट प्रोटेक्शन आफिस एवं कृषि विभाग के कर्मचारी एक भ्रष्टाचार और घूसखोरी का अड्डा बनाये बैठे हैं । इस विभाग में खाद, बीज और कृषि सम्बन्धी अन्य मामलों में सामान्य किसान तो दूर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य अपने जनपदों के कृषि अधिकारी का साक्षात्कार भी नहीं कर सके होंगे तो सामान्य किसान कहां कर पायेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में ऐसी आदत छोड़ी जाय जिससे वह किसानों को गांवों और क्षेत्रों में समय–समय पर जाकर मदद करें ।

मान्यवर, मड़ाई का समय आने वाला है इसलिए बिजली की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि किसानों को मड़ाई में थ्रेशर चलाने की सहूलियत उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, अपने प्रदेश में 49·75 प्रतिशत आधे हेक्टेयर से कम जोतें हैं, 42·48 प्रतिशत ऐसी जोतें हैं जो 3 हेक्टेयर की हैं और कुल मिलाकर 92 प्रतिशत ऐसी जोतें हैं जो 3 हेक्टेयर से कम हैं । इसलिये यदि इतनी छोटी जोतों को सुविधायें देने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कृषि कार्य में सुविधा देने का दावा करना झूठा होगा ।

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है क्योंकि प्रदेश के किसी व्यक्ति को टैक्सी और ट्रक लेने के लिए ऋण में टैक्सी और ट्रक को मार्गेज करके दे दिया जाता है लेकिन कृषक यदि ट्रैक्टर चाहता है तो उसको दो प्रतिभूतियां और उसकी जमीन मार्गेज एवं ट्रैक्टर को भी मार्गेज किया जाता है और तब ट्रैक्टर दिया जाता है । इसलिए मैं चाहता हूं और शासन से मांग करता हूं कि टैक्सी और ट्रक के समान नियमों को बनाकर किसानों को ट्रैक्टर दिये जायं । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं ।

श्री पन्ने लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक कृषक को कृषि विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया और वह भी मैं भूमिहीन कृषक हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में निवास करने वाले 85 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। चूंकि यह बजट जो मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह किसानों का ही नहीं, बल्कि इस देश और विश्व का बजट है। चूंकि सभी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और देखा जाय तो जो भी लोग जो सेवन करते हैं, और यहां तक साधू भी जो दूध और अन्न आहार करते हैं, वह भी कृषि पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार देखा जाय तो हमारे विश्व का यह बजट है। मैं यह मानता हूं कि हमारे मंत्री जी को शतप्रतिशत शायद कृषि का अनुभव न हो लेकिन उसमें जो पशुपालन विभाग है उसका शतप्रतिशत अनुभव होगा। हमारे साथियों ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन है वह अन्य प्रान्तों से कम है, मैं भी उसको मानता हूं और इसका मूल कारण है कि प्राचीन काल में देखा जाय तो हमारे प्रदेश में एक ऐसा वर्ग था जो कि कृषि और खेती के काम को करना पाप समझता था लेकिन अब धीरे-धीरे उनकी प्रकृति बदल रही है और वह भी खेती में काम करने के लिये इच्छुक हो रहे हैं। आज देखें कि हम कृषि में आत्मनिर्भर हैं। मुझे याद है कि कुछ वर्षों पूर्व हमारे देश में ज्वार-बाजरा बाहर से आता था, लेकिन आज हम लोग देखें कि इस तरह से विदेशों पर निर्भर होकर हम नहीं रह सकते हैं। हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। जहां कृषि की पूरी व्यवस्था में हम मशहूर हैं और यह उसी का परिणाम है कि आज हम कृषि के माने में आत्म निर्भर हैं। हमारे बहुत से साथियों ने यह कहा कि आप कृषक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तथा कृषि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि आप किसानों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहते हैं व कृषि पर सही रूप से ध्यान देना चाहते हैं तो जब तक आप कृषि का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, कृषि की उन्नति सम्भव नहीं हो पायेगी। भूमिहीन मजदूर काम करेगा उनको भी एक समय तक वेतन देना पड़ेगा। जब भूमि उनके पास हो जायेगी तो उस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और भूमिहीनों को आप काम भी देंगे।

इस तरह से जिसकी आप कल्पना करते हैं कि हम समाजवाद लायेंगे तो जब तक आप कृषि का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, देश में समाजवाद नहीं ला पायेंगे, जब तक आप भूमि का राष्ट्रीकरण नहीं करेंगे, तब तक यह सम्भव नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जब बाढ़ आती है, पूरा इलाका जब बाढ़ग्रस्त हो जाता है तो पशुओं में भयंकर बीमारियां फैलती हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कोई ऐसा साधन नहीं होता जिससे पशुओं की दवाई की जाय। मैं माननीय मंत्री जी से पशुओं के लिये पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करने की मांग करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पश्चिम के जिले पन्तनगर में जैसा कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुला है, उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कृषि को सुधारने के लिए एक केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें, यदि इसके लिए भूमि न उपलब्ध हो तो सरैया के सरदार साहब की जो भूमि है, जो सीलिंग में है उसे लेकर पूर्व उत्तर प्रदेश में एक कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोलें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, पूरा.... ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×] ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बलबीर सिंह जी, आप बोलें ।

श्री बलबीर सिंह--

पूरा बजट.... ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×] ।

श्री उपाध्यक्ष--

विष्ट जी, आप विराजें । आप बिना आदेश के बोल रहे हैं, यह जो कुछ भी बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×] ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विष्ट जो, आप विराजें । श्री बलबीर सिंह जी, आप बोलें ।

श्री बलबीर सिंह--

पूरा बजट कृषि मंत्री जी ने रखा.... ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×] ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विष्ट, आप विराजें, आप जो कुछ बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा, यह गलत परम्परा आप डाल रहे हैं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री बलबीर सिंह--

माननीय, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि साढ़े 66 करोड़ रु0 का यह बजट केवल खोखला बजट है। इसमें पूरे प्रदेश के अलाभकर जोतों को लाभकर बनाने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आज हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत अलाभकर जोतें हैं और वह अलाभकर जोतें करने वाला किसान पीड़ित है। उसकी देह, उसका परिवार उस पीड़ा से चरमरा रहा है और हमारे मंत्री जी और मंत्रि-मंडल ने इस बजट में उनके लिए एक पैसे का भी प्राविधान नहीं किया है और न ही कोई ऐसा नुस्खा बताया है कि उन अलाभकर जोतों को कैसे लाभकर बनाया जाय। आज खेती के लिए हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्रि मंडल पानी नहीं दे सकते, समय से खाद नहीं दे सकते, यह बड़े शर्म की बात है। अलाभकर जोतों को किस तरह से लाभकर बनाया जायेगा इसका मैं एक सुदृढ़ सुझाव आपको दे रहा हूं। सीमान्त कृषक तथा 5 एकड़ तक के छोटे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना आवश्यक है अगर ब्याज मुक्त ऋण न दे सकें तो केवल एक प्रतिशत और दो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की सुविधा प्रदान की जाय।

आज जो सब्सीडी के नाम पर सस्ती शोहरत हासिल की जा रही है वह इनकी नाकाबिलियत का सबूत है। आज छोटे और सीमान्त किसानों को जो सब्सीडी देने की बात कही गई है वह अधिकारियों की जेबों में चली गई है। मैं यह चाहूंगा कि कम दर को ब्याज पर छोटे तथा सीमान्त कृषकों को ऋण उपलब्ध कराकर उसके लिए एक सब्सीडी दे दें। मिसाल के तौर पर पहले उसे साढ़े सात सौ रु0 सब्सीडी दिया जाय और उस पर उससे एक प्रतिशत ब्याज लिया जाय तो उसको 11 प्रतिशत ब्याज की बचत होगी यानी उस किसान को 80 रु0 का एक फसल में लाभ होगा और अगर इतना ही यह छूट प्रदान करें तो उसको सीधे छूट होगी। इसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सभी किसानों को 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज पर ऋण न दें केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर ही ऋण दिया जाय क्योंकि आज खेती घाटे में चल रही है। भले ही हमारा मंत्रिमंडल इस पर विचार करके खुश हो लेता होगा कि हमारे किसान सुखी हैं लेकिन डा0 स्वामीनाथन के कहने के अनुसार जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी छोटे किसान को सुखी नहीं बना सकते तब तक हम अच्छा उत्पादन करने में असमर्थ हैं। भाइयों, आज...।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बलबीर सिंह जी आप सदन को और खासकर मुझे सम्बोधित करें।

श्री बलबीर सिंह--

माननीय सदस्यगण, आज 85 प्रतिशत किसान, छोटा और सीमान्त कृषक झोपड़े में रहता है। 85 प्रतिशत किसान को पीने के लिए दूध नहीं है। 85 प्रतिशत किसान को अच्छा खाने के लिए अनाज नहीं है फिर भी हमारे मंत्री जी इतरा रहे हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, ग्रामों का विकास कर दिया इनको विचार करना चाहिए कि हमें उन 60 फीसदी किसानों को ऊपर कैसे उठाना है। उनको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। पशु पालन के लिए पिछले वर्ष से इस बजट में कमी की गई है। इस तरह से पशु पालन में भेड़ों के विकास के लिए, कुक्कुट विकास के लिए तथा अन्य विकास के लिए बजट में कमी की गई है जो कि नहीं की जानी चाहिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी । कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने की, सघन पशु विकास योजना में केन्द्र खोलने को, निदेशी इनजेक्टेड प्रजन्न क्षेत्र में केन्द्र खोलने की तथा सघन भेड़ योजना में कोई केन्द्र खोलने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है । इसी प्रकार से अनेकों ऐसी मिसालें हैं जिन में इस बजट में कटौती की गई है ।

इसी तरह से अब मैं मण्डी समति की ओर आता हूं । मण्डी समिति में 251 मण्डी स्थल पारित किये गये हैं । उन में लगभग सभी मण्डी स्थल दो चार को छोड़ कर अधूरे पड़े हैं, इस लिए कि जमीन नहीं है । मैं सुझाव दूंगा कि मण्डी समिति के लिए जमीन एक्वायर करने पर उन आढ़तियों को केवल प्लाट दिया जाय ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, एक मिनट देंगे । एक निवेदन है । हिन्दी राष्ट्रभाषा है । इसलिए मेरा निवेदन है इस पक्ष या उस पक्ष से कि कम से कम उसको व्याकरण तो शुद्ध बोलें । अनेक का बहुवचन अनेकों कहा गया है अनेक बोला करें अनेक ।

श्री बलबीर सिंह--

इसीलिए माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हमारी भावना की ओर ध्यान दें । भाषा में तो गांव के गंवार हैं वैसी ही बोलेंगे । किसानों के बजट पर बोल रहे हैं ।

कृषि मण्डी समिति, कौंच के मण्डी स्थल की जमीन एक्वायर की गई थी जिसमें शिशु कल्याण समिति की जमीन एक्वायर कर ली गयी थी । एक वर्ष हो गया । उसमें एक एवार्ड मिल गया था कि जमीन के बदले जमीन दी जायगी परन्तु आज तक जमीन उपलब्ध नहीं हुई है ।

कृषि बीमा योजना की घोषणा हमारे मंत्री महोदय ने की है । मैं उसका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम किसानों की पीड़ा को समझा । आज जो उन्होंने घोषणा की है उसकी क्या कार्य प्रणाली होगी, वह कब से लागू होगी, इसकी जानकारी सदन को देने का कष्ट करें ।

मैं अब समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूं । गेहूं के लिए समर्थन मूल्य 165 रुपये प्रति कुन्तल की मैं मांग करता हूं और गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए 30 रुपये प्रति कुन्तल की मांग करता हूं, खड़ी फसल पर किसानों को बैंकों की ओर से ऋण देने के लिए व्यवस्था करने के लिए सुझाव देता हूं । खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवायें और अन्य कृषि उपयोगी चीजें हमारे समर्थन मूल्य के अनुसार हमें मिलनी चाहिये । जो बढ़े हुए दाम खाद पर, डीजल पर तथा अन्य चीजों पर हैं उनको वापस करने का मैं सुझाव देता हूं । हर किसान को उसकी जोतबही दी जानी आवश्यक है और उस जोतबही में जो पटवारी गश्त-गिरदावरी करने के लिए जाय तो वह उसी समय किसान के सामने इंद्राज कर दे । इसी तरह से सिंचाई की पास बुक भी किसान को दी जानी चाहिये । हालांकि

[श्री बलबीर सिंह—]

पास बुक देने का प्राविधान है किन्तु वह नहीं दी गई है और अगर कहीं दी गयी है तो उस पास बुक में किसानों की सिचाई का ब्योरा उसके सामने दर्ज नहीं किया जाता है। जिन किसानों की फसलें सूखे, बाढ़, ओला वृष्टि के कारण नष्ट हो जाती हैं उनका लगान तुरन्त माफ करने के आदेश जाने चाहिये। लेकिन यह देखा गया है कि उसमें सालों लग जाते हैं। इसलिए उसको सरल भी बनाना चाहिये।

भूमिहीनों की समस्याओं के समाधान के बारे में हमारे सत्ता पक्ष के एक भाई ने सुझाव दिया कि खेती का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। हमारे भाई भूल गए हैं कि रूस में खेती का राष्ट्रीयकरण किया गया था लेकिन वे उसमें असफल रहे। आज वहां पर फिर व्यक्तिगत खेती करने की प्रणाली अपनायी जा रही है जिससे खेती में आत्मनिर्भर होने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं।

खेतिहर मजदूरों के लिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हर न्याय पंचायत क्षेत्र पर कृषि अनुसंधान केन्द्र, छोटे तौर पर, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग खोले जायं। इससे किसनों की समास्याओं का समाधान हो सकता है। किसी भी भूमिहीन किसान को 50 डेसिमल जमीन देने के उपरान्त आप उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। मुझे निश्चित जानकारी है कि खेतिहर मजदूरों को, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60 और किसी को 75 डेसिमल जमीन दी गयी है। हमारी राज्य सरकार की यह घोषणा है कि सवा छः एकड़ तक की भूमि अलाभकर है लेकिन फिर भी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वोटों की राजनीति के लिए इन भूमिहीन किसानों को 30, 40, 50, 60 डेसिमल भूमि देकर ऐसा कर रहे हैं। सिवाय इसके कि आप मानसिक तौर पर उनको फंसा दें और कोई लाभ उनको नहीं पहुंचा रहे हैं। इस तरह से मान्यवर, मैंने अपने सुझाव आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखे। मैं फिर आखिर में, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खाद, बिजली, पानी, जुताई आदि की सुविधायें आप पंचायत क्षेत्र पर किसानों को मुहैया करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं और उसको वापस नहीं लेता हूं।

* कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं उन समस्त माननीय सदस्यों को चाहे वे पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, कल से आज तक के कृषि विभाग के बजट के बारे में जिन्होंने भाग लिया है और जो उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और विभाग के बारे में जो स्वस्थ आलोचना उन्होंने की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। खासतौर से मैं माननीय बलबीर सिंह जी को जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, करीब से जानता हूं हमारी स्टैंडिंग कमेटी के वे माननीय सदस्य भी हैं और मेरा ऐसा विश्वास उनके बारे में है कि उन्हें कृषि के बारे में काफी अच्छा ज्ञान है क्योंकि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भी बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव रखे थे।

मान्यवर, जो सुझाव हमारे माननीय सदस्यों ने रखे हैं और उनमें जो भी अच्छे और ऐसे सुझाव हैं जिनका कार्यान्वयन कर सकते हैं उसको धरती पर लाने का हमारा पूरा प्रयास होगा हमारे माननीय सदस्यों ने कल से आज तक इस लम्बी बहस के दौरान कई बातें कही हैं। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उनके बारे में एक-एक करके उनका उत्तर दूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 52––कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60––दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99––पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––दुग्धशाला विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122––कृषि विभाग–– ण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124––पशुधन विभाग––ण और अग्रिम

मान्यवर, माननीय बलवीर सिंह जी ने डीजल की कमी के बारे में इंगित किया है कि डीजल की कमी है और जो किसान ट्रैक्टर रखता है उसको सिर्फ एक सौ लीटर डीजल मिलता है । इस सिलसिले में मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन ने स्पष्ट आदेश इस तरह के दिये हैं कि आवश्यकतानुसार किसान को जितने डीजल की आवश्यकता हो, उतना दिया जाय । जो गवर्नमेंट के आदेश हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके पैरा 2 (1) में दिया हुआ है––डीजल का वितरण काश्तकारों, ट्रैक्टरों एवं बसों तथा अन्य उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार केवल उनके राशन कार्डों में अंकित करके दिया जाय । मान्यवर, यह हो सकता है कि कुछ जिलाधिकारियों ने यह देखा हो और इसमें थोड़ी बहुत कमी आयी हो और उन्होंने ऐसी आन्तरिक व्यवस्था कर ली हो लेकिन माननीय बलबीर सिंह जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है तो मैं उन्हें आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम पुनः जिलाधिकारियों को निर्देश देने जा रहे हैं कि किसान को जितनी आवश्यकता हो उतना डीजल उपलब्ध कराया जाय ।

श्री रियासत हुसैन––

किसान को ट्रांसपोर्ट और दूसरों से प्रायोरिटी डीजल में दिला दें ।

श्री बलराम सिंह यादव––

मान्यवर, जहां तक किसान का सम्बन्ध है और ट्रांसपोर्ट का सम्बन्ध है तो ट्रांसपोर्ट को भी मान्यवर, नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है । आज की स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में डीजल की कमी नहीं है इसलिए इस बात का कोई प्रश्न नहीं होता है डीजल समुचित मात्रा में उपलब्ध है ।

मान्यवर, सीड ऐक्ट के बारे में माननीय बलबीर सिंह जी ने कहा कि कुछ प्राइवेट लोग जो सीड बेचते हैं वह घटिया किस्म का होता है और उससे किसानों की लूट होती है । उनकी यह बात सही है क्योंकि इस तरह की शिकायतें आती है । तो इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीड ऐक्ट है वह केन्द्रीय सरकार का है और शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि इस सीड ऐक्ट में परिवर्तन कराया जाय । मामला विचाराधीन है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम सफलता प्राप्त कर लेंगे और ऐसा कोई न कोई प्रावीजन उसमें रखा जायेगा ताकि ऐसे लोग जो सीड बेचते हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सके । अभी जब कोई हजारे अधिकारी दुकानों में चैक करने के लिए जाते हैं तो चूंकि सीड बेचने के लिये कोई लाइसेन्स की पद्धति नहीं है, इस वजह से वह प्रभावी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं । इसलिए इस समूचे मामले पर सरकार विचार कर रही है और उम्मीद है कि कोई प्रभावी कदम इस सम्बन्ध में उठाया जायेगा ।

मान्यवर, जहां तक माननीय बलवीर सिंह जी ने यह कहा कि आज बिजली की कमी है और किसान को बिजली नहीं मिल रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिजली का जो मर्ज है यह आज का पैदा हुआ मर्ज नहीं है यह मर्ज माननीय बलवीर सिंह जी का पैदा किया हुआ है । किस हालत में उन्होंने

[श्री बलराम सिंह यादव--]

बिजली के पावर हाउस हमारे हाथ में दिये थे उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं । जब आपकी हुकूमत थी तो श्रीमन् एक दो घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कृषि मंत्री जी मेरी हुकूमत कभी नहीं थी ।

श्री बलबीर सिंह--

हमारी हुकूमत में तो 12 घंटे से 20 घंटे तक बिजली लगातार मिलती रही ।

(व्यवधान)

श्री बलराम सिंह यादव--

तो श्रीमन्, जब से सरकार बनी है, लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि बिजली की दशा को सुधारा जाय और आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को 7 घंटे बिजली मिल रही है और हमारा प्रयास है कि हमारा बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हम उनको अधिक बिजली देंगे । माननीय बलबीर सिंह जी ने एक बात और कही कि कुछ फर्टिलाइजर कटे-फटे बोरों में अनस्टैन्डर्ड दिया जाता है । यह मर्ज पुराना है, क्योंकि यह पोर्ट-फर्टिलाइजर है, जो विदेशों से आता है और वहीं से सब तरफ भेजा जाता है । यह उस समय से मर्ज है जब आपकी हुकूमत थी, जिसकी आज आप शिकायत कर रहे हैं । अभी कुछ महीने पहले मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कृषि विभाग के सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें कृषि से कोआर्डिनेटेड समस्त विभागों को बुलाया गया था, उसमें इस बात का फैसला हुआ है कि किसानों को जो खाद दी जाये, वह खाद ठीक बोरों में हो, और उसकी ठीक नाप-तौल कराकर किसानों को दी जाय । इस तरह के निर्देश भी हर जगह भेज दिये गये हैं । यह भी कहा गया कि कहीं-कहीं कृषि यंत्र खराब पड़े हैं, किन्तु यदि वह स्पेसिफिक कुछ स्थान हमें बताएं जहां कृषि यन्त्र खराब हैं, तो उसकी जांच कराई जा सकती है, उस पर तुरन्त जांच कराई जा सकती है । फिर भी हमने निश्चय किया है कि एक जनरल आर्डर पूरे प्रदेश में भेजे जाय इस सम्बन्ध में कि जो खराब हैं, मरम्मत योग्य हैं, उनको ठीक करा दिया जाये ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

एक बात यह है कि आपके पन्तनगर के जो बीज पूर्वांचल में गये हैं । उससे सारे क्षेत्र में गेहूं की फसल को बर्बाद करते हैं । ढ़ाई सौ रुपया प्रति एकड़ उसका चार्ज लग रहा है, उससे सारे पूर्वांचल का गेहूं बेकार हो रहा है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, पी० के० शर्मा ने यह कहा कि सरकार ने जो किसान मित्र सेल का गठन किया है, जिसका उन्होंने स्वागत भी किया है, और उसके बारे म सुझाव दिया है कि जिला स्तर पर भी इसका गठन होना चाहिये । तो शासन इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा । राम आसरे वर्मा, रियासत हुसैन, ओझा जी अन्य कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि विभाग को तकनीकी विभाग घोषित किया जाये । तो इस सिलसिले में इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष शीघ्र ही लाया जा रहा है और वहीं पर इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्योगिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सिंगिल लाइन ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आप बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक मंत्री जी खड़े हैं आप कैसे पूछ सकते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह दोनों मामले शासन के विचाराधीन हैं, और इस पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा । सोमांस प्रकाश ने यह कहा है कि 4/5 वर्षों से कृषि विश्वविद्यालयों ने गेहूं की कोई अच्छी और नयी वैराइटी नहीं निकाली है । इस पर मैं उनकी सूचनार्थ और माननीय सदस्यों के सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि धान की नई प्रजातियों का जो इन 3-4 वर्षों में अविष्कार किया गया है वे हैं सरजू 52, प्रसाद, वी0 एल0 8 और गेहूं की हैं एच0 डी0 2003, यू0 115 और एच0 डी0 2204 । तो ये प्रजातियां निकाली गई हैं और इसके साथ ही साथ एक सोना कल्याण का भी आविष्कार किया गया है ।

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने कुछ बातें कहीं हैं, मैं उनका भी उत्तर दे चुका हूं । सिर्फ एक बात रह जाती है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जाता है । उन्होंने उसकी शिकायत की थी । मैं समझता हूं कि उसकी उन्हें शिकायत होंगी । उसको रोक दिया गया था किन्हीं कारणों से लेकिन वार्षिक स्थानान्तरण के समय ट्रान्सफर कर दिया जायेगा ।

माननीय महारानी दोहरे जी और भाई गौरी शंकर जी ने कहा कि जो रेवीन्स हैं उनको ठीक कराया जाय । इटावा जिले के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो ऊसर सुधार निगम है, जहां वह ऊसर ठीक करता है, वहीं उसके साथ-साथ जो बीहड़ है, उनको भी ठीक करने का काम उसके कार्यक्रमों में है और इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर, आगरा तथा इटावा में बीहड़ सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं । इटावा में एक इकाई स्थापित कर दी गई है । मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के चलने से अगर वहां की जमीन ठीक हो जायेगी तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी । इससे वहां पर जो डकैतों की समस्या है उसका भी किसी हद तक निराकरण हो जायेगा ।

माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी ने कहा है कि देवरिया के अन्दर जो रामपुर विकास खंड है उसमें किसानों को अनुदान नहीं बांटा गया है । मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर इस सिलसिले में कोई निश्चित सूचनायें हों कि फलां-फलां गांवों में अनुदान नहीं बांटा गया तो मैं उसकी भी जांच कर लूंगा विस्तार से और जो भी दोषी अधिकारी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही कराऊंगा ।

माननीय दलगंजन सिंह ने भी कुछ शिकायतें कीं । अगर वे भी मुझे स्पैसिफिक शिकायतें लिख कर देंगे तो उनके क्षेत्र की भी जांच करा लूंगा ।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

माननीय नौटियाल जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक उद्यान निदेशक का पद सृजित किया जाये । तो मैं इस सिलसिले में उनको बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात का भी निर्णय ले लिया है कि एक पूर्णकालिक अतिरिक्त निदेशक, जो रानीखेत मुख्यालय पर रहेगा और जिसे ड्राइंग तथा एडमिनिस्ट्रेटिव सभी अधिकार प्राप्त होंगे, नियुक्त किया जायगा ।

माननीय सदस्य ने ट्रैक्टरों पर जो सेलसटैक्स लगता है उसके बारे में भी सुझाव दिया । उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात हो चुकी है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

यह हमारा कृषि वर्ष है । हमारी सरकार ने फैसला किया है कि इस वर्ष कृषि प्रशिक्षण के लिए हम किसानों को कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे प्रदेशों को कृषि विश्वविद्यालय तथा दूसरे प्रदेशों के उन्नतशील कृषि फार्मों को देखने के लिए भेजेंगे । जहां-जहां अच्छे काम हो रहे हैं, वहां हम उनको भेजेंगे ताकि वहां के बारे में हमारे किसानों को भी जानकारी हो सके और वे उसका लाभ उठा सकें । सरकार इसके लिये कुछ धनराशि भी उपलब्ध करायेगी ।

(व्यवधान)

प्रशिक्षण शिविर भी लगाने पर हमारी सरकार विचार कर रही है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह हमारा कृषि वर्ष है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह विकलांग वर्ष है या कृषि वर्ष है (हंसी) जिस तरह से विकलांग वर्ष निकला उसी तरह से तो यह भी नहीं है क्या ?

श्री बलराम सिंह यादव--

एक प्रश्न और माननीय सदस्य ने उठाया था फसल बीमा योजना के बारे में कि उसकी रूपरेखा क्या होगी । यह योजना अगली खरीफ की फसल से लागू की जायेगी और मोटे रूप में इसकी रूपरेखा इस प्रकार है-- प्रारम्भ में यह योजना कुछ जिलों में केवल खरीफ में धान तथा रबी में गेहूं की फसल पर चलाई जायेगी । यह योजना स्वैच्छिक होगी । लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिये 25 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 25 प्रतिशत भारत सरकार प्रीमियम के लिए अनुदान देगी । इस प्रकार ऐसे कृषकों के लिये वस्तुतः प्रीमियम दरें केवल 2·5 प्रतिशत ही होंगी । एक हजार रुपये के बीमे के लिए कुल प्रीमियम 50 होगा तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को केवल 25 रुपये देना होगा । प्रीमियम दरों की वसूली तथा इन्डेम्निटी की अदायगी सहकारिता ऋण से सम्बद्ध कर दी जायेगी जिसके फलस्वरूप इस योजना के कार्यान्वयन होने में कोई व्यय नहीं होगा । फसल बीमा की अधिकतम धनराशि दो हजार रुपये प्रति कृषक होगी ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पशुओं और फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों से कहा जाये, क्या इस पर भी सरकार विचार कर रही है ?

(व्यवधान)

संख्या 52––कृषि, अनुदान संख्या 53––औद्योनिक विकास, अनुदान संख्या 59––पशुधन, अनुदान संख्या 60––दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94––कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99––पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––दुग्धशाला विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122––कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124––पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री बलराम सिंह यादव––

यह योजना स्वैच्छिक है और जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी से हमारा कान्ट्रेक्ट हुआ है, उसी से इसको कराया जा रहा है ।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने मंडी के बारे में जो कहा है कि मंडियां जो हैं, बिलकुल बनी नही हैं, दो–चार मंडियां बनी हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर 40 (चालीस) मंडियों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रदेश के 14 मंडी स्थलों, 14 जगहें ऐसी हैं, जहां मंडियों से व्यापार भी शूरू हो चुका है और प्रदेश की 16 मंडियां ऐसी हैं कि जिनमें व्यापार शुरू कराने के लिये विज्ञप्ति जो है, जारी करने के शासन के आदेश हो गये हैं तथा 23 मंडियां ऐसी हैं कि जिनकी विज्ञप्ति जारी करने के लिये शासन मंडी परिषद् से प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा है और हमें उम्मीद है कि 10–5 दिन के अन्दर प्रस्ताव आ जायेगा और यह भी नोटिफिकेशन ईशू हो जायेगा ।

श्री मुख्तार अनीस––

मंडियों के टेन्डर हो गये ? मेरे अपने क्षेत्र में मंडी के लिये क्षेत्र खरीद लिया गया, लेकिन वहां पर अभी तक मंडी नहीं बनी ।

श्री बलराम सिंह यादव––

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि किसी समय मेरे कार्यालय में वह आ जायें, वहां पर मैं डायरेक्टर को बुला लूंगा, और वहां पर समस्या का समाधान कर दिया जायेगा ।

मान्यवर, एग्रों के बारे में भी कहा गया, एग्रो की हालत कुछ अच्छी नहीं रही है । मान्यवर, और उसके लिये मुझे जिम्मेवार ठहराया जाय, तो यह ठीक नहीं होगा । तीन वर्ष एग्रो का सुधार आप लोगों ने किया और तब भी नहीं हो सका । लेकिन मान्यवर, फिर भी मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारा काफी प्रयास इस बात का है कि एग्रो जो है, उसमें सुधार होगा । पिछले वर्ष 25 लाख का तालकटोरा से जो वर्कशाप है, उसमें 1 वर्ष के अन्दर सुधार हुआ है । अभी 7 महीने के अन्दर लगभग 50 लाख रुपये का उत्पादन हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष के अन्त तक और भी काफी उत्पादन होगा । जो घाटा हुआ था, उसमें कमी आ जायेगी । मैं समझता हूं कि इस तरह से एग्रो में भी काफी सुधार हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री असवन्त सिंह विष्ट––

मान्यवर, हमारे जनपद में एग्रो फैक्ट्री बन्द पड़ी है, उसके लिए क्या करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, अभी और कितना समय लेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, समय कम है दो-तीन घोषणायें और करना चाहता हूं । मान्यवर, अभी एक एफ्रो आर्गेनाइजेशन है, एफ्रो आगेनाइजेशन ने अलीगढ़ जनपद में गायों के क्रास-ब्रीड के लिए और जो उससे नस्ल पैदा होगी, उसकी किसानों में वितरित करने के लिए किया गया है । मान्यवर, हमें उम्मीद है कि यह परिक्षेत्र खुल जायगा, इसके लिए 40 लाख रुपया मिल रहा है । वहां जो नस्ल पैदा होगी, उन नस्लों का वितरण किसानों के अन्दर किया जायगा । इटावा जनपद में मदावरी भैंस खोलने का प्राविधान किया जायगा । मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा । मान्यवर, बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद में जर्सी का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह--

पंतनगर यूनिवर्सिटी में खोलने का प्राविधान था, वहां पर स्थापना क्यों नहीं कर रहे है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वहां पर मान्यवर, है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जहां तक मुझे स्मरण है गत वर्ष बजट के समय यहां आश्वासन दिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र में एक स्वतन्त्र निदेशालय खोल दिया जायगा और उसके लिये व्यवस्था भी कर दी गयी है लेकिन आज यह बतला रहे हैं कि एक एडीशनल डायरेक्टर भेजा जायगा । तो यह परस्पर विरोधाभास है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है । मैंने कहा कि जो निदेशालय खोला जायगा उसमें पूर्णकालिक एक अतिरिक्त निदेशक रखा जायगा जिसको सारे अधिकार दे दिये जायेंगे । अब वहां डायरेक्टर रखा जाय या एडीशनल डायरेक्टर यह शासन की बात है जो कुछ उचित होगा, कर लिया जायगा ।

अन्त में मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि माननीय सदस्यों ने बहुत से मूल्यवान सुझाव दिये उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जो कटौती के प्रस्ताव पेश किए गये हैं उनको वापस ले लिया जायगा और उनको प्रेस न किया जायगा और जो मेरा प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या श्री बलबीर सिंह जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री बलबीर सिंह--

वापस नहीं ले रहा हूं ।

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,49,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-कृषि विभाग (औद्योनिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,69,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59-पशुधन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,89,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94-कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्ययों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि की घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,54,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 100-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 100--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,92,000 रुपए से अनधिक धन-राशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122-कृषि विभाग--ऋण एवं अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है 31 मार्च, 1982 को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान संख्या 122-कृषि विभाग-ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,29,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124-पशुधन विभाग-ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 124-पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को

[श्री उपाध्यक्ष --]

चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 62--वन, अनुदान संख्या 102--वन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 118--वन विभाग-ऋण और अग्रिम

[3 बज कर 9 मिनट]

*पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62--वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,53,32,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 102--वन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 118--वन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, देश के लिये बनों का बहुत महत्व है, जलाने के लिये लकड़ी और उससे भी बढ़कर पर्यावरण को बनाये रखना और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनों का अपना महत्व है ।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

किन्तु राष्ट्रीय बन नीति के अनुसार जहां एक तिहाई भाग वनों से आच्छादित होना चाहिये वहां इस समय 1/6 भाग वनों के अन्तर्गत है और उसका भी 1/4 भाग हिमाच्छादित और पथरीली भूमि के अन्तर्गत आता है । इन दृष्टियों को ध्यान में रखते हुये बनों के विकास के लिए और सुरक्षा के लिये, दुरुपयोग को रोकने के लिए पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार ने कदम उठाये हैं और उन्हें और तीव्र गति देने की चेष्टा की जा रही है । 1980-81 में भूमि संरक्षण म 14 करोड़ 86 लाख 20 हजार रुपये का प्राविधान था और इस वर्ष 1981-82 में 17 करोड़ 99 लाख 57 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना के अन्तर्गत 1980-81 में 2 करोड़ 58 लाख 28

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हजार रुपये का व्यय अनुदान है । 3 करोड़ 52 लाख 89 हजार का प्राविधान इस वर्ष किया गया है कार्यान्वित होने वाली विवरण की प्रगति 1981 में दी हुई है, विस्तार में नहीं दोहराऊंगा केवल मुख्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उद्योगों के लिए विशेषकर इस प्रदेश में दियासलाई, प्लाईवुड, पैकिंग, केसेज, स्पोर्ट्स, गुड्स खास तौर से मेरठ में तथा अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है ताकि इस तरह के उद्योगों का काम भी न रुके और जो माल को बाहर भेजने से फारेन एक्स्चेंज मिला है वह भी मिलता रहे । कागज आज जनजीवन में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, सामान लेने जायें तो, दफ्तरों में फाइलों में, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है । इसके ऊपर भी 1981-82 में 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 34 लाख 60 हजार रुपया प्रस्तावित है । इनमें से जो विदेशी प्रजातियां हैं वह भी पैदा करने की चेष्टा की जा रही है । पोपलर पौधों को विकसित किया जा रहा है । 250 हेक्टर क्षेत्र में इसका रोपण किया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों में भू-संरक्षण की बड़ी समस्या है । वहां वनों की कटान की बात आयी इसलिये मैं इन क्षेत्रों को बता रहा हूं । बचाव के लिए तथा अतिवृष्टि और अनावृष्टि के लिये हिमालय क्षेत्र के समेकित विकास के लिए केन्द्र द्वारा वृक्ष और भू-संरक्षण योजना बनायी गयी है । केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित हिमालय क्षेत्र में भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 1 करोड़ 98 लाख 44 हजार रुपये के व्यय से 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण एवं अन्य विकास किया जायेगा । 150 हेक्टर कृषि भूमि का उपचार, 7500 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में भूमि संरक्षण, सर्वेक्षण तथा 17.60 लाख पौधों को पौधशालाओं में उगाने तथा 342 लघु अभियांत्रिक कार्य करने का लक्ष्य है । चेक डैम्स बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि अधिक मात्रा में "स्वाइल इरोजन" न हो सके ।

सिविल एवं सोयम वन जो वन विभाग के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनमें भी वनीकरण और चारागाह के विकास के लिये भूमि संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया है । वर्ष 1981-82 में 2 करोड़ 5 लाख 82 हजार रु0 के व्यय से 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में चरागाहों का विकास एवं वनीकरण करने के लिये 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सर्वेक्षण और सीमाबन्दी भी की जायगी ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके ।

रामगंगा जलाशय क्षेत्र में कालागढ़ का बांध बना है । वैज्ञानिकों का ख्याल था कि यदि यहां पर भू-स्खलन न रोका गया तो बांध को नुकसान पहुंच सकता है । नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत बड़े खादर में वृक्षारोपण किया जा रहा है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान मंत्री ने भी इस ओर ध्यान दिलाया । पर्यावरण और भूमि संरक्षण के लिये एक विशेषज्ञ समिति, जो विभागीय विशेषज्ञ समिति थी, उन्होंने अनुशंसा की थी कि 2750 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा 45 डिग्री से अधिक ढालू क्षेत्रों में हरे पेड़ों का बिलकुल कटान न किया जाय । इस संस्तुति को लागू कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त 30 डिग्री से 45 डिग्री तक ढालू वाले, जो क्षेत्र हैं, वहां केवल सेलेक्शन पद्धति से ही कटान होगा और परिपक्व पेड़ों को ही आंशिक संख्या में काटा जायगा । पहाड़ों में यह भी प्रश्न आया कि जहां भू-गर्भीय कारणों द्वारा भू-क्षरण हो रहा है या सम्भावित है, वहां

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--]

सड़क के दोनों ओर 100 मीटर तक तथा खदानों के चारों ओर कम से कम 160 मीटर तक हरे पेड़ों का बिल्कुल कटान न करने की संस्तुति की है । इनको शासन ने मान भी लिया है ।

मान्यवर, इन वनों से कागज उद्योग, दियासलाई, जानवरों के लिये चारा, गांव में जलाने के लिये ईंधन इस सब की आवश्यकता पड़ती है । मैदानी हिस्से में भी इसे बड़े जोरों से चलाया जा रहा है । वर्ष 1981-82 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 9 करोड़ 77 लाख 80 हजार रु0 के व्यय से वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है । यह एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना है । जहां कहीं ईंधन के लिये लकड़ी उपलब्ध हो रही है, वह अन्त्योदय परिवारों को बांटी जा रही है । इसका शुभारम्भ अभी हाल में रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जिलों में कर दिया गया है, जिसमें रायबरेली जिले के प्यारेपुर और बालागांव के 37 अन्त्योदय परिवार तथा प्रतापगढ़ जिले के संसारपुर गांव में 50 अन्त्योदय परिवारों को ईंधन वितरित हो चुका है । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोग अपनी निजी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्ष लगायें, जिससे वह उनके स्वयं के इस्तेमाल में आये ।

मान्यवर, 1981-82 में विभिन्न संस्थाओं को सम्बद्ध करके लगभग 300 लाख पौधे रोपित किये जायेंगे । वनों के संरक्षण के लिये मान्यवर, वन विभाग के कर्मचारियों का एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । वन सम्पदा की सुरक्षा करने में हमें देखने में आया है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारी, खास तौर से छोटे कर्मचारियों की हत्या की गयी और गत 3 वर्षों में 27 वन कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुये असामाजिक तत्वों द्वारा मार दिये गये । इस हेतु अब तक 12 सशस्त्र दल स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा कुछ और भी नये सुरक्षा दलों की स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि वनों की सुरक्षा की जा सके और वनों में, जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध हो सके और अवांछनीय तत्वों को लाभ उठाने का मौका न मिले । वनों की सुरक्षा के लिये 1981-82 में अग्नि सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वाच टावर का निर्माण, वायरलेस सेटों का प्राविधान, पानी के टैंकर, वाटर पम्प तथा अन्य आधुनिक अग्नि शमक यंत्रों को उपलब्ध कराने हेतु 7·94 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । वन प्रबन्ध के सघनीकरण योजना के अन्तर्गत 9·90 लाख रुपये, संचार साधन की योजना के अन्तर्गत 49·84 लाख रुपये का व्यय करने का प्रस्ताव है ।

मान्यवर, हमने घड़ियाल पुनर्स्थापन एवं प्रजनन योजना भी आरम्भ किया है । घड़ियाल की खाल एक्सपोर्ट होती है और उससे फारेन इक्सचेंज हमको काफी मात्रा में मिलेगा । खुशी की बात है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो विश्व में सबसे बड़ा घड़ियाल पुनर्वासन केन्द्र यह है जो प्रदेश में स्थापित किया गया है । जनवरी, 1981 तक इस योजना के अन्तर्गत 200 घड़ियाल के बच्चों को चम्बल तथा गेरुआ नदी में छोड़ा जा चुका है । इसकी खालों से हमको फारेन एक्सचेंज मिलेगा । मान्यवर, इसके अलावा कुछ नयी योजनाओं को भी इस प्रदेश में चलाया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, पशु विहारों का प्रबन्ध और फारेस्ट पार्कों का विकास, की योजनायें लागू की जा रही हैं । मान्यवर, 15 बड़े नगरों में जिनकी एक लाख से ज्यादा आबादी है उनमें भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने का प्रस्ताव है । पशु बिहारों का सघन प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है । मान्यवर, वनों का तेजी से विकास हो सके इसके लिये कुछ विदेशी जातियों के पेड़ों को भी हम अपने यहां लगाने जा रहे हैं । अन्त में मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के वनों क

वर्ष 1981-82 के लिये कुल प्रस्तावित राजस्व 44·23 करोड़ रुपये है तथा कुल प्रस्तावित व्यय 34·62 करोड़ रुपये है। इनकी तुलना में वर्ष 1980–81 में 43·29 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति तथा 31·62 करोड़ रुपय के व्यय का अनुमान है। वर्ष 1981–82 में वर्ष 1980–81 की अपेक्षा लाभ कम होने का कारण वृक्षारोपण तथा विकास सम्बन्धी कार्यों पर अधिक व्यय है।

मान्यवर, हम जो वन लगा रहे हैं इनका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा क्योंकि वृक्ष ऐसी चीज है, जितनी मोटाई उनकी होती जाती है और जितने लम्बे वह होते चले जा रहे हैं उसी अनुपात से कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ता जायगा और इस प्रकार हम राजस्व की संचित निधि में वृद्धि करेंगे। परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से यह हमें लाभ भी देगी जो कि निर्बल और छोटे लोगों के लिये वनों के निकट रहने वाली जन जातियों को रोजगार देने के लिये कुछ स्थानों पर जैसे थारू क्षेत्रों में लघु वन उपज जैसे साल बीज और तेन्दू पत्ते आदि काम उनके माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जा रहा है जिससे उनको वनों से लाभ मिल सके।

*श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62––वन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 102––वन विभाग–पूंजीगत परिव्यय में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118––वन विभाग–ऋण और अग्रिम में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी राज्य मंत्री, वन ने अपने विभाग के बारे में विस्तार से बताया। मान्यवर, वन विभाग की महत्ता को हम सभी जानते हैं। स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमको वनों से आक्सीजन और लकड़ी मिलती है और उससे राज्य के राजस्व में काफी बड़ी आय होता है। वन तफरी के लिये लोगों के साधन भी हैं, वहां जीव–जन्तु और पौधों से दवाईयां भी मिलती हैं। इसको देखते हुये वन विभाग की बड़ी अहमियत है इसलिये वन विभाग के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है।

हमारे राज्य मन्त्री पुराने साथी हैं और वह जेल में रहे हैं। दूसरे उप मन्त्री जो हैं वह लखीमपुर के हैं और वह बड़े खूबसूरत हैं। इन तमाम कारणों से मैं विस्तार से वन विभाग के सम्बन्ध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वन विभाग की आज स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। मान्यवर, मोटी बात यह है कि 1952 में जो केन्द्रीय सरकार ने जो वन नीति को निश्चित करने के लिय अपना कमीशन बनाया था उसने कहा कि प्रत्येक प्रदेश के अन्दर पूरे क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत वन होने चाहिये और उत्तर प्रदेश को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस---]

स्थिति यह है कि यहां वन 17 प्रतिशत हैं। आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत की जगह 17 प्रतिशत ही वन हैं। पहाड़ी क्षेत्र में 18 प्रतिशत वन और मैदानी क्षेत्र में वन के बराबर हैं और 2-3 प्रतिशत हैं। इसलिये आज यहां वनों को लगाने की आवश्यकता है। आज जगह-जगह पर प्लांटेशन करने की जरूरत है लेकिन हो उसका उल्टा रहा है और वनों को ठेकेदार काट रहे हैं। इसके अलावा आपने वनों को काटने के लिये ठेकेदारी सिस्टम प्रथा को शुरू किया है। अपने वन काटने के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना किया है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना क्यों हुई क्योंकि सरकार यह समझती थी कि ठेकेदारों को फुसलाकर अधिकारी लोग उनके जरिये लकड़ी सीधे ले लेते थे। इसलिये अपने विभाग में लकड़ी काटने का काम बन्द करवा कर वन निगम की स्थापना की। लेकिन आज उसके विपरीत काम हो रहा है। पहले ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खाते थे, आज ठेकेदार बीच से हट गया है और अब अधिकारी और वन मन्त्री मिल कर खाते हैं।

मान्यवर, मैं वन निर्माण के बारे में बताना चाहता हूं, उन्होंने अपना उद्देश्य दिया है कि आम जनता को हम उचित मूल्य पर लकड़ी उपलब्ध करायेंगे, उनकी समस्याओं को सुलझायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता को लकड़ी उचित मूल्य पर नहीं मिलती है। सरकार की कहां-कहां दिलचस्पी है जिससे जनता लकड़ी खरीदे, इसका जवाब मन्त्री जी देंगे।

दूसरी बात वन विभाग की लकड़ी से जो उद्योग-धन्धे चलते हैं फर्नीचर बनता है, उसके लिये हम कारखाने खोलेंगे, ऐसा कहा गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे उद्योग-धन्धों के, फर्नीचर बनाने के केन्द्र कहां-कहां हैं जहां उद्योग-धन्धों के द्वारा लकड़ी का सामान बनाया जाता है, या बनाया जा रहा है ?

अभी माननीय मन्त्री जी ने इंगित किया कि वनों को काट रहे हैं, इस पूरे प्रदेश में वन निगम कहां वनों को काट रहा है, कुछ नहीं बताया है। वनों के लगाने के लिये कहां से योजनायें बनाई जाती हैं, जो वन निगम की स्थापना की है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण वन विभाग की खरीदी हुई भूमि लीज पर है।

कहते हैं कि हम वनों को पहाड़ी क्षेत्र में लगा रहे हैं। आज पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति क्या हो रही है, मान्यवर, मसूरी के सारे के सारे पहाड़ नंगे हो गये हैं, पियौरागढ़ के पहाड़ नंगे हो गये हैं और ये कहते हैं कि हम वन लगा रहे हैं। होता क्या है कि पहाड़ों में नदी के बहाव से बड़े-बड़े पत्थर कट कर नीचे आ जाते हैं और उनके साथ में घास भी कट कर नीचे आ जाती है तो इस तरह से सारे के सारे पहाड़ आज नंगे हो रहे हैं। नदियों के बहाव के साथ-साथ तमाम चीजें नीचे आ जाती है।

आप कहते हैं कि हम वन लगा रहे हैं। हां, कुछ जगहों पर आपने वन लगाये हैं। जो सबसे मोटी बात है कि आपने कहां-कहां वन लगाये हैं ? सड़कों पर आपने पेड़ लगाये हैं। आपने सड़कों के फलदार पेड़ों को काटकर उनकी जगह आपने शीशम और यूक्लिपट्स के पेड़ लगाये हैं या लगा रहे हैं। आप यह क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि शीशम और यूक्लिपट्स के

पेड़ों से आपको ज्यादा आमदनी होगी। आप फलदार पेड़ों को काट देंगे तो उससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला है।

आप कहते हैं कि हमको उद्योग-धन्धों के लिये लकड़ी की आवश्यकता है। आप यह बताइये कि वनों की लकड़ी को काटकर आपने कौन से जिले में लकड़ी के उद्योग-धन्धे की स्थापना की है ? आपको मालूम था कि लालकुंआ में कोई कागज का कारखाना कौन व्यक्ति लगाने जा रहा है। इसी के साथ ही साथ में एक मिसाल और दूंगा, यहां पर पर्यटन मन्त्री जी नहीं हैं, वे कहीं पर्यटन पर गए हुए हैं, लेकिन मैं यहां की बात बतला रहा हूं कि यहां नजीबगंज में एक झील है जहां पर पक्षी यानी परिन्दे वगैरह आते हैं। वहां पर भी हमारे प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि तालाब में यूक्लिपट्स के पेड़ लगाये जा रहे हैं। कहा जाता है कि यूक्लिपटस पानी को सोखता है तो फिर तालाब के अन्दर यूक्लिपट्स लगाने का औचित्य क्या है ?

इसके साथ ही साथ आप इसे पहाड़ों में लगा रहें हैं जिससे कि पूंजीपतियों का भला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारनपुर में स्टार पेपर मिल है, इसको किस तरीके से फायदा पहुंचे, आपकी यही कोशिश है क्योंकि आपकी पार्टी को उसमें दिलचस्पी है क्योंकि वे आपको चन्दा देते हैं। श्री सुन्दर लाल ने आन्दोलन किया कि वहां एक कमेटी बनायी जाय। कमेटी बनाई गई, उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि 1974 में कि यह जो वनों को काटा जा रहा है, इस पर विचार किया जाय। कमेटी बनी और उस कमेटी के अन्दर आपने जो सदस्य रखें हैं वनों के कटाव को रोकने के लिये कि जहां पर हमारे वैज्ञानिकों को सुझाव देने के लिये सदस्य नियुक्त करना चाहिये था, वहां पर आपने जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि बड़े-बड़े व्यापारियों के आदमियों को सदस्य बना दिया है जिनकी दिलचस्पी इस बात में है जंगल कटें और स्टार पेपर मिल का फायदा हो। स्थिति यह हो रही है कि स्टार पेपर मिल का बीस साल की लीज खत्म हो गयी है लेकिन उनको अभी भी कागज बनाने के लिये लकड़ी देते चले जा रहे हैं। आप जो लकड़ी उनको दे रहे हैं वह 50 पैसे क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं जब कि जनता को आप 55 पैसा क्विंटल के हिसाब से लकड़ी देते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि स्टार पेपर मिल वाले क्या आपके रिश्तेदार हैं जो उनको 50 पैसा क्विंटल पर लकड़ी दे रहे हैं और जनता को 55 पैसे के हिसाब से ? दुबारा आप टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं। इन तमाम विषयों पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें।

अब मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, जो आबादी है मान्यवर, जो लोग आदिवासी थे, बनवासी थे, थारू थे, जंगलों में रहते थे आपने उन जातियों को जंगल से बाहर कर दिया। रेवेन्यू विलेज पहले आपके अधीन था अब कुछ जगहों पर रेवेन्यू विलेज के अन्दर आ गया है। कुछ जगहों पर अभी भी आपके आसामी हैं और वह किस तरह से उनसे अंडा और मुर्गी खाते हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बना हुआ है आपका वन विभाग इसी तरह से दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया उसमें थारू जाति के लोगों को बाहर निकाल दिया गया। आज वह लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां जितनी ऐसी जातियां हैं उन लोगों के सामने एक समस्या है। वहां शेर आते हैं और मनुष्यों को खा जाते हैं। सौ-डेढ़ सौ लोगों को एक वर्ष में शेरों ने मारा। जब यह प्रस्ताव हो गया था कि दुधवा नेशनल पार्क की बाड़ेबन्दी होगी, उसको तार से घेरा जायेगा तो अब तक

[श्री मुख्तार अनीस--]

आप क्यों नहीं कर रहे हैं . मैं चाहूंगा कि उसे सब तरफ से तार से घेरने की कोशिश करें जिससे कि जानवर इन्सानों को न खायें ।

मान्यवर, एक और इतनी गम्भीर बात और देशद्रोह की बात है, अर्जुन सिंह नाम का एक व्यक्ति है वह वहां का अपने को सबसे बड़ा अधिकारी समझता है । शायद फारेस्ट कमेटी का मेम्बर है । उसको पद्मभूषण भी मिला है । इसी दुधवा नेशनल पार्क को अमेरिका में पूरी फिल्म दिखाई गई । वह कहता है कि यह मेरी निजी सम्पत्ति है जब कि वह एक राष्ट्रीय उद्यान है । उस पर यहां पूरी फिल्म बनाई गई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे ऐसे व्यक्ति को क्यों फारेस्ट कमेटी में रखे हुए हैं और क्या माननीय मंत्री जी इस सदन के माननीय सदस्यों की कोई कमेटी बनायेंगे जो इस पूरी फिल्म के बारे में जांच करे और इस बात को देखे कि इतना बड़ा जाल उसने किस तरीके से किया है । बगल में नेपाल है और काठमान्डू से धनगढ़ी जाकर (माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रदेश का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है इसको आप गम्भीरता से देखिए) जितने भी एजेन्ट हैं धनगढ़ी से आते हैं, उसके यहां रहते हैं, विदेशी शराब आती है उसके यहां और वन विभाग में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको निकाल बाहर करें । उसने शेर पाल रखे हैं जो मनुष्यों को खाते हैं ।

मैं कह रहा था इन्होंने कहा है कि हम जन-जातियों के उत्थान के बारे में जो जनजातियां आबाद हैं जंगलों के अंदर उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं । लेकिन स्थिति क्या है । आप ही के लिखे हुये कागजातों के अनुसार स्थिति यह है कि लिखते हैं वन निगम उत्तर प्रदेश भी अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है परन्तु निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखनेवाले अभ्यर्थी नहीं मिले इसलिए उनको नहीं रखा गया । इसमें क्या किया गया । वन विभाग में अधिकारी हैं 40 और अनुसूचित जाति और जन-जाति का एक आदमी है । इनको चपरासी, क्लर्क भी नहीं मिल रहे हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं 296 जिनमें अनुसूचित जाति और जन-जाति के 22 कर्मचारी हैं । चतुर्थ श्रेणी में जिसमें चपरासी होता है, जो चप्पल उठाता है अधिकारियों की उसमें भी इनको अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग नहीं मिले । चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या है 390 जिसमें अनुसूचित जाति और जन-जाति की संख्या 81 है । कुल 726 और अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की संख्या 104 सभी अपने रिस्तेदारों, नातेदारों, भाई बन्धुओं को आपके अधिकारियों ने भर लिया है और यह अन्याय क्यों हो रहा है । क्योंकि ऊपर से नीचे तक कोई भी पिछड़ा, कोई भी गरीब अधिकारी आपके विभाग में नहीं है जो उनके हितों की रक्षा कर सके । इसलिए मनमाने ढंग से काम हो रहा है और अफसरों ने अपने-अपने रिस्तेदार भर लिये हैं । यह एक झूठा बहाना है कि उनमें वह क्षमता नहीं मिली । यदि क्षमता नहीं मिली तो स्थान को रिक्त क्यों नहीं रखा । एक ही स्थान से लोग नहीं आते हैं । पूरे उत्तर प्रदेश भर में एडवरटाइज होता है । यह एक झूठा बहाना लेकर आपने अन्याय का काम किया है ।

अब, मान्यवर, मैं आता हूं मजदूरों के ऊपर । मान्यवर, जो सबसे बड़ा अन्याय इस विभाग में हो रहा है वह यह हो रहा है कि इनको मजदूर आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि जंगलों में काम करने वाले लोग हैं और बेचारों के पास रोजगार नहीं है । तो वे इनके मजदूर बन जाते हैं । और हमारे बगल में जो सदस्य बैठे हैं माननीय मोहन सिंह या इनके यहां देवरिया में, गोरखपुर,

बलिया, बहराइच वगैरह में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी कृपा से बड़ी बेकारी है, वहां बहुत बेरोजगार लोग हैं। उन बेचारों को मजदूरी उस जगह पर सस्ती मिलती है। मतलब यह है कि मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। इसलिए मजदूरी बड़ी सस्ती हो गई है और इनको बड़े सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी तय की है, वह हम उनको देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की 7 और 8 रुपये के बीच न्यूनतम मजदूरी है। यह घोषणा हुई कि यह मजदूरी दी जायगी। ऐसा नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मजदूरों को सात रुपये से भी कम मजदूरी दी जाती है और अगर इस बात का पता लगाना है तो इस सदन की एक कमेटी, बना लें जो इन मजदूरों की जांच करे कि उनको कितनी मजदूरी मिलती है। जो बेकार जमीन पड़ी होती है यह कहते हैं कि इसमें काम करो और उनको अनाज दे देते हैं। न्यूनतम मजदूरी उनको नहीं मिलती।

इसके साथ-साथ जो सवाल है वह यह है कि वन विभाग ने आजादी के बाद...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अनीस जी, ऐसा है बीस मिनट तो मन्त्री जो बोले, बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिये अब आप अधिक समय न लें।

श्री मुख्तार अनीस--

दस मिनट में खत्म कर रहा हूं। इस प्रदेश में बहुत सी फालतू जमीन आपके विभाग के लोगों ने अपने कब्जे में कर ली हैं। ऐसा कहा गया था कि वहां बन लगायेंगे, फारेस्ट्री का काम किया जायेगा। वह जमीन बेकार पड़ी हुई है। इस विभाग ने उस पर कोई पेड़ लगाने का काम नहीं किया है। अगर कोई उसमें जानवर कहीं से या कोई आदमी वहां चला जाता है तो उसको फौरन जेल में बन्द कर देते हैं। अगर इनको पेड़ नहीं लगाने हैं तो उस जमीन को हरिजनों में और भूमिहीन लोगों में बांट दें। उस जमीन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह बेकार पड़ी हुई है। इसी तरीके से बन विभाग का दूसरा कायदा है।

वन विभाग का कायदा यह है कि जहां जंगल काटते है वहां पर दूसरे पेड़ लगाने शुरू कर देते हैं। जब तक पेड़ बड़े नही हो जाते तब तक वहां पर यह ठेकेदारी के ऊपर जमीन दे देते हैं, लीज पर, लोगों को, खेती करने के लिए सारे बड़े-बड़े अधिकारियों और मन्त्रियों के रिश्तेदारों को वह जमीन मिलती है और वे लीज पर उस जमीन पर खेती करते हैं। इन सब बातों की चर्चा इस बजट की पुस्तिका में नहीं की गई है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। इस पर शासन का हजारों रुपया बरबाद हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने इस विभाग के छोटे कर्मचारियों के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। इसमें सबसे दयनीय स्थिति फारेस्ट गार्ड की है। मान्यवर, वह 24 घन्टे का नौकर है। अधिकारियों की सब्जी लेने से लेकर जंगल की रक्षा करना उसका कर्त्तव्य है। मैं किसी अधिकारी के बारे में नहीं कहता हूं किन्तु जो आपका फारेस्ट गार्ड है उसको समय से वर्दी नहीं मिलती, वेतन समय से नहीं मिलता, बहुत कम वेतन मिलता है, उसके बच्चों की चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है, जंगल में रहने की वजह से वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता है। इसलिये

[श्री मुख्तार अनीस---]

मान्यवर, उसकी दयनीय दशा के ऊपर हमको विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने अपने छोटे कर्मचारी को किस दशा में रखा हुआ है ।

इस विभाग के अन्दर जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई नौकरशाही है और जो छोटे कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, फारेस्ट गार्ड हैं, जो जंगल की रक्षा करते हैं जो वहां के सिपाही हैं जो अधिकारियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकते हैं । इसलिये मान्यवर, लोकतांत्रिक देश में हम आशा करेंगे कि जो सबसे छोटा कर्मचारी इस विभाग का है उसके बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बतायें । यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री शिवनारायण सिंह नेगी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे बन के बजट पर बोलने की अनुमति दी है । मान्यवर, जो बजट यहां पेश हुआ है वह बहुत ही क्रांतिकारी बजट है और बनों की बढ़ोत्तरी तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ोत्तरी और साथ ही विदेशी मुद्रा की योजना भी उसके अन्तर्गत है, इसलिये मैं वन मन्त्री जी को इस बजट के पेश करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं । जहां तक वनों का प्रश्न है, अभी कुछ दिन पूर्व इस तरह के कार्य हुये हैं पर्वतीय क्षेत्र के वनों में कि जो बड़ी-बड़ी ऊंचाई पर वन थे उनको स्टार पेपर मिल सहारनपुर के लोगों को लम्बे ठेके पर दिया गया है जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को और वहां के किसानों को नुकसान हुआ है । आज भी यह काम जो वन निगम को दिया गया है वह भी संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है और उनके कार्य से मैं समझता हूं कि वन विभाग का भी अधिक लाभ नहीं हुआ । जैसे पहले किसी प्लाट या किसी टुकड़े का नीलाम हुआ करता था और अधिक से अधिक बोली बोलकर रुपया दे देते थे किन्तु अब एक निश्चित कीमत पर वह वन निगम को दे दिया जाता है और इस तरह से राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है । इसलिये व्यक्तिगत ठेकेदारों के साथ-साथ वन निगम को काम दिया जाय जिससे वहां के लोगों को भी लाभ हो सके । निगम को ऐसे पेड़ दे दिये जाते हैं जहां पर अच्छा स्थान होता है ।

जहां तक तराई तथा भावर के प्लान्टेशन का सवाल है, ऐसे पेड़ लगाये जा रहे हैं जिनकी उम्र पांच साल से अधिक होने पर वे स्टार पेपर मिल के काम आते हैं। ऐसे पेड़ लगाये जायें जो साल शीशम और हल्दू के हों। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है कि जो भावर में प्लान्टेशन किया जाता है [उसकी भूमि की नीलामी की जाती है तो उसको नीलाम न करके उस भूमि को हरिजनों और छोटे किसानों की सहकारी समिति बनाकर उनको दिया जाय जिससे वह ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकें ।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि निगम की ओर से जो पेड़ों को काटा जाता है और वहां से जो लकड़ी को लुढ़काया जाता है उससे रास्ता बन जाता है और बारिश होने से बाढ़ आ जाती है जिससे जो तलहटी में जो गांव हैं उनकी खेती बरबाद हो जाती है । तो उन काश्तकारों का भी ध्यान रखा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता––

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री शिव नरायन सिंह नेगी––

रामनगर क्षेत्र में जो नेशनल कारवेट पार्क है उसके जानवरों से वहां के कास्तकारों को बहुत नुकसान होता है और उन लोगों के जानवरों को भी नुकसान होता है बहुत से जानवर मारे जाते हैं इसलिए उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका प्राविधान होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री श्याम नरायन तिवारी––

मान्यवर, जीवन की प्रगति और अस्तित्व के लिए वनों का कितना महत्वपूर्ण सवाल है इसकी चर्चा मान्यवर, इस पुस्तिका की प्रस्तावना में है । उस सिलसिले में मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ इतनी बात ही यकीनन कह सकता हूं कि अभी तक वनों के लिए कोई राष्ट्रीय वैज्ञानिक नीति नहीं बन पायी है यह चीज दो बातों से स्पष्ट है । वनों का कुल क्षेत्र 33 परसेंट होना चाहिये उसके बदले अभी तक केवल 17·4 प्रतिशत है और वह भी असंगत है । मैदानी क्षेत्र में कुल 7 प्रतिशत है जो कि वह 20 प्रतिशत होना चाहिये । हमारा वन विभाग अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है तो हमारी वन नीति कहां तक पहुंची है वह इस बात से स्पष्ट है ।

दूसरी बात जो मुझे आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लानी है वह यह है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1977 से आज तक बार–बार मैं इस सवाल को सदन में उठाता आया हूं और कल भी माननीय ओझा जी ने नियम 301 में इस प्रश्न को उठाया था कि वन लगाने के बारे में कोई नीति है या नहीं । पूरी पुस्तक देखने से मुझे कहीं भी यह नहीं मालूम हुआ कि बन लगाने वाले लोगों के बारे में कोई योजना है या कोई इनकी नीति है और उनके बारे में कोई सोच विचार है इनका जंगल लगा दिये जाते हैं, लेकिन वह मालूम पड़ता है कि ठेकेदारों की लूट के लिए लगाये जाते हैं । जंगल से हमें बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन उसके लगाने वालों की क्या दशा है, इस पर विचार नहीं किया गया है ? मैं सदन का और माननीय सदस्यों को ध्यान टांगिया मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें ठूठ लिपिक भी कहा जाता है इन्हें आज की भीषण मंहगाई के समय भी केवल 5·65 रु0 नित्य मजदूरी मिलती है । वह आपके विधान सभा के सामने पांच मार्च से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए अनशन कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि चर्चा इस बात की हुई कि मन्त्री जी बहुत खूबसूरत हैं । दोनों मंत्री जी वाकई में काफी खूबसूरत हैं हमें भी ऐसा लग रहा है । तो मैं उन दोनों का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि वह उधर कोप–शिविर में जाकर उनकी परेशानियों को जाने और उनको उसके समाधान का आश्वासन देकर ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय वक्ता महोदय को खूबसूरती से क्या ईर्ष्या हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता--

यहां सब खूबसूरत हैं यहां कोई बदसूरत नहीं है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

तिवारी जी को नेगी जी पसन्द आ गये ।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

यह लोग अनशन कर रहे हैं चूंकि यह ठूठ लिपिक कहते हैं कि सरकार ने घोषणा की है कि खेत के मजदूरों को न्यूनतम साढ़े सात से आठ रुपये मजदूरी प्रति दिन दी जायेगी और उनको केवल 5·65 रु0 मजदूरी दी जाती है । इसके अलावा इन्हें पूरे साल में 3-4 महीने ही काम दिया जाता है । इसलिए उनको स्थायी करने के लिए और उनको नियमित करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये और इन्हें रिटेनर माना जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप खत्म करें आपको 5 के स्थान पर 6 मिनट हो रहे हैं ।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

टांगिया किसानों को कोई वेतन नहीं मिलता है जो मिलता है उसको भी यह लोग हड़प जाते हैं खा जाते हैं तो इस विषय में मंत्री जी उनके कोप शिविर में जाकर उनका अनशन अपने सद्भाव से तुड़वायें और हमें भी कम से कम इतना आश्वासन दे दें कि उनका अनशन वह खत्म करायेंगे और उनकी दशा के बारे में कोई ध्यान देंगे और उनकी मांगों को मंजूर कर लेंगे ।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया और मैं वन विभाग के रखे गये बजट का स्वागत करता हूं विरोधी दल के द्वारा रखे हुए कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

अकसर यह देखा गया है कि विरोधी दल के लोग केवल विरोध करते हैं चाहे आंकड़े हों या न हों । और कुछ न मिले तो यही टांट करा दिया है कि आपके मंत्री बहुत सुन्दर हैं । मंत्री जी सुन्दर हैं तो हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है । आप भी सुन्दर विधायक पैदा कर लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप हमें सहयोग दीजिए जिससे सदन का कार्य शीघ्रता से और शान्ति के साथ चल सके ....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

कोई बात नहीं हम उनकी सुन्दरता का फायदा उठायेंगे ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

यह तो बहुत दिनों तक इसका फायदा यूनिवर्सिटी में उठा चुके हैं । इतना मौका इनको दीजिए यह इनकी पुरानी आदत है । मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय विपक्ष के सदस्य को जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं उनको शायद मालूम ही नहीं है कि फैंसिंग के लिए दुधवा नेशनल पार्क को 40 लाख रुपया मंजूर हो चुका है ।

श्री सतीश अजमानी--

जिसके लिए आपने अभी कहा है कि फैन्सिंग होनी चाहिये 10 लाख रुपया दुधवा नेशनल पार्क के लिए पहुंच चुका है । केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि 40 लाख रुपये से पूरा काम नहीं होने वाला है । वहां पर बहुत बड़ी फैन्सिंग चाहिए । तो मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपया दिया जाय । रही दूसरी बात माननीय सदस्य का जंगलों से बहुत सम्बन्ध रहा है । लेकिन माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि 65 व्यक्ति ही केवल शेरों द्वारा मारे गये जबकि सदन में कटौती के प्रस्ताव में कहा गया कि 100-150 व्यक्ति मारे जा चुके हैं । मेरी उनसे प्रार्थना है कि जब भी वे सदन में बोलें तो कम से कम सच तो बोलें

[× × ×]

अनेक सदस्य--

मान्यवर, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, क्या ये हमें बेशर्म कह सकते हैं ?

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, सही यह है कि 65 व्यक्तियों को शेरों द्वारा मारा गया । यह बहुत बड़ा अत्याचार और जुल्म है, इसके लिए हम जरूर कहेंगे कि यह जनता के लिए बहुत बड़े अत्याचार की बात है । इसको इस रूप में लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति शेर द्वारा मारा जाता है तो उसे मुआविजे के रूप में केवल 5 हजार रुपया दिया जाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति शेर को मारता है तो उसे जुर्माने के रूप में 50,000 रुपया देना पड़ता है । इससे साबित होता है कि हिन्दुस्तान की गरीब जनता के मुकाबले में जानवर को बेहतर माना जाता है । अभी माननीय नेता जिसने कटौती का प्रस्ताव रखा है कहा कि अर्जुन सिंह को पदम श्री मिला । आपने न जाने 3 साल में कितने आयोग बैठाये और पदम श्री वापिस लिये । पता नहीं आपने इसे क्यों वापस नहीं लिया । आप जब विरोध

नोट :--[× × ×] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री ततीश अजमानी--]

पक्ष में आये तो अर्जुन सिंह आपकी नजर में बुरे हो गये। जब आप सत्ता में थे तो अर्जुन सिंह अच्छे थे। विरोधी दल द्वारा कहा गया कि अमेरिका में वे जाकर पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि यह मेरी पिक्चर है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अमेरिका वालों ने ही आपको ही यह खबर दी होगी क्योंकि आप का ही उनके साथ लिंक, सीधा सम्बन्ध है, हमसे तो कोई सम्बन्ध नहीं है। न ही हमें कोई खबर है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 140 किलोमीटर लम्बा जंगल ही जंगल है। वहां के निवासी जो लोग खेती करते हैं उनकी फसलों को, जो वहां जानवर आते हैं, बरबाद करते हैं। उनकी फसलों को बचाने के लिए हमारी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन है कि जो फसलें वहां पर खराब होती हैं, बरबाद होती हैं, उनके मालिकों को जंगल विभाग की ओर से मुआविजा अवश्य ही मिलना चाहिए।

[समय 4 बजे]

जहां तक घास फूंस लेने की बात है, इसके लिए भी कुछ अवधि निश्चित् कर दी है कि अगर उस पीरियड के अन्दर निवासी लोग घास फूंस लें तो ले लें, बाद में उनको जंगलों में घुसने नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि साल में कम से कम उनको 3 बार अवश्य छूट मिलनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति अपने घर के लिए घास फूंस लेना चाहे ले सके। इसके अलावा जो थारु की फूस की नलड़िया निकालती हैं, उनसे 20 रुपया लिया जाता है और उसे अधिकारी लोग बिना सरकारी कोष में जमा किए अपने आप ले लेते हैं, उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां 41 गांव थारू जन जाति के हैं। उन गावों को राजस्व विभाग में ले लिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि जो भी लकड़ी के उद्योग खोले जांये वे उनके क्षेत्र में खोले जायें और उनमें इन्ही लोगों को रखा जाये। अभी वहां पर स्कूल खोलने के लिये 1 लाख 25 हजार रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, यह प्रसन्नता की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्वारीफंटा में स्कूल खोलने के लिये वन विभाग द्वारा जमीन नहीं दी जा रही है। कम से कम स्कूल खोलने के लिये वन विभाग को जमीन देनी चाहिये ताकि आदिम जन-जाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। माननीय वन मंत्री जी इसे दिलवाने की कृपा करें।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, जहां-जहां पर पड़ें सन्तन के, तहां-तहां बन्टाधार। माननीय वन मंत्री जी की अस्वस्था के कारण हमारे पर्वतीय विकास मंत्री जी को यह बजट पेश करने का अवसर मिला। आपकी वन नीति क्या है ? आपने इस पुस्तक में नई वन नीति वह बतायी है जिससे कि स्थानीय जनता विशेषकर ग्राम वासियों को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिल सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 के अन्त तक ठेकेदारी प्रथा के समाप्त करने का निश्चय किया है। श्रम सहकारी समितियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जंगल में ठेके बाजार मूल्य से 15 प्रतिशत की रियायत देकर दिये जा रहे हैं। इसी के बारे में माननीय मंत्री जी के विभाग की ओर से एक शुद्धि पत्र भी निकला है जिसमें लिखा है यह भी निर्णय लिया गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि वन निगम को जो क्षेत्र आवंटित किये गये हैं उनमें श्रम संविदायें वरीयता के आधार पर स्थानीय श्रम सहकारी समितियों को दिये जायें । इसकी भाषा का मतलब शायद मंत्री महोदय स्वयं भी नहीं समझ पाये होंगे । यह आपका बजट जनहित विरोधी है और जंगल का भी विरोधी है ।

लीसे का जो आवंटन सरकार ने किया है उसमें पर्वतीय क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर खादी ग्रामोद्योग के सहयोग से चलने वाली इकाइयों के लिये ठीक तरह से आवंटन नहीं किया गया है । मंडल विकास निगम के लिये तो आपने 18,500 क्वीन्टल और आई0 टी0 आर0 कं0, बरेली को 97,956 लीटर लीसा आवंटित किया पर छोटी इकाइयों को छोड़ दिया है । उस ओर भी ध्यान दिया जाय ।

आज पत्थरों और पहाड़ों के कटान के कारण सारा मंसूरी ही खतरे में पड़ गया है । सारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं । उनका ठेका चूंकि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिया जाता है और उनके खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाते, इसलिये वे लाभ उठाते हैं । इसे भी रोका जाना चाहिये ।

हमारे वहां के जो भोटिया लोग हैं वे अपनी भेड़ बकरी चराने के लिये भाबर के जंगल में लाते हैं । इस साल भी वे लाये । मगर कितने ही लोगों को इसके लिये बन्द कर दिया गया । यह नहीं होना चाहिये । आप जो भी नीति बनायें वह व्यवहारिक होनी चाहिये, उसे व्यवहारिकता की कसौटी पर कस कर देखना चाहिये । आप कहते हैं कि पेड़ नहीं कटेंगे । अरे भाई ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत होगी, तब आप क्या करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

नेगी जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, ईधन के लिए लकड़ी के बजाय, मिट्टी के तेल, कुकिंग गैस, सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध करा दे ।

श्री बिहारी लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि रोड से 100 मीटर हट कर पेड़ कटेंगे । मैं अभी जब अपने क्षेत्र में गया था, वहां पर सेमल के तीन पेड़ कट गये, जिसकी कोई मंजूरी नहीं थी । जब विभाग के कर्मचारी और वहां के पुलिस वालों को मालूम हुआ कि वहां पर क्षेत्र का एम0 एल0 ए0 पहुंचा हुआ है, तो वहां के जो हमारे कार्य-कर्त्ता थे, भगा दिया, लेकिन हमने उससे पहले ट्रक की फोटो खींच ली और उसकी फोटो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया । तो मैं चाहता हूं कि वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी क्या कर सकते हैं । जो खटीमा में पेड़ का कटान हो रहा है इसको कैसे रोका जाय मेरा आधा क्षेत्र पर्वतीय श्रेत्र में भी है, देवीधुरा अल्मोड़ा से भी मिलता है । वहां पर चीड़ के पेड़ से जो लीसा बनता है, हवा-आंधी से चीड़ के पेड़ गिर चुके तो श्रीमन् मैं चाहूंगा कि उसको वहां के जो ठेकेदार हैं, जो गरीब लोग हैं वहां के हैं, निगम को न देकर, उनको 5-5 हजार के लाट बना कर जो उसको नीलाम कराया जाता है, जैसे

[श्री बिहारी लाल—]

कसाई ले जाता है, उसी तरह से निगम के लोग ले जाते हैं। सितारगंज ब्लाक में अभी वहां के पशुपालन विभाग के कम्पाउन्डर ने 26 पशुओं को मार दिया। किसानों की नींद उन्होंने हराम कर दिया, उन्हें उनकी रोजी-रोटी से अलग कर दिया। मान्यवर, ऐसे कम्पाउन्डर और डाक्टर को तुरन्त सस्पेंड कर दिया जाय, जिसने जानवारों को सुई देकर और दवा देकर मार दिया और मान्यवर, उसकी जांच की जाय। आज जबरदस्त एक आंधी चली हुई है कि वन विभाग में कटाव को नहीं रोका जा रहा है। बरसात के महीने में मैंने कहा था, लेकिन वन विभाग द्वारा आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो बड़े-बड़े फार्मर या छोटे फार्मर हैं, उनके लिए पैकिंग का कोई सुझाव नहीं रखा गया। वहां पर सिर्फ स्टोन पैकिंग होती है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी उसके सम्बन्ध में भी ख्याल रखें। वन विभाग के अधिकारी जो हैं, वे वहां के किसानों पर ध्यान रखते हुए भूमिहीनों पर भी ध्यान रखें।

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, गोंडा जनपद से, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां के आधे भाग में वन लगा हुआ है। मान्यवर, वहां पर जो क्षति पहुंचाई जा रही है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निगम के द्वारा नाजायज कटान रोकने का प्रयास किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी निगम ने तुलसीपुर रेंज के बीच से लेकर झलासी को उप अरण्यपाल महोदय ने जबानी नीलामी का आदेश दिया और उस झलासी को 900 रुपया में नीलाम किया गया। दूसरी तरफ बरहवा में जब शीशम के बारे में कटान की शिकायत आई, तो वहां जब हम लोग पहुंचे तो वहां पर उप अरण्यपाल क्या कहते हैं कि इसको काटने के लिए मैंने जबानी आदेश दिया था। उस पेड़ का भी मूल्य 3 हजार रुपया है और उन्होंने कहा कि मैंने 6 चार पाई को भी बनवाने के लिए आदेश दिया था। मान्यवर, इस तरह से तो यह खुली हुई डकैती की जा रही है। मान्यवर, आप उसे रोकने का प्रयास करें। जो आपने टांगिया की बात कही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि गोंडा जनपद में जो टांगिया को ब्रिक्स लगाने का काम दिया है वहां पर थारू और अन्य लोगों को वृक्षारोपण का कार्य दिया जाता है। इसके लिए उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। वह वहां पर सफाई करते हैं तथा वृक्षारोपण करते हैं और बाद में वन लगाते हैं। केवल एक दो फसल वह उसके अन्दर लेते हैं। यह विभाग इन जन जातियो जैसे थारू और टांगिया का शोषण कर रहा है। इस तरफ ध्यान दिया जाय और उस शोषण को समाप्त करने की कृपा की जाय। साथ ही इस विभाग के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है इससे भी विभाग को बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह से नाजायज कटान के बारे में भी मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा इस जनपद में उत्तरी तथा दक्षिणी वन में नाजायज लकड़ी का कटान होता है। वहां पर जो गार्ड होते हैं उनको आपने जो हथियार दिये हैं वह नगण्य हैं। आपने एक जीप पर दो सिपाहियों को बिठाल दिया है। वह इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकते। जो वन रक्षक हैं उनके लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है ताकि जो वहां के प्रभावशाली लोग हैं उनको वे रोक सकें और जो वहां चोरी होती हैं उसको वह रोक सकें। कम से कम आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको किसी असलाह से लैस करा दें या रिवाल्वर उपलब्ध करा दें ताकि वन विभाग को जो नुकसान चोरी से होता है वह न हो सके।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वन मन्त्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमें वन विभाग की नीति का अध्यन करना होगा। विशेष कर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी क्या नीति हो, इसे देखना होगा। हमें केवल राजस्व प्राप्ति की ओर ही ध्यान नहीं देना होगा बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से उत्तरी भारत के ऋतुओं और मौसम पर असर पड़ता है और साथ ही राजस्व को न देखकर हमें इस बात को भी देखना है कि हमारी वन नीति ऐसी हो जिसके द्वारा पर्यावरण की उपेक्षा न हो। मान्यवर, आपके माध्यम से हाल ही में जो घटनायें हुयी, उनके बारे में बताना चाहता हूं। वह घटनाएं यह है, बाढ़ का आना चक्रवात का आना तथा भूकम्पों आदि का आना। जो हाल ही के वर्षों म बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत वनों को काटना। इन वनों को काटे जाने के कारण मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन हो जाने का मुख्य कारण है। इसलिये इस बात से अब हमें सचेत रहना चाहिए।

दूसरी बात आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में आज से 80वर्ष पूर्व अल्मोड़ा में एक गजेटियर प्रकाशित हुआ था, जिसमें उस वक्त वाल्टन ने लिखा कि पहाड़ों पर कभी अकाल नहीं पड़ सकता। क्यों कि वहां ऐसे घने जंगल हैं तथा उनमें इतने जंगली खाने योग्य फल हैं जो आकाल की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं लेकिन आज स्थिति विपरीत है। यदि आज सूखा पड़ गया तो भोजन की व्यवस्था का अलग प्रश्न है, लोगों को पीने का पानी तक नही मिलेगा लेकिन आज हम देख रहे हैं तो यह सभी बातें इस बात को बताती है कि हमारे क्षेत्र में जो वन नीति है, वनों की जो संख्या हैं और जो क्षेत्रफल है, उसमें दिन पर दिन कमी आती जा रही है। इस पर मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व पर्वतीय क्षेत्र के वनों के अधिक काटने के कारण वनों में तो कमी आ ही गयी है दूसरी ओर इसके कारण पानी के स्रोत सूखते जा रहे है। और मान्यवर, आज से कुछ वर्ष पूर्व अल्मोड़ा में पानी की योजना बना, उस योजना से पानी पूरा नहीं हुआ। सुदूर से पानी लाया गया वह भी कम हो गया। 20 साल पहले जो वन क्षेत्र था आज वह आधे हो चुके हैं।

दूसरे मान्यवर, एक बात पौड़ी के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं कि पौड़ी में 1965 में पानी की एक योजना बनी। जिसमें उस वक्त पानी का प्रवाह 360 लीटर प्रति मिनट था और सन् 1977 में घटकर वह यानी पानी का प्रवाह 106 लीटर प्रति मिनट हो गया तो मान्यवर, इससे साबित होता है कि इन 8-10 वर्षो में पानी के स्रोत मे काफी कमी हो गयी। इस लिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों की सुरक्षा जुड़ी हुयी है वनों से। जब वन होंगे तो पानी के स्रोत भी अधिक होंगे और जब स्रोत होगा तो गंगा और जमुना के मैदान की हरियाली भी बनी रहेगी। इसलिए वनों को सुरक्षा करें और पानी की सुरक्षा करें। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि 60 प्रतिशत तक जब तक पर्वतीय क्षेत्रों में वन नहीं होंगे, तब तक यह सारी घटनाएं भूस्खलन और बाढ़ आदि की होती रहेंगी। इस प्रकार से हमें यह देखना है कि 60 प्रतिशत वन किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं इसकी व्यवस्था पर विचार करना होगा। दूसरी एक बात और संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में खड़ा एक हरा वृक्ष, बाढ़ व भू-स्खलन रोकने के लिये एक जिन्दा संतरी है, उसे किसी बहाने काटना, बाढ़ व भू-स्खलन को आमंत्रित करना होगा। मैं इसी के साथ एक बात और रखना चाहता हूं हाल में

[श्री चारु चन्द्र ओझा]--

बनों का जो कटान हुआ है, वह रोकने के लिये हमें अपनी ईधन नीति को बदलनी होगी । क्योंकि पहाड़ में 2 मैट्रिक टन प्रति व्यक्ति लकड़ी की आवश्यकता होती है इस प्रकार 80 लाख मैट्रिक टन लकड़ी प्रति वर्ष ईधन के रूप में काटी जाती है । इसलिए जंगल को बनाये रखने के लिये ईधन को दूसरा रूप देना होगा गोबर गैस या प्राकृतिक गैस, पत्थर का कोयला आदि पर्वतीय क्षेत्र को ईधन के रूप में देने होंगे । तब कुछ हद तक बनों की सुरक्षा हो सकती है । गैस ईधन के रूप में देना होगा । ताकि इसका सोर्स दूसरा हो सके ।

*श्री धरमपाल--

मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और माननीय मुख्तार अनीस द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मनुष्य को प्रकृति की ओर से दी गई अभूतपूर्व उपहार बन पर केवल 2 घंटे से चर्चा हो रही है । आधुनिक भारत के अन्दर अगर आधुनिक भारत बनना है तो बनों का कटान जिस प्रकार से हो रहा, वनों की रक्षा जिस प्रकार से हों रही है उससे ऐसा लगता है कि भारत के नाम को हम भूल गये हैं । आप जी बन लगा रहे हैं उसमें ऐसे पेड़ों को लगा रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, साखू और सागौन नहीं लगाये जा रहे हैं बल्कि युकिलपट्स लगाया जा रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं, केवल कागज बनाया जा सकता है । इससे मन्त्री जी सोफा और पलंग नहीं बन सकता है । मान्यवर, एक जमाने से प्रकृति को बनों द्वारा कन्ट्रोल किया जाता था और रेगिस्तान को रोकने के लिए बन सबसे अच्छी चीज है ।

हमारे बहराइच जिले में भिनगा जंगल की कटान गलत तरीके से हो गई उसकी जांच हुई पकड़े गये लेकिन रिपोर्ट को दबाया जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । भिनगा जंगल की जो कटाई हुई है इसमें फारेस्ट गार्ड से लेकर अरणयपाल तक लिप्त हैं । मान्यवर, बहराइच जनपद के जंगलों को बहुत बेरहमी से काटा जा रहा है । पता नहीं सरकारी कोष को भरने के लिये अन्य कोई कारण है । मान्यवर, जंगल के किनारे रहने वालों को माफी दी जाती थी माफी के रूप में उनको लकड़ी दी जाती थी लेकिन इस बार कोई आदेश नहीं मिला और न ही कोई लिस्ट थी न लोगों को लकड़ी मिली । मैं इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक बात मैं और मन्त्री जी से कहना चाहता हूं आपने जो बहराइच में घड़ियाल पालने का फार्म बना रखा है मेरी जानकारी है शिकारी लोग आकर उनको ले जाते हैं और उन घड़ियालों की कीमत 25-30 हजार रुपया होती है । इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैदानी क्षेत्रों में जो पेड़ जगाये जा रहे हैं वर्षों से लोग उनका नाम तक नहीं जान पाये कि कौन सा पेड़ है । अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे पेड़ थे जो खत्म हो रहे हैं उन पेड़ों को लगवाने की तरफ ध्यान दिया जाय । वह पेड़ हैं जैसे नीम, बरगद, पीपल,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गूलर, ढाक, पाकड़, कैथा, बेल आदि । पीपल ऐसा पेड़ है जो रात और दिन दोनों समय आक्सीजन देता है यही कारण है हमारी संस्कृति में इसकी पूजा होती है इसके अतिरिक्त ऐसे भी पेड़ हैं जो दवाइयों के काम में आते हैं । यह ऐसे पेड़ हैं जिनसे चिड़ियों को पक्षियों को खाने के लिये कुछ फल देते हैं ।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नीम का पेड़ ऐसा पेड़ है जो गांव वालों के लिये बड़ा उपयोगी है । इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे जामुन, आम, महुआ उगाये जाते थे जिससे गरीब लोगों को 2-3 महीने का भरण-पोषण होता था । आज जो सड़कों के किनारे पेड़ लगे हैं, जब हम उसका नाम पूछने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं चलता कि उनका नाम क्या है, उनका उपयोग क्या है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जो सई नदी के द्वारा दो हिस्सों में बंटा है । वहां पर कटान है । कटान को रोकने के लिये और हमारे साथी 3-4 एम0 एल0 ए0 का क्षेत्र 2 हिस्सों में बंटा है अगर ठीक से उसमें पेड़ों को न लगाया गया तो कटान नहीं रुकेगा । वहाँ की अब हवा और जलवायु को ठीक करने के लिये जिन पेड़ों का मैंने जिक्र किया, उनको लगाया जाय । माननीय मंत्री जी पहाड़ के हैं माननीय मंत्री जी पहाड़ के पेड़ मैदान में लगवा रहे हैं । पहाड़ के पेड़ मैदान में लग जायेंगे तो मैदान पहाड़ न हो जाय ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन पेड़ों को लगवाने के बजाय मैदानी इलाकों में जिन पेड़ों का जिक्र हमने किया है उन पेड़ों को लगवाया जाय ।

इसके बाद मैं मन्त्री जी से एक और निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि आजकल यूक्लिप्टस के पेड़ बहुत लगाये जा रहे हैं और जानकार लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी है कि यूक्लिप्टस उस जमीन को ऊसर बनाता है, जहां यह लगाया जाता है । तो ऊसर बढ़ाने की इस योजना को मन्त्री जी कृपा करके बन्द कर दें । यूक्लिपटिस के यह पेड़ सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में बहुत लगाये जा रहे हैं वहां तो ऐसे ही ऊसर बहुत हैं और न बढ़ाया जाये, दूसरी चीज यह है कि शहरों में भी पेड़ लगाने की योजना होनी चाहिये । सरकार लखनऊ में रहती है । मैं यह जानना चाहूंगा कि लखनऊ में कितने पेड़ लगे हैं । अगर यह कहेंगे कि शहरों में पेड़ों का लगना मुश्किल है तो इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, सम्भवतः संसार का ऐसा शहर है जिसमें सबसे अधिक पेड़ हैं । रात के समय दिल्ली में सड़क के किनारे की बत्तियां पेड़ों के भुरभुट से होकर आती हैं, तो फिर लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा आदि शहरों में पेड़ क्यों नहीं लगाये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त एक बात मन्त्री जी ने कही कि प्रतापगढ़ में 50 परिवारों को संसारपुर गांव में एक-एक मन लकड़ी दी गयी इसका पता हम लोगों को नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया । आप आधा मिनट और बोल लें ।

श्री रामनरेश शुक्ल--

यदि प्रतापगढ़ में 50 परिवारों को लकड़ी दी गयी । इसे दिखलवा लिया जाय दी गयी या नहीं ? एक चीज और मैं कहूंगा कि घड़ियाल पालकर के जो विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, किन्तु यदि आप सामाजिक घड़ियालों को भी पकड़ कर आप चम्बल में डाल दें जो समाज की प्रगति में बाधक हैं तो जनता का आशीर्वाद अर्जित करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

सामाजिक घड़ियाल वन विभाग में नहीं आते हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं । आपका कोई शब्द लिखा नहीं जायगा ।

*श्री मुख्तार अनीस--

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में भाषण दिया । मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए चाहूंगा कि वन मन्त्री और उनका विभाग इस विभाग के सम्बन्ध में . . .

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, वन नीति का रिवीजन होना जरूरी है । मैं आपके नीति के खिलाफ हूं । अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं वाक आउट करूंगा ।

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुख्तार अनीस--

मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री जी और उनके अधिकारी इस विभाग के सम्बन्ध में ठोस नीतियां बनायें । आज वनों की उपयोगिता है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ कह दिया है ।

मान्यवर, वैसे ही हमारे प्रदेश में वनों का बहुत कमी है । 33 प्रतिशत वन होने चाहिये लेकिन केवल 17 प्रतिशत वन हैं । इसलिये इस कमी को पूरा किया जाय और किस तरीके से इसको दो गुना हम कर सकें, इस दिशा में जाने की जरूरत है । लेकिन दिन व दिन वन कटते जा रहे हैं । पहाड़ों के ऊपर, मैदानी क्षेत्रों में, सड़कों के किनारे, हर जगह पर जहां पर वनों की आवश्यकता है वहां वन लगाने चाहिये । होता क्या है कि पेड़ नहीं लगाये जाते हैं और झूठे लेबरों को दिखाकर पैसा ले लिया जाता है । इसी के साथ-साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज जो शासन को घाटा हो रहा है उसके अतिरिक्त साधनों को लेकर पूरा करने की बजाय जो ठेकेदार हैं और जिनके ऊपर शासन का करोड़ों रुपया बकाया है, उसको बड़े अधिकारी राइट आफ कर देते हैं । जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उनकी सूची प्रकाशित होनी चाहिये और उनसे पैसा वसूल होना चाहिये । ठेकेदार जो पैसा लेकर भाग जाते हैं और बाद में उस पैसे को आप राइट आफ करते हैं यह जो प्रथा बनी है, इसको समाप्त करायें और पैसे

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को वसूलने का काम कीजिये । इसके साथ-साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने की दिशा में ठोस नीतियां अपनायें ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह जो पार्क हैं, अभी माननीय सदस्य निघासन ने कहा, मैं चुनौती देता हूं और मैं इस बात को दोहराता हूं कि दुधवा नेशनल पार्क की पूरी फिल्म बनाकर उसको अपनी फिल्म बताकर अमेरिका में दिखाया गया । इसका प्रमाण वन विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी दे सकते हैं । जो वहां के डाइरेक्टर हैं वह इस बात का सबूत दे सकते हैं । मैं इस बात की फिर चुनौती देता हूं कि यह काफी गम्भीर मामला है । इसको मैंने इंगित किया है । इसी के साथ-साथ कारबेट नेशनल पार्क जो है उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है । रामगंगा के बहाव से सारी लकड़ी वहां की कटती जा रही है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज जानवर भाग-भाग कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और उनका शिकार हो रहा है इसलिये कारबेट नेशनल पार्क को ठीक करने की आवश्यकता है । मान्यवर, जो भूमिहीन हैं, जो हरिजन हैं, जो गिरिजन हैं, जो थारु हैं जो पहले जंगलों में रहते थे, उनके बारे में ठोस नीति मंत्री जी बनायेंगे । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैं पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और जो कमियां वह हमारे ध्यान में लाये हैं, उन पर हम विचार करेंगे और इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे तथा रेवेन्यू को बढ़ाने कि चेष्टा करेंगे । कुछ जानकारियां कुछ क्वेरीज माननीय सदस्य अनीस साहब ने की थीं तो वन निगम जनता को अपने डिपो से उचित मूल्य पर लकड़ी उपलब्ध करा रहा है । यह डिपो हैं, लखनऊ, मनकापुर (गोंडा), इटवा (गोंडा) कयना (गोंडा), बालपुर (गोंडा), हरय्या (बस्ती), मैलानी (लखीमपुर-खीरी), मोहराना (लखीमपुर-खीरी), मोरा (लखीमपुर खीरी), पूरनपुर (पीलीभीत) खटीमा (नैनीताल), टनकपुर (नैनीताल), हल्द्वानी (नैनीताल), रामनगर (नैनीताल) कोटद्वारा (गढ़वाल), जाफराबाद (बिजनौर), रायवाला (देहरादून), हरबर्टपुर (देहरादून), बरेली, आगरा, लौनी (दिल्ली के निकट) अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, टेहरी, उत्तरकाशी । वन निगम द्वारा स्टार पेपर मिल को लकड़ी सप्लाई करने की बात उठायी गयी थी । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि स्टार पेपर मिल का जो अनुबन्ध था, वह सितम्बर, 81 को समाप्त हो रहा है । स्टार पेपर मिल द्वारा अब वनों में कार्य नहीं किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति की सेवाओं के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया गया है कि उनका प्रतिशत नगण्य है तो अन्तिम पृष्ठ पर, जो यह पुस्तिका है इसमें दिया गया है, इसको नगण्य तो नहीं कह सकते हैं । अगर कम होगा तो पूरा करने की चेष्टा की जायगी । अन्तिम पृष्ठ इस पुस्तिका को देख लें उसमें । अन्य विभागों के मुकाबले कोई ऐसी कमी नहीं है जिसे आप नगण्य कहें । जो वन विभाग के छोटे कर्मचारी हैं, उनके बारे में भी उनकी सेवाओं को देखते हुए आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए जो भी संभव होगा उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिठाता--

अभी नहीं ।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है । 5 तारीख से कर्मचारियों का अनशन चल रहा है । इसलिए निवेदन है कि उस पर स्पष्टीकरण में कुछ मंत्री जी बतला दें ।

श्री अधिष्ठाता--

जब तक मंत्री जी बैठेंगे नहीं, तब तक स्पष्टीकरण न पूछें ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, उनकी जो न्यायोचित मागें होंगी उन पर जरूर विचार किया जायेगा ।

मान्यवर, एक प्रश्न और उठाया गया और सही है कि हर जगह हमें दिक्कतें हैं, इससे इंकार नही कर सकता हूं । जहां नेशनल पार्क है उसके नजदीक यह दिक्कत है जिससे कुछ तो फसल और कुछ जनधन की हानि होती है लेकिन प्रकृति के बैलेन्स को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है और गहराई से देखें तो प्रकृति ने स्वयं इस प्रकार का इंतजाम कर रखा है तो प्रकृति स्वयं इस तरह का इंतजाम कर रही है जैसे छोटे कीड़े-मकोड़ों को खाने के लिए प्रकृति ने छिपकली पैदा कर दी ताकि इम्बैलेन्स न क्रिएट हो । लेकिन जहां बड़े पार्कों में पूरी मात्रा में फैन्सिग कराने की बात है तो यह पूरी मात्रा में वहां फैन्सिग हो पायेगी या नहीं, हाथी जैसा जानवर इस फैंसिग से रुक पायेगा या नहीं, फिर भी मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए प्रयत्न करूंगा । सेन्ट्रल स्कीम के आधार पर 10 लाख रुपये फैन्सिग के लिए मंजूर कर लिया गया है, आइडेन्टीफाई कर रहे हैं कि कौन-कौन सी जगह इसकी जरूरत है । आपका सुझाव काबिले गौर है लेकिन सीमित साधन हैं, इस दौर से आप गुजर चुके है और मुझे भी अब गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आपके सुझाव का मैं आदर करता हूं ।

श्री मोहन सिंह--

पार्क की फिल्म के बारे में बताइये जो विदेश में दिखाई जा रही है ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मेरे ख्याल से ऐसा प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये, पार्क सरकार के हैं--

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है कि विदेशों में जाकर एक आदमी इस बात का प्रचार करे कि यह पार्क मेरा है, पूरी फिल्म बनाये, विदेशों से पैसा ले । इसके बारे में आप जांच कराइए ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुख्तार अनीस आप इससे पहले ये बात कह चुके हैं ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

माननीय सदस्य ने कहा कि फलदार वृक्ष के स्थान पर दूसरे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, तो इसके लिए चेष्टा यही होगी कि सड़कों के किनारे जहां पर फलदार, छायादार, चरी देने वाले वृक्ष हों।

माननीय शुक्ला जी ने कहा कि पहाड़ के पेड़ मैदान में न लायें तो वास्तविकता तो यह है कि पेड़ कोई पहाड़ का नहीं है, विदेश का नहीं है, न जाने कहां से यह आ गया और निरन्तर लगाया जा रहा है। इसको हम दिखवा लेंगे यदि इसमें औद्योगिक मात्रा अधिक नहीं है तो....।

(इस समय 4 बजकर, 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उन्हें न काटा जाय। इस तरह से मल्टी प्लान्टेशन हो जाय ताकि चरी मिल जाय, फल भी मिल सकें, छाया भी मिल सके। यूक्लिप्ट्स के बारे में बार-बार कहा गया और इसके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राय हैं। वैज्ञानिकों के लिए माननीय शुक्ला जी ने कहा कि पहाड़ के पेड़ मैदान में न लायें तो वास्तविकता तो यह है कि पेड़ कोई पहाड़ का नहीं है, विदेश का नहीं है, न जाने कहां से यह आ गया और निरन्तर लगाया जा रहा है। इसको हम दिखवा लेंगे यदि इसमें औद्योगिक मात्रा अधिक नहीं है तो....।

श्री ऊदल—

मगर इसका कोई इस्तेमाल भी हो।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

उसकी चेष्टा की जा रही है। तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों की भावना यह थी कि वनों का विकास हो। चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वन हमें लाभ देते हैं उसका और जो इस्तेमाल हो सके उस पर भी हम ध्यान देंगे और यथा सम्भव चेष्टा यही की जायेगी और यही कारण है कि इस वर्ष हमने एक्सपेन्डीचर में बढ़ा खर्च दिखाया है जिससे कि अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण कर सकें, पर्यावरण को सुधार कर सकें और खास तौर से इंधन के लिए लकड़ी उपलब्ध करा सकें। भूमि संरक्षण के कार्यक्रम को पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चलाया जा रहा है, रिवेल्यूएशन की भी चेष्टा कर रहे हैं और इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि पब्लिक इन्वालमेन्ट होकर सभी को जो वनों की महत्ता को समझते हैं, वे भारत सरकार से प्रयास करें कि पौधशालायें बनाने की चेष्टा की जा रही है।

मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं खासतौर से माननीय मुख्तार अनीस साहब से अनुरोध करूंगा, चूंकि उनके सुझाव पर ही हम प्रस्ताव करने जा रहे हैं कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62-वन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

[श्री अध्यक्ष---]

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,53,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि की स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102--वन विभाग-पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 102--वन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 118--वन विभाग-ऋण और अग्रिम सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 118--वन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में माननीय श्री रियासत हुसेन, श्री राम गोविन्द और श्री अकबर हुसैन द्वारा दी गई एक सूचना है जो दिनांक 10 मार्च, 1981 को माल रोड कानपुर में नेशनल ग्रेन्टल बैंक के पास भूतपूर्व विधायक, श्री जैनाथ प्रसाद चौहान का कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर वक्तव्य स्वीकार किया गया है और शेष सूचनाएं अस्वीकार की गई ।

बस्ती जिले के महोली थाना के ग्राम महोबरा में डाकुओं द्वारा लूट, आगजनी एवं हत्या आदि से जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-2-81 को 6·10 बजे प्रातः श्री बीपत पुत्र शिव प्रसाद, ग्राम महोबरा, थाना महुली, जिला बस्ती ने थाना महुली पर इस आशय की सूचना दी कि विगत 27-2-81 की रात्रि को लगभग 9·30 बजे जब वह भोजनोपरान्त सोया था तथा घर की औरतें खाना खा रही थी लगभग 17-18 आदमी, बन्दूक, लाठी व टार्च लिए आये। उनमें से कुछ घर के अन्दर घुसकर लूटपाट करने लगे तथा कुछ बाहर खड़े होकर घूम-फिर कर ललकार रहे थे। अवसर पाकर वादी घर से दक्षिण की ओर भागा और आवाज दी जिससे गांव के अनेक लोग लाठी, टार्च लिए शोर करते हुए आ गये। इन्हीं में से किसी ने उजाला करने के लिए श्री राममूरत की झोपड़ी में आग लगा दी। डाकुओं की बन्दूक की गोली से कुछ ग्रामवासियों को चोटें भी आयी हैं। डाकुओं ने उसका घर लूटने के बाद 2 अन्य घरों को भी लूटा। इस सूचना पर अ0 सं0-30 अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 द0 वि0 कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गयी।

घटना में डाकुओं की गोली से 19 लोगो को छरें की चोटें आयीं जिनमें केवल 1 को छोड़कर सभी की चोटें साधारण थी और वे अपना सामान्य कामकाज कर रहे थे। ग्रामवासियों ने सम्भवत प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्वयं ही एक झोपड़ी में आग लगा दी। डाकुओं द्वारा आग लगाने की बात सही नहीं है। आग से कोई घायल नहीं हुआ। डकैती तीन घरों में डाली गयी थी और डकैत लगभग 5,000 रु0 नकद और 35,000 रु0 का सामान लूटने में सफल हुए। इस घटना के पश्चात् दिनांक 6-3-81 को एक घायल व्यक्ति श्री राम शंकर की मृत्यु हो गयी अतः मुकदमें को 396 भा0 दं0 वि0 में तरमीम कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस डकैतों का पता लगाने का भरसक प्रयास कर रही है। यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस की अपराधियों से सांठगांठ है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब तक के प्रयास में क्या सूचना प्राप्त हुई है डाकुओं के पकड़ने के बारे में या नाम के बारे में, अब तक जो सूचना मिली है उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, चूंकि वह पता लगा रहे हैं और उन्होंने जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया था वह अपनी स्थानीय बोली में लिखाया था इसलिये उस क्षेत्र के लोगों का इन्ट्रोगेशन हो रहा है, अभी किसी को पकड़ा नहीं गया है।

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय मंत्री जी की उस क्षेत्र में विशेष कृपा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिए। पांच ऐसे ही बज जायेगा।

---

*मा0 मन्त्री जी ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कुबेर भंडारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस के खिलाफ, इस लापरवाही बरतने के खिलाफ कोई यथोचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, विवेचना चल रही है। अभी कोई तुरन्त कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही हैं।

श्री ऊदल--

जो एक व्यक्ति मर गया है डाकुओं से मुठभेड़ में क्या उसके परिवार वालों को सरकार कुछ आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी या उसके आश्रितों को पेन्शन देगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में चूंकि डकैती के सिलसिले में कोई मरा है इसलिए शासन की ऐसी नीति नहीं रही है कि उस पर आर्थिक सहायता दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। अब मद संख्या ...

श्री मोहन सिंह--

हम शान्त हैं मान्यवर....

श्री अध्यक्ष--

आपकी शान्ति इस वक्त गड़बड़ कर रही है। अब इसके पश्चात् पांच बजे यह अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया जायगा।

1980-81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

वित्तीय वर्ष 1974-75 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1974-75 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया प्रतियां बांट दें। सभी को बांट दीजिए-आइटम नं0 15, 16 और 17 की।

(प्रतियां बंटने के उपरान्त)

वित्तीय वर्ष 1975-76 के अतिरिक्त अनुदान)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1975-76 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1976-77 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1976-77 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
11 मार्च, 1981

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1397 पर)

सूची

उत्तर प्रदेश रोडवेज तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराये की दरों की तुलनात्मक स्थिति--

मद	विवरण तथा दर	
1--विशेष श्रेणी तथा "ए" श्रेणी मार्गों पर द्वितीय श्रेणी के किराये की दरें	(1-6-1972 के पहले)	(31-12-1980 को)
	3·80 पैसा प्रति यात्री प्रति कि0मी0 मैदानी मार्गों पर	5·32 पैसे प्रति यात्री प्रति कि0 मी0 मैदानी मार्ग
	6·07 पैसे प्रति यात्री प्रति कि0 मी0 पर्वतीय मार्ग पर	8·50 पैसे प्रति यात्री प्रति कि0 मी0 पर्वतीय मार्ग पर
2--म्युनिसिपैलिटी सीमा के भीतर या उससे बाहर नगर बस सेवाओं के रूप में चलाई जाने वाली यात्री गाड़ियों के लिये किराये की दरें	प्रति (पैसे प्रति यात्री)	प्रति (पैसे प्रति यात्री)
	अ--3 कि0 मी0 तक 13	1·5 कि0 मी0 तक 22
	ब--3 कि0मी0 से अधिक किन्तु 4 से अधिक नहीं 17	2·5 कि0मी0 से अधिक किन्तु 12 कि0मी0 से अधिक नहीं 43
	स--4 कि0 मी0 से अधिक किन्तु 5·5 कि0मी0 से अधिक नहीं 22	3·12 कि0मी0 से अधिक यात्री गाड़ियों के लिए निर्धारित

1501

मद	विवरण तथा दर			
	द—5·5 कि0मी0 से अधिक किन्तु 6·5 कि0मी0 से अधिक नहीं	26	सामान्य किराये की दर पर	
	य—6·5 कि0मी0 से अधिक किन्तु 8 कि0 मी0 से अधिक नहीं	30		
	र—8 कि0मी0 से अधिक किन्तु 10·5 कि0 मी0 से अधिक नही	35		
	ल—10·5 कि0 मी0 से अधिक किन्तु 12 कि0 मी0 से अधिक नहीं	39		
3—मेलों तथा अन्य अवसरों पर विशेष रूप से चलाई जाने वाली यात्री गाड़ियों के लिए दरें—	प्रति कि0 मी0	5·06	प्रति यात्री प्रति कि0 मी0	7·08

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1398 पर)

वर्कचार्ज कर्मचारियों के 15 दिसम्बर, 1980 के 10 सूत्री मांग-पत्र में उल्लिखित मांगें

(1) वर्कचार्ज कर्मचारियों, जिन्होंने सेवा के 240 दिन कार्य प्रभारित अधिष्ठान में पूर्ण कर लिये हैं उनको नियमित अधिष्ठान के कर्मचारी घोषित किया जाय। नियमित कर्मचारियों को प्राप्त समस्त सुविधायें प्रदान की जायं।

(2) वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिए प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो शासन को 31-7-1980 को प्रेषित की है उसे तत्काल प्रकाशित किया जाय तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों की राय से लागू किया जाय।

(3) वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों को प्राप्त वेतन एवं भत्ते सभी प्रकार के सवैतनिक अवकाशों की सुविधा, ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि, सामूहिक बीमा आदि सुविधायें प्रदान की जायं।

(4) समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों को जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक स्थानान्तरण होने पर राज्य कर्मचारियों की भांति अग्रिम यात्रा भत्ता एवं नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाय तथा सेवा का प्रान्तीयकरण किया जाय।

(5) सिंचाई विभाग में कार्यरत श्रमिक संगठनों की राय से सक्षम सेवा नियमावली बनाकर लागू की जाय।

(6) सिंचाई विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों सहित समस्त कर्मचारियों को 8·33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाय।

(7) रिक्त स्थानों की पूर्ति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी वर्कचार्ज कर्मचारियों से की जाय तथा कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय।

(8) वेतन का 25 प्रतिशत आवास भत्ता दिया जाय।

(9) कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा (चिकित्सा भत्ता) एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाय।

(10) ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संगठनों के अधिकृत पदाधिकारियों से समय-समय पर वार्ता द्वारा समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1411 पर)

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् से गोण्डा शाखा के अध्यक्ष श्री ईश्वर सरन सिंह की मांगों का विवरण।

(1) उन सभी कर्मचारियों को जिनके 240 दिन पूरे हो गये हैं, नियमित किया जाय।

(2) दक्षतारोक, वार्षिक वेतन वृद्धि, मेडिकल तथा वेतन निर्धारण आदि को शीघ्रता से तय किया जाय।

(3) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिया जाय।

(4) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी दी जाय।

(5) मजदूर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को, जो कि चौकीदार पद पर कार्यरत हैं उन्हें या तो कार्यशाला में किया जाय या चौकीदार की सुविधा दी जाय।

(6) निजी अनुबन्धन आय को देखते हुये बन्द किया जाय।

(7) कार्यशाला की दैनिक दशा को सुधारा जाय।

(8) उच्च पद पर कार्यरत परिचालकों की पदोन्नति की जाय।

(9) एरियर बिल, यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान अविलम्ब किया जाय।

(10) स्पेशल ई० पी० एफ० की रसीद दी जाय।

नत्था 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1425 पर)

जनपदवार, तहसीलवार ब्लाकवार व ड्रेनवार वर्ष 1980–81 में खोदी जा रही ड्रेनों का विवरण

क्रम–संख्या	ड्रेन का नाम	जनपद का नाम	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	भुगतान का विवरण	
1	2	3	4	5	6	
						रु0
1	लालापुर ड्रेन	जौनपुर	शाहपंज	सुइयाकलां	चालू भुगतान	6,741·00
2	बेनीपुर ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	11,276·00
3	हलवाई ड्रेन	तदेव	तदेव	सीधी	तदेव	2,048·00
4	तोन्दारी ड्रेन	आजमगढ़	सगड़ी	महराजगंज	तदेव	7,888·00
5	करमहा ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
6	कुमहत ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	चालू भुगतान	12,836·00
7	नेवादा ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
8	जानकीपुर ड्रेन	तदेव	आजमगढ़	तहबरपुर	..	
9	ददरा ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	
10	रघुनाथपुर ड्रेन	आजमगढ़	आजमगढ़	तहबरपुर	..	
11	बैरमपुर ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
12	लखनपुर ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
13	अच्छेपुर ड्रेन	तदेव	फूलपुर	कोईलसा	..	
14	कौड़िया ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	चालू भुगतान	3,124·00
15	फुलवरिया ड्रेन	तदेव	तदेव	अहिरौली	..	
16	सकतपुर ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
17	सुरखीपुर	तदेव	तदेव	तदेव	..	
18	जमहत ड्रेन	तदेव	तदेव	पवई	चालू भुगतान	6,887·00
19	पवई ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	6,565·00
20	बिलरियागंज ड्रेन	तदेव	सगड़ी	बिलरियागंज	..	
21	पनहा ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
22	पारा ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
23	बरोहो ड्रेन	तदेव	तदेव	तदेव	..	
						57,365·00

पी० एस० यू० पी०—49 वि० सभा—24-9-82—835 (पी० डी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा